राजभाषा भारती

जुलाई--सितम्बर, 1980 अंक–10

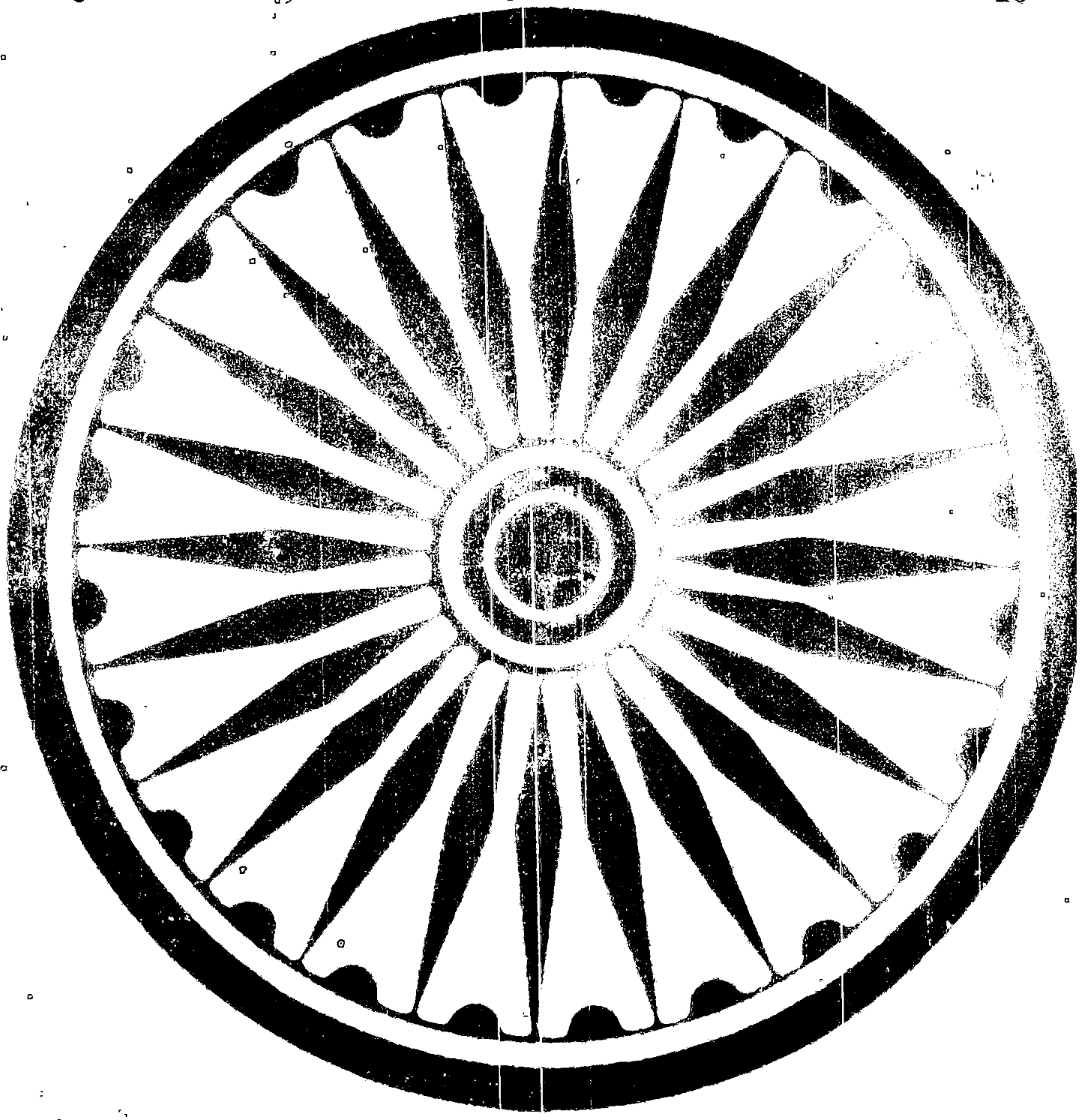

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका

वर्ष--3 अंक--10 जुलाई--सितम्बर, 1980

संपादक
राजमणि तिवारी

उप संपादक
हरिहर प्रसाद द्विवेदी

(पत्रिका में प्रकाशित वैयक्तिक लेखों में व्यक्त विचारों से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।)

पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक "राजभाषा भारती"
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल), खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003.

फोन : 617807/617657

[निःशुल्क वितरण के लिए]

विषय-सूची

अपनी बात		पृष्ठ संख्या
हिंदी बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी	—प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी	3
क्या हिंदी थोपी जा रही है ?	—श्री शिवचंद्र झा, संसद सदस्य	5
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हिंदी	—श्री एस० एल० शर्मा	7
हिंदी का स्वरूप	—डॉ० हरवंश लाल शर्मा	9
बदलते युग और बदलते पदनाम	—डॉ० एन० ई० विश्वनाथ अय्यर	14
द्विभाषिक स्थिति में हिंदी के प्रयोग-प्रसार की संभावनाएँ	—श्री हरिबाबू कंसल	16
अनुवाद की समस्याएँ	—डॉ० ए० रमेश चौधरी "आरिगपूडि"	19
भारत की सार्वदेशिक भाषा और प्रेमचंद	—श्री हरिशंकर	21
भारत की राजभाषा हिंदी	—श्री महेशचन्द्र गुप्त	22
राजभाषा हिंदी रेलों पर— क्यों और कैसे	—श्री मधुसूदन माथुर	23
कर्नाटक में हिंदी प्रचार	—श्री पा० वेंकटाचारी	27
रेलवे हिंदी सलाहकार समिति 14वीं बैठक का कार्यवृत्त		29
हिंदी के बढ़ते चरण		
(1) आई० टी० आई० और सरकार की राजभाषा नीति	—श्री माणिकचंद्र शुक्ल	35
(2) 'सेल' तथा इसके कार्यालयों में हिंदी	—श्री नर्वदा प्रसाद धूसिया	37
(3) नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन में हिंदी की प्रगति	—डॉ० हरीसिंह राणा	40
(4) श्रमायुक्त के कार्यालय में हिंदी	—श्री ईश्वरी प्रसाद	42
(5) बड़ोदरा के इंडियन पैट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड में हिंदी		43
आदेश—अनुदेश :		45
समाचार :		47
पाठकों के पत्र :		58

अपनी बात

"राजभाषा भारती" के अब तक नौ अंक प्रकाशित हो चुके हैं। यह दसवाँ अंक है। पिछले अंकों में प्रकाशित सामग्री का सर्वत्र स्वागत किया गया है और इसकी माँग निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके संबंध में देश के विभिन्न भागों में से जो प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं' उनमें से कुछ अंत के पृष्ठों पर प्रकाशित की जा रही हैं। पत्रिका को और व्यापक तथा साहित्यिक बनाने के संबंध में भी हमें बराबर सुझाव मिल रहे हैं किन्तु यह पत्रिका संघ के कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की गतिविधियों का विवरण एवं जानकारी देने के लिए प्रकाशित की जाती है. इसलिए हम चाहते हुए भी इसमें अहिंदी एवं हिंदी भाषा-भाषी लेखकों की साहित्यिक रचनाओं को स्थान नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी सरकारी प्रयोजनों के लिए तकनीकी क्षेत्रों में इसके प्रयोग और सम्पर्क भाषा के रूप में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी हम यदाकदा इसमें अवश्य देते हैं। पत्रिका के उद्देश्य और इसके त्रैमासिक स्वरूप के कारण बहुत-सी सामग्री जो केवल अल्पकालिक महत्व की होती है, हम नहीं दे पाते। अतः पाठकों और इसमें अपनी रचना भेजने वाले लेखकों से अनुरोध है कि वे इस पत्रिका के लिए उपयुक्त सामग्री ही हमें भेजें।

प्रायः देखा गया है कि पाठकगण पत्रिका के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया भेजते समय राजभाषा हिंदी के प्रयोग के विभिन्न पहलुओं पर हमें पत्र लिखते हैं। यद्यपि हम यथा-संभव उनके पत्रों का उत्तर देते हैं. परंतु इससे अनावश्यक रूप से हमारा काम बढ़ता है और हम उनकी शंकाओं अथवा सुझावों पर कार्रवाई नहीं कर पाते क्योंकि उनके सुझावों का संबंध अन्य अनुभागों से होता है। अतः अनुरोध है कि पाठकगण राजभाषा विभाग के अन्य अनुभागों के कार्यों और पत्रिका के संबंध में अलग-अलग पत्र लिखा करें।

हम भारत सरकार के मुख्य मंत्रालयों, विभागों तथा प्रशासनिक कार्यालयों को पर्याप्त संख्या में इसकी प्रतियाँ भेजते हैं। अतः अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों को चाहिए कि वे उन्हीं से अपने लिए पत्रिका की प्रतियों की माँग करें। इस पत्रिका की केवल 5,000 प्रतियाँ छपती हैं अतः संभव है कि कुछ सरकारी कार्यालयों, पुस्तकालयों आदि को इसकी प्रतियाँ न पहुँच पा रही हों। इसलिए अनुरोध है कि संबंधित कार्यालय ऊपर बताई गई व्यवस्था के अनुसार इसकी प्रतियाँ प्राप्त करने का प्रयत्न करें और कठिनाई होने पर हमें भी सूचित करें।

कुछ पाठक हमें हिंदी भाषा की प्रकृति, संरचना, व्याकरण, विकास, तुलनात्मक अध्ययन इत्यादि से संबंधित विषयों पर भी लेख प्रकाशित करने का सुझाव देते हैं। इस संबंध में हम सूचित करना चाहते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय, (वेस्ट ब्लाक-7, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली) से हिंदी में "भाषा" नामक एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसमें हिंदी भाषा के उपर्युक्त पहलुओं और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ तुलनात्मक विवरण इत्यादि की झाँकी भी दी जाती है। हम "राजभाषा भारती" में अधिकतर संघ सरकार के कामकाज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति पर ही सामग्री प्रकाशित करते हैं और यही हमारा उद्देश्य भी है। आशा है भविष्य में पाठकगण "भाषा" और "राजभाषा भारती" के अलग-अलग क्षेत्र को ध्यान में रख कर ही हमें सुझाव आदि भेजेंगे।

—संपादक

हिंदी बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी

—प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी

[15-4-80 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने अपने निवास स्थान पर आयोजित एक समारोह में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा नव प्रकाशित 1. हिंदी साहित्य का वृहत् इतिहास, भाग-15 (संपादक—डा० नगेंद्र) 2. उर्दू काव्य की जीवनधारा —शमसुल मौलवी मुहम्मद हुसैन आजाद की पुस्तक "आबेहयात" का हिंदी अनुवाद, अनुवादक—प्रभुनारायण गौड़ 3. आधुनिक हिंदी साहित्य मूल्य और मान्यता (लेखक—सुधाकर पाण्डेय) नामक तीन ग्रंथों का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया भाषण न्यूनतम आवश्यक संपादन के बाद सभी पाठकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है—**संपादक**]

अध्यक्ष महोदय, सुधाकर जी, रत्नाकर जी,

उपस्थित सज्जनो और बहनो !

हिंदी की जगह राष्ट्र-जीवन में क्या है उसके बारे में आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। सुधाकर जी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि हिंदी हमारे देश को और हमारे लोगों को एकता में बांध सकती है। यही उसका सबसे बड़ा गुण है और यह काम उसने किया भी है। अब देखना यह है कि कुछ लोगों के हृदय में, किसी भी कारण से क्यों न हो, कुछ भ्रांतियाँ, कुछ आशंकाएँ पैदा हुई हैं तो हम उनको किस तरह से दूर करें।

हिंदी तब बढ़ेगी जब उसमें केवल उपन्यास या कहानी ही न लिखे जाएँ बल्कि उन नए-नए विषयों, नई-नई विचारधाराओं पर पुस्तकें लिखी जाएँ जो आधुनिक दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी को ऐसा बनाना है। हम चाहते हैं कि लोग इन विषयों पर पुस्तकें लिखें जिससे दूसरे राज्यों के लोग तुरंत यह चाहें कि इसका अनुवाद उनकी भाषा में हो। इसी प्रकार से जो बाहर की किताबें निकलती हैं उनका जल्दी से हिंदी में भी अनुवाद होना चाहिए। अनुवाद अगर बहुत साल बाद होगा तो उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। कुछ किताबें तो हमेशा की होती हैं, और उनका अनुवाद हमेशा ही उचित रहता है, लेकिन बहुत-सी ऐसी नई विचारधाराएँ होती हैं जो लहर की तरह आती हैं, अपना प्रभाव डालती हैं और कुछ प्रभाव छोड़कर वह लहर खत्म

नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन करते हुए प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। दाईं ओर खड़े हैं श्री सुधाकर पांडेय और बाईं ओर हैं डॉ० रत्नाकर पांडेय, संयोजक ना० प्र० सभा, दिल्ली शाखा।

हो जाती है। इस लहर के बारे में बहुत दिन बाद में पढ़ने में वो बात नहीं रहती।

हिंदी में जितना अनुवाद होना चाहिए, वस्तिव में वह नहीं हो रहा है। राजनीति, वाणिज्य, व्यापार वगैरह के कामों के लिए तो हिंदी का उपयोग काफी बढ़ता जा रहा है, लेकिन विज्ञान और टेक्नोलोजी के लिए जो होना चाहिए वह अभी नहीं हुआ है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो मानते हैं कि हरेक शब्द हिंदी का या संस्कृत का ही होना चाहिए। मैं तो मानती हूं कि अगर दूसरी भाषा में कोई अच्छा शब्द है, जिसको लोग समझते हैं, तो उसको अपनाना चाहिए। जितनी भी बड़ी भाषाएँ हैं--चाहे वे जापानी हों, चाहे रूसी--उन्होंने दूसरे शब्द हर समय लिए हैं। भारत भी जो इतने सैंकड़ों साल से ही क्या हजारों साल से कायम है, इसके पीछे यही शक्ति रही है। उसने कभी अपने तईं दरवाजे बंद नहीं किए। उसने तो सब के विचारों को, लोगों को, जो बाहर से आए, अपने में मिला लिया। इस से हमारी शक्ति बढ़ी।

मैं अभी आसाम गई थी तो वहां के लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बचाना चाहते हैं तो आप अपने दरवाजे बन्द कर के उनको नहीं बचा सकते। उनको तभी बचा सकते हैं जब और लोग आएँ और उसको सीखें और वह जगह जगह फैले। सेन्सेस के आँकड़ों से भी देखा गया कि जितने लोग पहले असमिया भाषा बोलते थे, पिछले दस सालों बाद जो पिछला सेन्सस हुआ, उसमें असमिया बोलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई, करीब-करीब दुगुनी हो गई। इसके माने भाषा बढ़ी, उसकी शक्ति बढ़ी। यह नहीं हुआ कि यदि बंगाली भाई आ गए तो भाषा खत्म हो गई। जितने अधिक लोग कोई भाषा सीखेंगे वह भाषा उतनी ही बढ़ेगी, सुन्दर होगी, और उतने ही नए शब्द उसमें आएँगे। फिर और अधिक लोग उसको सीखेंगे।

इस समय हमें उन लोगों को विश्वास दिलाना है जो कुछ घबरा गए हैं। यहाँ से जो नारेबाजी हुई--और जैसा कि सुधाकर जी और रत्नाकर जी ने बतलाया है कि बहुत-सी बातें हुईं, बहुत नारेबाजी हुई--लेकिन भाषा को बढ़ाने का काम उतनी तेजी से नहीं हुआ। हमारे दक्खिन के लोग उससे कुछ घबरा गए। जब वहां जाओ अखबार वाले पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि क्या हिंदी हम पर थोपी जाएगी? यह वही लोग पूछते हैं जो अक्सर इसको सीखते भी हैं। हिंदी बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी और मैं समझती हूं कि कोई उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन संग-संग हमें यह विश्वास दिलाना है कि हम किसी पर उसे थोपना नहीं चाहते, किसी पर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि यह एक कड़ी है जिसके बढ़ने से, जो इस जंजीर में आएगा वह शक्ति प्राप्त करेगा, उसको आगे बढ़ने के मौके ज्यादा होंगे, वह भारत की एकता में, भारत की महानता में भाग ले सकेगा।

नागरी प्रचारिणी सभा के बारे में, मैं क्या कहूँ। आप सब जानते ही हैं कि यह एक काफी पुरानी संस्था है। लगभग 90 साल इसको हो गए हैं और यह लगातार हिंदी की और राष्ट्र की सेवा करती आ रही है। और मुझे तो पूरी आशा है कि इसी प्रकार से यह सेवा करती रहेगी। इनके रास्ते में अनेक कठिनाइयां आई हैं, सभी के रास्ते में आती हैं--और जैसा कि मैं कहती हूं, आपको तो मालूम ही है कि कोई शरीर अगर व्यायाम नहीं करेगा, कसरत नहीं करेगा तो दुर्बल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका दिमाग भी चलता नहीं रहेगा, आप चाहे कितने बुद्धिमान हों, अगर आप बिना पढ़े बैठे रहेंगे तो कहीं बहुत ऊंचा अभ्यास हो, ज्ञान हो, साधना हो, तो दूसरी बात है, लेकिन साधारण लोग हैं, तो उनका दिमाग भी खत्म हो जाता है। तो जो कठिनाई है उससे अपनी ताकत मिला सकते हैं और उससे और ताकत प्राप्त कर सकते हैं। किसी कठिनाई से किसी को कभी डरना नहीं चाहिए। यह देखना चाहिए कि कठिनाई को शक्ति में कैसे परिवर्तन करें और उसे ऊपर बढ़ने के लिए एक सीढ़ी कैसे बनाएँ। इस प्रकार आपने जो कष्ट भोगा उससे आपकी कुछ कमी नहीं हुई, बल्कि उससे आपकी संस्था और बढ़ी, उसकी क्षमता और बढ़ी।

आज मुझे इन तीनों पुस्तकों का विमोचन करने में बहुत प्रसन्नता हो रही है और यही मेरी प्रार्थना है कि इस संस्था का काम और बढ़ता रहे। आप जैसे शुभचिन्तक लोग हैं वैसे ही और बहुत से लोग भी सारे देश में हैं, यहां भी काफी अलग-अलग जगहों के अलग अलग भाषाओं के लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोग भी इसी प्रकार से अपनी भाषा को बढ़ा सकेंगे। हमें आशा है कि आहिस्ते-आहिस्ते दूसरे लोग भी, जिस तरह आज भी दूसरे लोग हिंदी सीख रहे हैं और अधिक संख्या म यह भाषा लोग सीखेंगे। अब एक छोटी-सी बात मैं कहना चाहती हूँ। मैं कल या परसों, मुझे ठीक याद नहीं किस दिन, विज्ञान भवन गई थी। आपको मालूम है कि अनुवाद के लिए कुछ भाषाएँ संयुक्त राष्ट्र ने चुनी हैं--चार या पांच भाषाएँ। यह ठीक है कि वहाँ हिंदी में अनुवाद नहीं हो सकता। लेकिन यदि हमारे देश में भाषण हों, तो उसका अनुवाद हिंदी में क्यों नहीं हो सकता। अगर अंग्रजी में हो सकता है, फ्रांसीसी में हो सकता है, चीनी में हो सकता है तो हिंदी में भी होना चाहिए लेकिन वहाँ हिंदी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। पिछले तीन साल पहले भी मैं एक दफे कह चुकी थी कि देखिए, यहाँ तो हिंदी में होना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोग भी अपनी आँख खुली रख कर, जहाँ देखें उस ओर देख कर हमारा ध्यान दिलाते जाएँ तो इनको देख कर हम और ठीक करते जा सकते हैं।

मैं फिर से आप सब को और समिति को शुभकामनाएं देती हूं। □

क्या हिंदी थोपी जा रही है ?

—शिवचन्द्र झा, संसद सदस्य

अहिंदी भाषी लोगों पर हिंदी थोपी जा रही है ऐसा कहना बड़ा ही हास्यास्पद प्रतीत होता है क्योंकि ऐसा कहने के पहले शायद हम नहीं जानते कि आखिर "थोपना" कहते किसे हैं। जब तुर्की में शासन की बागडोर मुस्तफा कमाल पाशा के हाथ में आई तो उन्होंने अपने देश के शिक्षाविदों, प्रशासकों और विशेषज्ञों की एक सभा बुलाई और उनसे पूछा कि शासन के कामकाज को तुर्की भाषा में पूरी तरह करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी। सभा की राय थी कि तुर्की भाषा में प्रशासन के काम को चलाने के लिए कम से कम 10 वर्ष तो चाहिए ही। कमाल पाशा ने उनसे आगे पूछा, "तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि दस वर्षों में सारा काम तुर्की भाषा में होने लगेगा ?" उन्होंने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया "हाँ"। इस पर कमाल पाशा ने कहा "तो फिर आप लोग ऐसा सोच लें कि ये दस वर्ष आज पूरे हो गए और कल से ही तुर्की भाषा में काम करना शुरू कर दें।"

वास्तव में यह हुआ थोपना। अब आप ही बताइए कि क्या सचमुच हिंदी भी इसी तरह थोपी जा रही है? अथवा क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही स्वतंत्रता के सुप्रभात में ऐसा किया था? हालांकि यदि वे चाहते तो स्वतंत्रता के प्रथम चरण में ही ऐसा कर सकते थे, किंतु उन्होंने कठोरता के स्थान पर उदारता का मार्ग अपनाना ही बेहतर समझा। भारत के लिए संविधान बनाते समय भी इसी भावना को प्रधानता दी गई किंतु आश्चर्य है कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग बत्तीस वर्ष से अधिक बीत जाने पर भी लोगों का अंग्रेजी के प्रति मोह आज भी बना हुआ हैं।

अंग्रेजी के समर्थक अपने पक्ष को पेश करते समय मुख्यतया दो तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला यह कि अंग्रेजी भाषा द्वारा ही बाहरी दुनिया से संपर्क करना अधिक आसान है और दूसरा, यह कि जिस तरह की हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास किया जा रहा वह इतनी दुरूह अथवा संस्कृत-निष्ठ है कि अहिंदी भाषी लोगों के लिए उसे सीखना अथवा समझ पाना काफी कठिन है।

आइए, जरा इन दोनों पहलुओं को एक-एक कर परखें। इस संबंध में पहला तर्क यह दिया जाता है कि अंग्रेजी द्वारा बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखना आसान है। यह तर्क सबसे पहले स्वयं पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ही दिया था। वे जोर देकर कहते थे कि हमें बाहरी दुनिया से संपर्क के लिए अंग्रेजी भाषा की खिड़की को खुला रखना होगा। मैं मानता हूं कि बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है किंतु यह तर्क कि यह संपर्क केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही बनाए रखा जा सकता है अब उतना प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि अब इस तरह का संपर्क रूसी, जर्मन, फ्रांसीसी, आदि अन्य भाषाओं द्वारा भी कायम रखा जा सकता है। यह सही है कि हमें अंग्रेजों की अधीनता में रहना पड़ा था। इस दौरान हम अंग्रेजी के निकट आए। अंग्रेजी भाषा से हमारा संपर्क हुआ और उसमें कामकाज करना अंततः हमें अधिक सरल प्रतीत हुआ। अन्यथा अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि भाषा की दृष्टि से अंग्रेजी कोई महान भाषा नहीं है जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता था। अंग्रेजी भाषा की लिपि को ही लें तो, जैसा कि हम जानते हैं, स्वयं जार्ज बर्नाड शा भी इसके पक्ष में नहीं थे। उनकी यह अंतिम इच्छा थी कि रोमन लिपि के स्थान पर इसके लिए किसी अन्य लिपि का आविष्कार किया जाए और इस कार्य को अंजाम देने के लिए धन की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति की वसीयत एक ट्रस्ट के नाम पर कर दी थी।

दूसरा तर्क यह है कि आकाशवाणी अथवा संचार के अन्य माध्यमों से जो हिंदी प्रसारित की जा रही है वह अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ और दुरूह होती है और सर्वसाधारण के लिए उसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इस हिंदी के पक्ष में तर्क यह दिया जाता है कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार जिन शब्दों के हिंदी पर्याय नहीं मिलते उनके स्थान पर संस्कृत से शब्द लेने से हिंदी दुरूह हो जाती है। पर क्या किसी हिंदी समर्थक ने कभी "बस" "टिकट" "कोट" "पैंट" "स्टेशन" "रेल" आदि के लिए संस्कृत से इनके पर्यायवाची शब्द खोजने का प्रयत्न किया है? ऐसा करने की उन्हें जरूरत ही नहीं महसूस हुई क्योंकि जिन शब्दों को जन-साधारण ने अपनी भाषा में आत्मसात कर लिया है उन्हें उसी रूप में हिंदी भाषा में रहना है जिस तरह "जंगल", "बाजार," आदि हिंदी के शब्द अंग्रेजी में आत्मसात होने पर उसमें रह रहे हैं। दरअसल न तो राजाभाषा अधिनयम ने और न प्रेमचंद, दिनकर, आदि विद्वानों ने ही ऐसे शब्दों के प्रयोग को अवांछनीय बताया है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि हिंदी में संस्कृतनिष्ठ शब्दों को ही ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। आकाशवाणी द्वारा प्रयुक्त भाषा भी संस्कृतनिष्ठ भाषा नहीं है। आकाशवाणी के प्रसारणों से अहिंदी भाषी श्रोताओं के मन में जो भ्रम उत्पन्न होता है इसका कारण इन प्रसारणों की शुद्ध भाषा और शुद्ध उच्चारण हैं और यही स्थिति अंग्रेजी भाषा के बारे में भी है। अमेरिका का जनसाधारण सही अंग्रेजी नहीं बोलता। "ही गो," "मी गो" "ही नो गो," "मी नो गो" आदि बोलने का वहाँ प्रचलन है। यही कारण है कि जब वहां कोई सही अंग्रेजी बोलता है तो वे उसको आड़े हाथों लेते हैं। जब हम "बर्कले" में पढ़ रहे थे और शुद्ध अंग्रेजी बोलते थे तो साधारण लोग बहुत परेशान होते थे। हमारे द्वारा बोली गई सही अंग्रेजी उन्हें

अत्याधिक बोझिल मालूम पड़ती थी। यही अवस्था हमारे यहां के अहिंदी भाषी लोगों अथवा जिनको हिंदी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान है, उन को है। उन्हें सहो हिंदी संस्कृतनिष्ठ और अस्पष्ट मालूम पड़ती है, और वे हैरत में पड़ जाते हैं। किंतु ऐसा समझना हिंदी को राजभाषा हिंदी के रूप में समझने में स्वयं में एक बहुत बड़ी नासमझी है।

इस प्रकार, जैसा कि हमने देखा, अंग्रेजी प्रेमियों के उपर्युक्त दोनों मुख्य तर्क निराधार हैं। भाषा स्वाभाविक हो, सरल हो, उसका ठीक-ठीक प्रयोग किया जाए भला इसे कौन अस्वीकार करेगा। मेरी समझ से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध भाषा का समर्थन उस भाषा को जानने वाले किसी भी भाषाविद् को नहीं करना चाहिए।

अंग्रेजी के समर्थक एक और तर्क यह देते हैं कि केवल हिंदी को ही क्यों, एक या दो अन्य भारतीय भाषाओं को भी राजभाषा क्यों नहीं बना दिया जाता। इसके समर्थन में वे पश्चिमी जर्मनी, स्विटजरलैंड और कनाडा का उदाहरण देते हुए कहते है कि वहां तो दो-दो, तीन-तीन भाषाएं राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती हैं। यहाँ भी कुछ बातों का स्पष्टीकरण करना आवश्यक प्रतीत होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाएँ राजभाषाएँ हैं। कोई भी भारतीय भाषा एक दूसरी भाषा से श्रेष्ठ अथवा हीन नहीं हैं। सभी भारतीय भाषाओं का एक महान इतिहास रहा है और सभी ने भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में अपना महान योगदान दिया है। हाँ, हिंदी को संपर्क भाषा इसलिए स्वीकार किया गया कि यही भाषा भारत में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती रही है और आज भी बोली जाती है। वास्तव में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रीय नेतागण हमेशा हिंदी को ही "राष्ट्रभाषा" कहा करते थे। राजभाषा अधिनियम के अनुसार हिंदी केवल संघ के सरकारी कामकाज़ की भाषा है। इसी प्रकार अन्य देशों में किसी एक या दो भाषा को "राजभाषा" स्वीकार करने के पीछे वहाँ की ऐतिहासिक और व्यावहारिक पृष्ठभूमि को देखना होगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उन देशों की राजभाषाओं का प्रचलन शुरू हुआ है। पश्चिमी जर्मनी को ही लें तो पाएंगे कि द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद की विषम परिस्थितियों के कारण ही फ्रांसीसी और इटालियन भाषाओं को वहाँ की आबादी के बहुत कम लोगों द्वारा बोले जाने पर भी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। क्या यही स्थिति हिटलर, वायमार रिपब्लिक या बिस्मार्क के समय में भी थी ? नहीं, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। और न यह स्थिति आज के जर्मन गणराज्य की ही है।

स्विटजरलैंड का मामला भी वहाँ की ऐतिहासिक चेतना की भिन्नता और ऐतिहासिक चेतना की एकता की भावना से जुड़ा हुआ है। यह अमरीकी क्रांति का ही परिणाम था कि कनाडा में दो भाषाओं के लिए समझौता हो सका। भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इन सभी से भिन्न है। वस्तुतः यहाँ स्थायी भाषाई एकता "संपर्क भाषा" द्वारा ही संभव हो सकती है। विभिन्न राष्ट्रभाषाओं के बीच यही प्रक्रिया कारगर हो सकती है। इसके उदाहरण के रूप में सोवियत रूस को लिया जा सकता है।

जहाँ तक बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखने की बात है, उसके लिए स्नातक उपाधि की प्राप्ति से पहले कोई भी दो विदेशी भाषाएं सीखी जा सकती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने से पूर्व, कम से कम, दो विदेशी भाषाओं को पढ़ने और लिखने का ज्ञान वांछनीय होता है। अंग्रेजी मातृभाषा होने के कारण ये भाषाएं रूसी, जर्मन या फ्रांसीसी हो सकती हैं। ऐसा ही भारत में भी किया जा सकता है। इसलिए अंग्रेजी भाषा का स्थान "संपर्क भाषा' ही ले सकती है और स्नातक उपाधि की प्राप्ति से पूर्व किसी भी विदेशी भाषा का अनिवार्य ज्ञान सरलता पूर्वक प्रारंभ किया जा सकता है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में हिंदी थोपी नहीं जा रही है और न ऐसा सोचने का कोई प्रश्न ही उठता है।

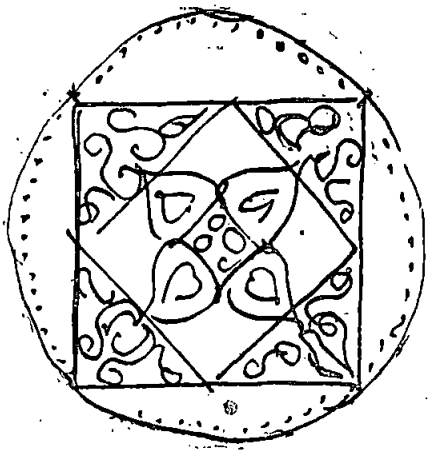

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हिंदी

—एस० एल० शर्मा

मुख्य आयुक्त अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह

हमारा देश विशाल है । यह विशालता आकार और हृदय दोनों में है । यही कारण है कि नाना रूप होते हुए भी सभी देशवासियों की आत्मा एक है, हृदय एक है। एकता की इसी भावना के कारण स्वतंत्रता मिलने से पहले सभी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान प्रदान किया, हालांकि देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता था ।

अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह भारत का ही लघु रूप है । यहाँ एक ही स्थान पर देश के सभी राज्यों के निवासी रहते हैं। देश के विशाल हृदय के अनुरूप ही द्वीपवासियों का हृदय भी विशाल है । आपसी सम्पर्क तथा एकता के लिए उन्होंने हिंदी को न केवल सबकी भाषा माना है अपितु उसे व्यवहार में भी अपना लिया है । इसलिए यहाँ भाषा विवाद नाम की वैसी कोई समस्या नहीं है, जैसी मुख्यभूमि में है । स्वतंत्रता से पूर्व सम्भवतः इसी प्रदेश में हिंदी पढ़ाने के लिए अध्यापक नियुक्त करने की माँग स्वयं जनता ने की और प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाकर हिंदी अध्यापक का वेतन स्वयं चंदा करके जुटाया और इस प्रकार हिंदी सीखने की अपनी अदम्य इच्छा की पूर्ति की । जनता द्वारा बोया गया हिंदी का वह बीज अब फलीभूत हो रहा है ।

हिंदी यानी सरल हिंदी को यहाँ के लोगों का प्यार प्राप्त है उसे बड़े लाड़ और प्यार से पाला-पोसा गया है। इसका जन्म यहीं की मिट्टी में उन आवश्यकताओं की पूर्ति और उन परिस्तियों के कारण हुआ जो 1858 में बंदी बस्ती की स्थापना के साथ उठ खड़ी हुई थीं । इस बस्ती में सभी भाषाओं के अलावा वे अंग्रेज अफसर भी थे, जो अंग्रेजी के साथ-साथ या तो उर्दू अथवा उर्दू-अंग्रेजी मिली हिंदी बोलते थे । परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे सभी लोग अपनी-अपनी मातृ-भाषाओं के अलावा आपसी संपर्क के लिए अर्थात् संपर्क भाषा के रूप में हिंदुस्तानी बोलने लगे । इस बोली को आज कई नामों से पुकारा जाता है । कोई इसे "सरल हिंदी", कोई "हिंदुस्तानी" कोई "कामचलाऊ हिंदी" कोई "उर्दू" की एक बोली, तो कोई "हिंदी की एक बोली" कहता है, लेकिन मेरे विचार से इस बोली को ठीक-ठीक नाम देने के लिए यह आवश्यक है कि इसका भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से और गहरा अध्ययन किया जाए । जो हो, स्थानीय तौर पर पनपी यह बोली उसी भाषा-संघ की अभिन्न बोली है, जिस भाषा-संघ में हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, ब्रज अवधी, मैथिली, राजस्थानी और मेवाती आदि शामिल हैं। नाम कुछ भी हो लेकिन यह इतनी सरल है कि अंग्रेजी न जानने वाले तमिल भाषा-भाषी या बंगला भाषा-भाषी या अन्य भाषा-भाषी लोग, यहाँ आते ही, 2-3 महीने में इसे सीख लेते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर एक-दूसरे के साथ भावनाओं और विचारों का आदान-प्रदान करने लगते हैं।

स्वतंत्रता के बाद इन द्वीपों में हिंदी के प्रयोग में और गहराई आने लगी । सन 1955 ई० के आरंभ में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इन द्वीपों के लिए एक शिक्षा समिति नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली के उस समय के प्रिंसिपल श्री ए० एन० बासू थे। इस शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट के सातवें अध्याय में शिक्षा के माध्यम पर विचार प्रकट किए हैं और भाषाई आंकड़ों तथा जनता एवं संस्थाओं से मिले अभिवेदनों में सम्मिलित विचारों का विश्लेषण किया है । इस समिति ने यह सिफारिश की कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को अण्डमान द्वीपों की क्षेत्रीय भाषा माना जाए और मिडिल तथा हाई स्कूल के स्तर की शिक्षा उसके माध्यम से दी जाए । नननकौरी सहित निकोबार वर्ग के द्वीप में शिक्षा माध्यम के संबंध में भी शिक्षा समिति का यही मत था । उन दिनों राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भी इन द्वीपों में हिंदी सिखाने का कार्य करती थी और इस समिति के प्रधान सचिव उस समय के मुख्य आयुक्त की धर्मपत्नी स्वयं थीं । हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनेक व्यक्तियों को 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रमाण पत्र दिए थे । इन द्वीपों में स्थानीय संस्थाओं के रूप में पोर्ट ब्लेयर में एक नगरपालिका और अण्डमान वर्ग के द्वीपों में स्थित गाँवों में ग्राम पंचायतों तथा निकोबार वर्ग के द्वीपों में निकोबारियों की अपनी परम्परागत समितियाँ हैं। ये संस्थाएं देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को अपने कामकाज की भाषा मानती हैं। उपर्युक्त शिक्षा समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि सम्पर्क भाषा के रूप में इन द्वीपों में देश की राष्ट्रभाषा को अपनाया जाए । अब शिक्षा माध्यम के रूप में कालेजों में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तथा उर्दू और सेकेंडरी स्तर पर हिंदी, बंगला, उर्दू, तमिल तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषाएं और अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होती हैं। यह व्यवस्था अपने आप में एक आदर्श व्यवस्था है और इससे भाषा-जात अल्पसंख्यक आयोग भी संतुष्ट हैं।

अण्डमान-निकोबार केन्द्र शासित प्रदेश है और उसका अपना कोई विधानमण्डल नहीं है । इसलिए केन्द्र सरकार की राजभाषाएं अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी ही यहाँ की राजभाषाएं हैं। भारत सरकार ने सरकारी काम-काज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए आवश्यक निदेश इस प्रशासन को 1962 में भेजे और तब से देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी सरकार के भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए यथा-संशोधित राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार इस्तेमाल हो रही है। जून-जुलाई 1978 में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के उप सचिव ने इन द्वीपों का दौरा किया था । उन्होंने हमारे कार्यालयों का निरीक्षण किया । अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए गए है। संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति ने भी दिसम्बर, 1976 और फरवरी, 1978 में हमारे कार्यालयों का निरीक्षण किया था । इस समिति को जो आश्वासन दिए गए थे उन सब को ध्यान में रखकर उप सचिव ने सुनिश्चित तथा क्रमबद्ध कार्यक्रम अपनाने का सुझाव दिया जिसके अनुसार वर्ष 1978-79 में प्रशासन को 15 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करना था। लेकिन यह कार्यक्रम हमें 17 फरवरी 1979 को मिला । अतएव हमने इसे 1979-80 में लागू करने का निश्चय किया और उसकी सभी मदें इस दौरान लागू कर दी गई । विवरण इस प्रकार है :—

(1) प्रारंभिक कार्रवाई के रूप में सभी कार्यालयों ने साइनबोर्ड, नामपट आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनवा लिए हैं। नगरपालिका, पोर्ट ब्लेयर ने भी सड़कों के नाम हिंदी और अंगेजी दोनों भाषाओं में लिखवा दिए हैं।

(2) लगभग सभी कार्यालयों ने अपनी-अपनी रबर मोहरें द्विभाषिक रूप में बनवा ली हैं।

(3) जो फार्म किसी कोड या मैनुअल के भाग हैं उनका हिंदी अनुवाद करने की कार्रवाई वर्ष 1979-80 में प्रारंभ कर दी गई है। इस समय "पुलिस मनुअल" और "ड्यूटीज ऐण्ड रेसपांसिबिलिटीज आफ ए हेड आफ आफिस" नामक पस्तिका का अनुवाद हिंदी में तैयार है। अब इन्हें द्विभाषिक रूप में छपवाने का प्रबंध किया जाएगा।

(4) बड़े-बड़े कार्यालयों ने इस वर्ष हिंदी का एक एक टाइपराइटर मंगवा लिया है। कई कार्यालयों ने हिंदी टाइपराइटर मंगवाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(5) कर्मचारियों को हिंदी टाइपिंग सिखाने के लिए प्रशासन ने पोर्ट ब्लेयर में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया है । जनवरी, 1980 में 23 प्रशिक्षणार्थियों के पहले दल ने परीक्षा दी । इस समय विभिन्न विभागों के 26 लिपिक हिंदी टाइपिंग सीख रहे हैं। हिंदी आशुलिपि सिखाने के लिए भी शीघ्र व्यवस्था की जा रही है।

(6) प्रशासन के जिन कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें हिंदी सिखाने के काम में तेजी लाने के लिए पथक् से हिंदी प्राध्यापकों की भर्त्ती की जा रही है । अभी तक यह काम गृह मंत्रालय की पोर्ट ब्लेयर स्थित हिंदी शिक्षण योजना करती रही है जिसमें सिर्फ एक प्राध्यापक हैं।

(7) वर्ष 1979-80 में मुख्य आयुक्त सचिवालय में तथा अन्य निदेशालयों/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी गठित कर दी गयी है । इनमें से कुछ कार्यान्वयन समितियों की बैठकें भी हुई हैं।

(8) केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् द्वारा प्रकाशित "कार्यालय सहायिका" तथा उनके अन्य कार्यालय साहित्य का एक एक सेट और कई पैम्फलेट सभी कार्यालयों/विभागों को दे दिए गए हैं, ताकि वहां कामकाज हिंदी में करने में आसानी हो।

(9) कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा देने के लिए वर्ष 1978-79 से मुख्य आयुक्त सचिवालय और वन विभाग में नकद पुरस्कार योजना लागू की गयी । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 के पुरस्कार देने के लिए कार्रवाई की जा रही है । कर्मचारियों को कुछ और सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के साथ लिखा-पढ़ी चल रही है।

(10) मैनुअलों, कोडों, नियमों तथा विनियमों आदि का हिंदी में अनुवाद करने के लिए आवश्यक साधन जुटा लिए गए हैं। कानूनी किस्म के अनवाद के लिए भारत सरकार के विधि मंत्रालय के साथ पत्र व्यवहार हो रहा है।

(11) मुख्य आयुक्त सचिवालय के विभिन्न अनुभागों और कई कार्यालयों ने वर्ष 1980 में खोली गई फाइलों पर विषय हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखवा लिए हैं। विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों में हिंदी प्रयोग की स्थिति मालूम करने के लिए उनसे तिमाही प्रगति रिपोर्ट मगाई जाती है। प्रशासन के हिंदी संबंधी आदेश सभी विभागों/कार्यालयों को एक ही स्थान पर सुलभ हों, इस विचार से प्रशासन के राजभाषा अनुभाग ने हिंदी आदेशों का एक संकलन तैयार कर लिया है जो द्विभाषी रूप में छपने के लिए इस समय प्रेस में है।

(शेष पृष्ठ 18 पर)

हिंदी का स्वरूप

—डा० हरवंशलाल शर्मा

भू०पू० अध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली

(केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पच्चीसवें सत्र की समाप्ति पर दिनांक 27-3-80 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अध्यक्ष डा० हरवंशलाल शर्मा ने जो दीक्षान्त *भाषण दिया, उसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।)

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज श्री मालवीय जी के सौजन्य से आप लोगों के संपर्क में आया। सौभाग्य इसलिए नहीं कि यहां कुछ लोगों को पुरस्कार वितरण करने का अवसर मुझे प्रदान किया गया; बल्कि सौभाग्य इसलिए कि राजभाषा की इस सशक्त कड़ी में सक्रिय सहयोग देने वाले उन नवयुवकों और नवयुवतियों से सम्पर्क हुआ जिनसे हमारे राष्ट्र को, राष्ट्र भाषा को और राजभाषा को बड़ी आशाएं हैं।

एक प्रकार से यह समापन समारोह दीक्षांत समारोह कहा जा सकता है। हमारे देश में दीक्षांत समारोहों की परंपरा बड़ी लंबी है लेकिन दुर्भाग्य से ये समारोह केवल औपचारिक बन कर रह गए हैं।

'शिक्षा' और 'दीक्षा' दो शब्द हैं। इन दोनों में जरा अंतर है। शिक्षा के अनंतर दीक्षा प्राप्त की जाती है। दीक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं : Initiation (इनीशिएसन) और यह धर्म से संबद्ध शब्द रहा है। अर्थात बाह्य आवश्यकताओं जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार विषयक हमारी सुख सुविधाओं को जो जुटाती है वह शिक्षा है और जो इनका संबंध हमारी आत्मा से कराती है वह दीक्षा है। इसलिए आपको यह समझ लेना चाहिए कि यदि यह समापन समारोह दीक्षांत समारोह है तो आपका कर्त्तव्य बहुत कुछ बढ़ जाता है। इस दृष्टि से मैंने कहा कि मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि उस साक्षात कड़ी से मेरा संपर्क हुआ जो कड़ी राजभाषा की शृंखला के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकती है।

अनुवाद की समस्याएँ, उनका स्वरूप, समस्याओं का समाधान तीन महीने से आप बराबर सुनते रहे हैं। उनकी पुनरावृत्ति करना पिष्टपेषण मात्र होगा। यदि मैं यह कहूँ कि आप अनुवाद इस प्रकार से करें और ये समस्याएँ आएँगी और ये उनके समाधान होंगे तो आप कहेंगे कि इस भाषण के सुनने से विशेष लाभ नहीं होगा।

वास्तव में भाषण के दो प्रयोजन होते हैं। एक श्रोता और वक्ता का तादाम्य; दूसरा वक्ता के लिए कुछ नवीन बोध, चाहे वह युग बोध हो, चाहे शास्त्र बोध और चाहे यथार्थ बोध। यदि इन दो आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भाषण से नहीं होती तो भाषण केवल झाँझ की झंकार मात्र होता है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता। जहाँ तक पहले प्रयोजन का संबंध है अर्थात तादात्म्य का, मैं आपकी चेष्टा और मुद्रा से यह अनुभव कर रहा हूं कि वक्ता और श्रोता का, वक्ता और बोद्धव्य का, तादात्म्य विद्यमान है। अब हमें बैठकर यह विचार करना है कि इस तादात्म्यपूर्ण वातावरण में, इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में, हमको किन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए जो हमारे विषय से संबद्ध हों, उपयोगी हों और वास्तव में योगदान के रूप में स्वीकार किए जाएँ।

इसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष है—अनुवाद की समस्याएं, अनुवाद का स्वरूप, उन समस्याओं का समाधान और दूसरा पक्ष यह है कि आप लोगों का राजभाषा के प्रति अनुवादक के रूप में, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के रूप में क्या योगदान हो सकता है और किस प्रकार योगदान हो सकता है। पहली बात के विषय में मैं यहाँ नहीं कहूँगा। क्योंकि इस पर आप बहुत सुन चुके हैं। यहां के जो अधिकारी हैं तथा जो अतिथि वक्ता आए हैं उनसे प्रतिदिन आप यही बातें तो सुनते रहते हैं।

दूसरे पक्ष पर अवश्य कहूंगा। वास्तव में हमें एक व्यापक परिवेश में, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में, विशिष्ट परिस्थितियों में अनुवाद के दायित्व का गहन अध्ययन करना होगा।

*यह भाषण का शब्दशः टेप किया हुआ रूप है।

विशेषकर उस अनुवाद के दायित्व का जो कि राजभाषा का एक अंग है । राजभाषा का इतिहास पुराना पड़ चुका है और 1950 से लेकर 1980 तक, इन 30 वर्षों में हम इस चर्चा को बराबर सुनते रहे हैं; चाहे साधारण नागरिक के रूप में, चाहे अध्यापक के रूप में, चाहे कर्मचारी के रूप में, चाहे अधिकारी के रूप में। लेकिन प्रश्न अभी तक ज्यों का त्यों बना हुआ है और समस्या पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है । पहली बात विचारणीय है कि इस प्रश्न चिह्न को दूर करने में, इस समस्या के समाधान में, आपका क्या योगदान हो सकता है ? गत तीस वर्षों के इतिहास को मैं नहीं दोहराना चाहता कि 1950 से लेकर जब हमारे संविधान की स्वीकृति हुई और 1952 से लेकर जब शब्दावली का काम आरंभ हुआ, भारत सरकार ने क्या-क्या काम किए, कितने-कितने आयोग बैठाए और उन आयोगों की सिफारिशों के फलस्वरूप क्या-क्या काम हाथ में लिए गए । राजभाषा के काम का एक स्वरूप तो यह अनुवाद ब्यूरो भी है और यह अनुवाद ब्यूरो एक विशिष्ट कार्य के लिए है, विशिष्ट प्रकार के अनुवाद के लिए है । आरंभ से लेकर अब तक गृह मंत्रालय के जितने आदेश और अनुदेश निकलते रहे तथा 1963, 1967 में जो अधिनियम बने उनकी भी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मैं यह भी नहीं बताना चाहता कि संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा के संबंध में, भारतीय भाषाओं के संबंध में, किस प्रकार का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, लेकिन मैं आपको यह सम्मति अवश्य दूंगा कि कम-से-कम इन दोनों पक्षों का आप थोड़ा सा अध्ययन अवश्य करें। अर्थात् संविधान के 343वें अनुच्छेद से लेकर 351 वें अनुच्छेद तक का सम्यक् अध्ययन अवश्य कर लें। दूसरे राजभाषा के इतिहास पर भी आपका विश्लेषणात्मक अध्ययन होना चाहिए ।

जब मैं राजभाषा की बात करता हूं तो राष्ट्रभाषा की बात भी करूंगा । इसलिए यहां थोड़ी सी यह बात समझ लेनी चाहिए कि यदि हिंन्दी के संदर्भ में बात करते हैं तो वह संदर्भ तीन प्रकार से रूपायित होता है । **राष्ट्रभाषा का रूप, राजभाषा का रूप और संपर्क भाषा का रूप ।** राष्ट्रभाषा यानी "नैशनल लैंग्वेज' या 'लिंग्वाफ्रैंका' शब्दों से कुछ लोगों को विरोध हो सकता है। होना भी चाहिए। यदि हम हिन्दी को 'नेशनल लैंग्वेज' कहते हैं तो दूसरी जो हिंदीतर भाषाएं हैं वे नेशनल लैंग्वेज नहीं हैं । इसलिए यह निर्णय किया गया है कि जब 'नेशनल लैंग्वेज' शब्द का प्रयोग होगा तो सभी भारतीय भाषाएं 'नेशनल लैंग्वेज' कहलाएंगी । खैर, यह एक अलग बहस है। लेकिन राष्ट्र भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा---ये तीनों शब्द निस्संदेह बहुत जोर से उभर कर हमारे सामने आए हैं।

एक बात तो मैं यह बता दूं कि तीनों का भेद एक बड़ी भारी भ्रांति है और वह भ्रांति अनेक भ्रांतियों को जन्म देने वाली है । राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्कभाषा यदि यों किसी भाषा के तीन रूप हों और चौथा क्षेत्रीय भाषा का रूप भी हो तो किसी भी भाषा की जो दुर्गति हो सकती है वही दुर्गति हमें हिंन्दी की देखनी होगी । तो यह केवल संकेत रूप से मैं आपसे कह रहा हूं कि राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा को हम एक कर दें और राजभाषा को भी उनके साथ एक कर दें, व्यवहार की दृष्टि से । परमार्थ की दृष्टि से नहीं, यथार्थ की दृष्टि से भी नहीं, केवल व्यवहार की दृष्टि से । और यदि कहें कि राजभाषा और संपर्क भाषा एक हैं तो इससे भी काम आगे नहीं चलेगा क्योंकि संपर्क भाषा बोलचाल की भाषा होगी, **प्रेषणीयता की भाषा** होगी, आपस के व्यवहार की भाषा होगी, टूटी-फूटी भाषा होगी, दूसरी भाषाओं के वाक्यांशों को लिए हुए भाषा होगी और उसमें क्षेत्रीयता बहुत अधिक होगी । राजभाषा की कल्पना उससे भिन्न है । उसमें **विविधिता और क्षेत्रीयता को** बढ़ावा दिया जाए तो वह घातक हो सकता है और कम से कम विधि के क्षेत्र में और बहुत से क्षेत्रों में तो बहुत ही घातक हो सकता है । राजभाषा एक टैलीग्राफिक भाषा होती है । जिसमें टिप्पणी, टिप्पण, आलेखन, प्रारूपण और ऐसी ही बहुत ही चीजों की आवश्यकता होती है । आज हम उसी राजभाषा की चर्चा करेंगे । राष्ट्रभाषा व संपर्कभाषा की मैं चर्चा नहीं करूंगा ।

यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है । भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बहुत सी संस्थाओं में, वर्ष में दो तीन बार मुझे जाने का, इन बातों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है और मैं जानता हूं कि नब्ज कहां कमजोर है, और कहां मजबूत है और दिल की धड़कन कहां है, दिमाग कहां है और पैर दुरूस्त हैं या नहीं, पैर सधकर चल रहे हैं या नहीं । बहरहाल, समस्या राजभाषा की है । उस राजभाषा से संबद्ध ही आपके अनुवाद का प्रशिक्षण है यानी आप उस राजभाषा के क्रियान्वयन के लिए यहां प्रशिक्षण लेने आए हैं । यों मूल पक्ष यह है कि आपका जो प्रशिक्षण है वह राजभाषा के विभिन्न पक्षों के क्रियान्वयन के लिए है। सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी वास्तव में राजभाषा के क्रियान्वयन में रीढ़ की हड्डी हैं यदि यह कहा जाय कि आप राजभाषा क्रियान्वयन में रीढ़ की हड्डी हैं अर्थात् राजभाषा के क्रियान्वयन में आपका विशिष्ट स्थान है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी । तो पहला प्रश्न आपके सामने यह उपस्थित होता है कि क्या राजभाषा के क्रियावयन में आपने अपने को राजभाषा के सारे ढाँचे में रीढ़ की हड्डी माना है ? मैं समझता हूं कि जितने भी प्रशिक्षणार्थी यहाँ से जाते हैं, वे बड़े-बड़े वादे करके जाते हैं, बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञाएं होती हैं, बड़े-बड़े प्रण होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ अपने आलस्य से, कुछ अपनी अज्ञानता से, वह बात पूरी नहीं कर पाते । तो दीक्षांत भाषण में जो पहली बात आपको कहना चाहता हूं वह यह है कि आप राजभाषा

के क्रियान्वयन में अपना एक विशिष्ट स्थान मानें। यदि आप यह मान लेते हैं तो हम दूसरी बात पर आते हैं।

दूसरी बात यह है कि उसका क्रियान्वयन आप किस तरह से करेंगे। आप कहेंगे कि हम जो टिप्पण तैयार करते हैं, जो नोट्स लिखते हैं, उनको हमारे अफसर समझते ही नहीं। आप यह भी कहेंगे कि टिप्पण तैयार करने में कठिनाई का अनुभव होता है। आप यह कहेंगे कि हमारा अभ्यास तो अंग्रेजी का हो गया है और अंग्रेजी का अभ्यास होने के कारण हमें हिंदी में लिखने में बड़ी कठिनाई होती है। आप यह भी कहेंगे कि जो पारिभाषिक शब्दावली बनी है वह हमको प्राप्त नहीं होती। आप यह कहेंगे कि जो पद्यांश और वाक्यांश अंग्रेजी के हैं उनका अनुवाद करने में हमको बड़ी कठिनाई होती है। आप यह भी कहेंगे कि जिस प्रकार का अनुवाद हम करते हैं उसमें कम्युनिकेबिल्टी या प्रेषणीयता नहीं होती। ये हैं आपकी समस्याएं। यही हैं आपकी वे प्रमुख समस्याएं जिनके कारण आप रीढ़ की हड्डी बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते।

चलो, हम बैठकर इस बात पर विचार करें कि कौन सा वह मार्ग निकालें, जिस को अपनाकर साँप मर जाए और लाठी भी न टूटे। यह बड़ा मुश्किल काम है। बात यह है कि जब हम साँप को मारने लगते हैं तो लाठी के 10-20 प्रहार तो जमीन में करते ही हैं। वहीं टूट जाती है लाठी। साँप पर तो चोट पड़ती नहीं। तो प्रश्न इस समस्या का समाधान करने का है कि आप सुगमतापूर्वक काम भी करते रहें, अफसर भी आपसे नाराज न हों, हिंदी का चोगा भी थोड़ा सा पहन लें और चाहें तो कभी बदल भी लें। इन समस्याओं के समाधान अलग-अलग हैं। लेकिन हमको दो-तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो हमको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम जो लिखने वाले हैं और जिनके लिए लिख रहे हैं, उनमें तालमेल बिठा कर लिखें। अनुवाद का सबसे पहला और मुख्य प्रयोजन तो यही है। यदि आपका अनुवाद ऐसा है कि पाठक पढ़वाता फिरे बहुत से लोगों के पास, तो उससे कोई लाभ नहीं है। तो पहली बात यह है कि अनुवादक, अनुवादकृत या अनूदित सामग्री और जिसके लिए अनुवाद कर रहे हैं वह व्यक्ति—इन तीनों में आप किसी न किसी प्रकार संबंध स्थापित करें। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।

एक तो यह कि यदि आपके पास सरकार द्वारा स्वीकृत शब्दावली नहीं है तो आप उसी शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं जिस शब्दावली का प्रयोग आज तक करते आए हैं। दूसरी बात यह कि भाषा को कम जानने वाले जो अधिकारी हैं, आप उनकी शब्दावली का, अनुवाद-शैली का, किसी तरह से उपहास नहीं करें। तीसरी बात यह ध्यान में रखें कि हिंदी के प्रति लोगों में सहानुभति पैदा हो, घृणा पैदा न हो। अभी तो स्थिति यह है कि लोगों में प्रेम पैदा नहीं होता, घृणा पैदा होती है। घृणा के स्थान पर सहानुभति न हो तो भी कम-से-कम उदासीनता तो हो। उदासीनता बहुत अच्छी नहीं लेकिन जहां प्रेम घृणा में बदलता है उससे तो ठीक ही है। घृणा तो वास्तव में असह्य है। तो आज स्थिति यह है कि हिंदी के प्रति प्रेम की बात तो दूर, सहानुभूति भी नहीं है, तटस्थता भी नहीं है, उदासीनता भी नहीं है। बल्कि भय है या घृणा है। इस बात को आप कैसे दूर कर सकते हैं यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको दूर करने का उपाय यही है कि आपको हिंदी के लिए कम से कम थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। इसके लिए और समय देना पड़ेगा। संभव है कि आपको कुछ शब्द कोषों से ढूंढने पड़ें। कुछ शब्द आपको अंग्रेजी के ज्यों के त्यों लिखने पड़ें।

दूसरी बात यह कि आप कभी-कभी अपने सहयोगियों के पास बैठकर उन्हें बताएं कि भई आज हिंदी में यह कर लीजिए, कल से यह कीजिए। इस तरह उन्हें सहयोग देकर, समझा कर, प्रोत्साहन देकर हिंदी लिखने में प्रवृत्त करें।

तीसरी बात यह कि हम हिंदी जानने वालों का परिहास न करें। उनकी भूलें दूसरों को दिखाते न फिरें कि देखो ह्रस्व की जगह दीर्घ लिखा है, हाथी आई लिखा है। ऐसे दोष दिखाना बुरी बात है। हम हिंदी वालों में यह दोष बहुत है और संस्कृत वालों में उससे भी ज्यादा। संस्कृत हमारी संस्कृति की, हमारी परंपराओं की, हमारे धर्म की, हमारे ईमान की, परंतु सर्वाधिक हमारे द्वेष और राग की भाषा है। संस्कृत के पंडितों की वही बात उतर कर हिंदी के लोगों में आ गई है। हमें यह आदत छोड़नी होगी। पहले तो वातावरण बनाना पड़ेगा। यदि वास्तव में आप हिंदी में काम करना चाहते हैं, हिंदी में काम ही नहीं राष्ट्रीय एकता चाहते हैं तो अनुकूल वातावरण बनाना पड़ेगा। यह बहुत ही आवश्यक है।

इसी तरह शब्दावली की बात है। शब्दावली का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और यह बहुत उलझनमय है। मुझे यहाँ वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में 5 वर्ष काम करते हो गए हैं अतः बहुत से कारणों से जुबान बंद भी है। प्रोफेसर रहते हुए तो बहुत सी बातें खुलकर कह सकते थे अब कुछ थोड़ा सा सरकारी नौकरी का लगाव तो है ही, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे कहता हूं कि जब राजभाषा का इतिहास लिखा जाता है, उसकी परंपराएं लिखी जाती हैं तो महमूद गजनवी से लेकर अंग्रेजों के समय तक हमको इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि हिंदी के बहुत से शब्द और बहुत सी शब्दावली ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती थी, जब कि राजभाषा फारसी थी तब भी। महमूद गजनवी के सिक्कों में, महमूद गजनवी के बहुत से कागजों में, बहुत से फरमानों में, बहुत से अभिलेखों में इस बात के प्रमाण हमको मिलते हैं कि हिंदी का राजभाषा काल बहुत पुराना है। लेकिन उस समय शब्दों का दारिद्र्य नहीं था। आज शब्दों का दारिद्र्य है। क्या इस बात पर अब

तक कभी आपने ध्यान दिया कि क्यों दारिद्र्य है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद आपको पता नहीं, कि इसका दारिद्र्य इसलिए है कि इन हिंदी के शब्दों का अनुवाद फारसी में जबर्दस्ती किया गया और जब अंग्रेजी राजभाषा बनी तो उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया और जब हिंदी के राजभाषा बनने की बात हुई तो उसके अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। यों मूल शब्द खो गए। कितने ही शब्द ऐसे हैं। मैं तो कहता हूँ कि उर्दू के शब्दों का प्रयोग आप करें, फारसी के शब्दों का प्रयोग करें, आज गांव का आदमी बानूनी भाषा में उन उर्दू के शब्दों को, फारसी के शब्दों को ज्यादा जानता है, दुर्भाग्य से हिंदी के शब्दों को नहीं जानता। तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि पहले हमारे शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और अब हम उस अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय ढूँढ़ते हैं, मूल शब्द से भिन्न। चाहिए तो यह कि हम उन मूल शब्दों को खोजें। इस विषय में पहले मैंने एक योजना बनाई भी थी। अब मैं मुनीश गुप्त जी से प्रार्थना करूँगा कि राजभाषा विभाग में यह काम होना चाहिए और इस प्रकार के शब्दों की कमी नहीं है। जैसे कृषि है, आयुर्वेद है। बहुत से पेशे हैं, उनकी अपनी शब्दावली है। लेकिन उन शब्दों को कभी हमने ग्रहण ही नहीं किया। आज रोजमर्रा के प्रयोग में न मालूम ऐसे कितने शब्द आते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि शब्दावली का प्रयोग करें तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय और आयोग की शब्दावली के पक्ष में ही ज्यादा न हों। जो शब्दावली आपके सामने आ जाए उसका ही प्रयोग करें। यह आवश्यक नहीं है कि आप अनुवाद करते समय प्रत्येक शब्द को ढूंढ़ने के लिए शब्दकोश खोल करके बैठें। यह ध्यान रखेंगे तो आप एक बहुत बड़ा काम करेंगे और राजभाषा का बहुत बड़ा लाभ होगा।

एक और बात यह है कि संविधान में राजभाषा विषयक अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि राजभाषा का स्वरूप क्या होना चाहिए। वह भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम हो। यह बहुत बड़ी बात है यह बात शब्दावली पर भी लागू होती है और दूसरी जगह भी लागू होती है। और बहुत से पेशे ऐसे हैं जो क्षेत्रीय हैं जैसे समुद्रों के किनारे जहाजरानी का काम है या बहुत से व्यवसाय ऐसे हैं जो उत्तर भारत में नहीं हैं, दक्षिण भारत में ह उनके बहुत से शब्द ऐसे हैं कि जो प्रयोग में आ गए हैं। यदि हम उनको छाँट-छाँट कर निकाल दें कि यह हिंदी का शब्द नहीं है और उसके स्थान पर संस्कृत के शब्द लाएं या अंग्रेजी का शब्द लाएं तो यह प्रवृत्ति बड़ी गलत है। इसके अतिरिक्त आप जिस भाषा का भी शब्द प्रयोग कर सकें, खुल कर प्रयोग करें।

मैं तो यही कहता हूँ कि राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाने वाले अहिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी नहीं। हिंदी भाषियों का उच्चारण, हिंदी भाषा की शब्दावली एक विशेष प्रकार की हो सकती है किंतु जब वह राष्ट्रभाषा होगी तो सारे देश की भाषा होगी। जब वह पूरे देश की भाषा होगी तो उसमें अहिंदी भाषियों की प्रयुक्तियां होंगी उनकी अभिव्यक्तियां होंगी, उनकी शब्दावली होगी।

अब अभिव्यक्तियों के संबंध में विचार कीजिए। प्रायः अभिव्यक्ति में आपको बड़ी कठिनाई आती होगी। परन्तु जैसा कि मैंने बतलाया यदि कोई टिप्पण आपको तैयार करना है; प्रारूप तैयार करना है तो उसमें महत्व वास्तव में शब्दों के काठिन्य का नहीं है। उसमें भाषा की गरिमा का उतना प्रश्न नहीं है जितना की प्रेषणीयता या कम्युनिकेबिलिटी का है। आपकी अभिव्यक्ति कितनी प्रेषणीय या कम्युनिकेबल है। यदि इसमें कम्युनिकेबिलिटी या प्रेषणीयता है तो वह ठीक है और नहीं है तो आपको इसकी चिंता करनी है। एक और बहुत आवश्यक बात यह है कि हिंदी को आपको अनुवाद की भाषा नहीं बनाना है। यदि कोई भाषा अनुवाद की भाषा होती है तो वह भाषा भाषा नहीं हो सकती और हिंदी जैसी भाषा जिसको हम 'भारतीय' कहते हैं, जिसको हिंदी कहते हैं, जिसको इतने लोग बोलते हैं, उसको दो प्रतिशत बोलने वाले लोगों की गोद के हवाले कर देना, यह कहकर कि तुम्हारी लकड़ी के सहारे हमारी भाषा खड़ी है, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि कोई लांछन हमारी भाषा पर नहीं हो सकता।

मैं मानता हूँ कि अनुवाद तो हमको करना ही पड़ेगा लेकिन यह संक्रमणकाल कब तक चलता रहेगा। हम कब तक यही कहते रहेंगे कि संक्रमण काल है, संक्रमण काल है। 30 वर्ष तो हो गए और ऐसे ही बीत जाएँगे। आज भी जब सभा-सोसाइटी में कोई बात होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम 1947-48 में बात कर रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्र भाषा क्यों होना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा किसलिए होना चाहिए। उसमें शब्दावली नहीं है आदि। बड़ा आश्चर्य होता है कि हम कहाँ तक बढ़े हैं, विज्ञान कहाँ तक बढ़ गया, चाँद पर पहुँच गए, बृहस्पति पर पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं और ग्रहों पर पहुंच गए और हम हिंदी को घूम-फिर करके वहीं सन् 1946-47 की स्थिति में ले जाते हैं। यह ठीक नहीं है। इसलिए आपको हिंदी को अनुवाद की भाषा नहीं बनाना है। लेकिन अनुवाद के बिना काम भी नहीं चलेगा। अतः अनुवाद तो करना ही है पर अनुवाद के साथ-साथ हिंदी की प्रकृति, हिंदी की सहजता, हिंदी की मुहावरेदानी, हिंदी की रवानी जो कि उर्दू के बहुत निकट है, उसकी चुस्तगी और वरदस्तगी हिंदी में आनी चाहिए।

लेकिन आज का अनुवादक हिंदी की प्रकृति की परवाह नहीं करता। 'ऐज सून ऐज यू कैन'—क्या अनुवाद है इसका? इसका ज्यों का त्यों अनुवाद कर देते हैं—"यावत् शक्त शीघ्र', यही है न? 'जल्दी से जल्दी' कोई नहीं

करेगा । 'शिकायत' के लिए ढूंढते फिरते हैं, क्या शब्द है 'परिवाद' । 'शिकायत' कोई नहीं कहता है । परिवादी मर भी लेगा जब तक शिकायत की सुनवाई होगी। 'आव-आव' कहते हुए प्राण निकल गए और पानी नीचे रखा रहा।

कहने का अभिप्राय यह है कि प्रवाह और प्रकृति ये बहुत ही आवश्यक है। 'सड़क निर्माणाधीन है, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन'। इसका अनुवाद ज्यों का त्यों कर दिया गया है। यह नहीं कहते कि 'सड़क बन रही है'। वह गले में अटकता है। 'सड़क' भी नहीं कहते हैं। बस कह दिया 'मार्ग'। सब जगह 'मार्ग' लिखते हैं। यह पता नहीं, कि मार्ग तो संपद्राय होता है जैसे आप कौन से मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह बहुत ही आवश्यक है कि हम भाषा के प्रवाह को, प्रेषणीयता को, उसकी मुहावरेदानी को, अपनी दृष्टि से ओझल न होने दें।

एक बात और। वह यह कि यदि हम शब्दावली के संबंध में, अभिव्यक्तियों के संबंध में, प्रयुक्तियों के संबंध में यही करते रहेंगे तो हिंदी का स्वरूप क्या बनेगा। यह बड़ी भारी समस्या है। यह बहुत बड़ा काम राजभाषा विभाग का है। हिंदी की कितनी संस्थाएं आज काम कर रही हैं। आगरे का एक संस्थान है। एक बहुत बड़ा संस्थान हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय है। राजभाषा विभाग भी है। लेकिन इनमें से कोई भी हिंदी के स्वरूप निर्धारण के संबंध में 10-20 पुस्तकें, सामग्री तैयार करके दे दें कि वास्तव में राजभाषा के रूप में हम किस हिंदी को अपनाना चाहते हैं, किस सामग्री को अपनाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। यह बहुत ही आवश्यक है। हिंदी की शैली को क्षति पहुंचाकर हम विकृत अनुवाद को ग्रहण नहीं कर सकते। हमें हिंदी को वास्तव में स्वरूप देना पड़ेगा और हिंदी को स्टैंडर्ड हिंदी बनाना पड़ेगा। ये कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही आवश्यक हैं।

वास्तव में आप लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी का काम सचमुच कर सकते हैं। जो लोग सड़कों पर चिल्लाते हैं, जो नारे-बाजी करते हैं, वे तो वोट लेने के लिए हिंदी और दूसरी भाषाओं की बातें करते हैं। उनका कोई योगदान नहीं हो सकता। वे तो यही सोचते हैं कि शायद हिंदी-हिंदी कहने से वोट मिल जाए या हिंदी का विरोध करने से वोट मिल जाए। मैंने तमाशा देखा है कि जो प्रत्याशी चुने जाने से पहले हिंदी के नाम की रोटी खाते थे, हिंदी का पानी पीते थे, हिंदी के नाम से घूमते थे, हिंदी के नाम से टहलते थे, हिंदी के नाम से कपड़े पहनते थे, वे चुने जाते ही अंग्रेजी बोलने लगे। कुछ ऐसा ही प्रवाह चला। मैं तो रोज देख रहा हूं कि हिंदी की जगह अब अंग्रेजी पूरी तरक्की से आ रही है। बड़े जोरों-शोरों से। हमारे केंद्रीय हिंदी निदेशालय से अगर कोई टिप्पण हिंदी में जाता है तो वापस आ जाता है कि इसका अनुवाद अंग्रेजी में करके भेजो। मैं आपकी सूचना के लिए यह बात कह रहा हूं। इसलिए कि यह बात आपको करनी है। नेताओं को यह बात नहीं करनी है। नारे-बाजी से यह काम नहीं हो सकता और क्योंकि आप में आठ-नौ छात्र ऐसे हैं, नौ प्रशिक्षणार्थी ऐसे हैं, जो अहिन्दी भाषी हैं। नौ तो बहुत होते हैं। रत्न हैं। वे नौ रत्न अपने मूल्य को समझें। यदि नौ रत्नों ने यह समझा कि मुलम्मा चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, तो मुझे कुछ नहीं लेना है। लेकिन वे नवरत्न यदि आज प्रतिज्ञा कर लें कि वास्तव में हमको यह काम करना है, अहिंदी भाषियों में हमको हिंदी के प्रति प्रेम पैदा करना है, घृणा को हटा देना है, सहानुभूति रखनी है, उपेक्षा हटा देनी है, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। वास्तव में आप कच्चे कीर्ति स्तंभ हैं और सच्चे दीप स्तंभ हैं और प्रकाश दिखाने वाले हैं; जो कि इस काम को ठीक कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से बड़ी आशाएं रखता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस ओर अवश्य कुछ कार्य करेंगे। इसके साथ में केवल राजभाषा का प्रश्न नहीं है। इसके साथ में राष्ट्रीयता का प्रश्न जुड़ा हुआ है, इसके साथ में आपकी संस्कृति का प्रश्न जुड़ा हुआ है, भारतीय संस्कृति का प्रश्न जुड़ा हुआ है। यह एक छोटी-सी बात नहीं है, आज हमारे राष्ट्र के चरित्र का निर्माण नहीं हो सका। आज हम राष्ट्रीयता को नहीं समझ सके। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को हृदयंगम नहीं कर सके। आज हम में सहिष्णुता का भाव नहीं आया है, आज हम में आत्मसात् करने की शक्ति नहीं रह गई है। आज हम में वास्तव में अध्यात्म की मूल चेतना नहीं आ सकी है। क्या कारण है ? कारण यही है कि हम भाषा के प्रश्न को उलझाते हैं। भाषा के प्रश्न को उलझाना, संस्कृति के प्रश्न को उलझाना है। भाषा के प्रश्न को उलझाना, राष्ट्रीयता के प्रश्न को उलझाना है। यह सरकार के बस का काम नहीं है, वह नागरिकों के बस का काम है, आप लोगों के बस का काम है। आप एक-एक व्यक्ति, एक-एक दफ्तर में राजभाषा हिंदी के राजदूत हैं। अपने कर्त्तव्य को पहचानें, निष्ठा के साथ काम करें। आपका मंगल हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

□

बदलते युग और बदलते पदनाम

—एन० ई० विश्वनाथ अय्यर
अध्यक्ष, हिंदी विभाग कोचिन विश्वविद्यालय, कोचिन

मैं जिस कोचिन नगर स्थित विश्वविद्यालय में कार्य कर रहा हूं उसका इतिहास पुराना है। कुछ सदियों के पहले कोचिन के आस-पास कई छोटी-छोटी रियासतें थीं जिनके अलग-अलग राजा होते थे। बाद में पुर्तगाली, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। अब तक सभी छोटे राज्य कोचिन या ट्रावंकोर में शामिल हो चुके थे। अंग्रेजों के शासनकाल में केवल कोचिन और ट्रावंकोर रियासतें थीं। स्वतंत्र भारत में कोचिन रियासत को पहले ट्रावंकोर रियासत से मिलाकर समाप्त किया गया। अब तो ट्रावंकोर भी नहीं बल्कि केरल भारत का एक राज्य है।

इसी तरह शासनतंत्र अपनी सुविधा, जरूरत और इच्छा के अनुसार शासकीय शब्दावली भी बदलता-गढ़ता जाता है। अंग्रेज सरकार और उसकी राज्य सरकारें अंग्रेजी में जिन पदनामों और शासकीय शब्दावलियों का प्रयोग करती आई हैं वे अधिक से अधिक सवा सौ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं।

यह मानना पड़ता है कि अंग्रेज सरकार अंग्रेजी में शिक्षित लोगों का एक विशिष्ट वर्ग बनाने में सफल हुई जिससे उसके हाथों में प्रशासन का कार्य आया। इसकी बढ़ती हुई सत्ता देश की भाषा को जगह-जगह से निकालती रही, फिर भी सजग सामान्य जनता अपनी भाषा में ही वार्ता-व्यवहार करती आई है। अंग्रेजी शिक्षा में अग्रणी केरल में भी कानून की संकरी बातों से भरे मुंसिफ और जिला न्यायालयों में मलयालम में भी बहस करते आए हैं। ट्रावंकोर के उच्चतम पुलिस निदेशक के पद पर एक मलयालम ज्ञाता अधिकारी रह चुके हैं। स्वतंत्र भारत में—बालिग मताधिकार मिला और प्रशासन की बागडोर कुशल राजनीतिज्ञों के हाथों में आई किंतु इन सब के लिए अंग्रेजी माध्यम से प्रशासनिक कामकाज चलाना संभव नहीं था। अतः विदेशी भाषा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने का प्रयत्न चल रहा है। इसी क्रम में नए सिरे से अखिल भारतीय प्रशासनिक भाषा-शब्दावली और पदनाम आदि गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।

सुविदित है कि केरल प्राचीनकाल में चेरराज्य के अंतर्गत था। भौगोलिक दृष्टि से चेर एवं पाँड्य का घनिष्ठ संबंध रहा है। चेर देश के राजाओं ने पाँड्य से शासक को बुलाकर अपना पेरूमाल (सम्राट) बना लिया था। बाद में "चेरमान पेरूमाल" एक पद हो गया। मलयालम भाषा भी तमिष से अत्यंत घनिष्ठ रही। यहाँ तक कि प्राचीन मलयालम अपने तमिष शब्द-रत्नों के बिना सूनी-सी लगती है। इस वातावरण के कारण प्राचीन केरल-प्रशासन के सांकेतिक शब्दों में तमिष शब्दों का प्रयोग या तमिष शब्दों का प्रभाव प्रचुर था। उदाहरणार्थ-मंडपत्तुवातुक्कल (तालुका), श्रीपण्डारक्कल (सरकारी), कंडेषुत्तु (सर्वे), चेरिक्कल (बागान), मेलड्ङ्ण्णम (कृषि संबंधी) विचारिप्पुकारन (निरीक्षक), उत्तरवु (आदेश) पिष (सज़ा), कप्पं (कर), मेलेषुत्तु पिल्ला (प्रधान लिपिक) आदि। ये शब्द पुरानी ट्रावंकोर रियासत में खूब व्यवहृत थे। पुराने कागज़ातों में अब भी मिलते हैं। बुजुर्ग लोगों के वार्तालाप में आज भी इनका प्रयोग हो रहा है। इनके प्रयोग में किसी दिक्कत की चर्चा नहीं होती थी, उलटे लोगों के लिए ये सरल थ।

इतिहास के दौर में केरल के छोटे-छोटे राज्य कई कारणों से तीन बड़े राज्यों—ट्रावंकोर, कोचिन और कोषिक्कोड—में समेकित हो गए। इन समेकित राज्यों के राजाओं को दिल्लीश्वर मुगलों से एवं दक्षिण के शक्तिशाली आर्काट-नवाब और बाद में मैसूर के हैदर-टीपू आदि से मित्रता का संबंध स्थापित करना आवश्यक हो गया। परिणामस्वरूप उनकी प्रशासनिक प्रविधि का अनुकरण किया जाने लगा। तंजौर, मैसूर आदि के सज्जनों को प्रशासन के मुख्य पद पर नियुक्त किया जाने लगा। फलतः ट्रावंकोर-कोचिन में मलयालम शब्दों की जगह अरबी-फारसी वाले बहुत सारे पदनाम व सांकेतिक शब्द चालू किए गए। 'चौकीदार' से लेकर 'दीवान' तक नए शब्द बने। अब भी अंग्रेजी शब्द इन्हें एकदम नहीं निकाल पाए हैं। वे अनेक हैं और उन पर अलग से लेख भी लिखा जा सकता है। यहाँ केवल कुछ नमूने दे रहा हूँ—सरकार, दीवान, पेशकार, तहसीलदार, जमाबन्दी, किस्त

आबकारी, आमीन, मुक्त्यार, चौकीदार, दफेदार, कच्चेरि, हुजूर, ठाणा, कोतवाल, शिपाइ, खजाना, चुंगम ।

बेशक बहुत कम लोगों ने उस ज़माने में इन शब्दों का मतलब समझकर प्रयोग किया होगा। सरकार ने इन्हें चलाया और लोगों ने इन्हें स्वीकार किया। सवाल का सवाल नहीं था। इन शब्दों का व्यवहार जब अर्धशिक्षित एवं मामूली लोग करते थे तब स्थानीयता से सुखार्थ उच्चारण में कुछ अंतर भी आता था—जैसे तहशीलदार—तासिलदार और तैश्यार होता था। दीवान—दिवान होता था। रियासतों की शासन-व्यवस्था के लिए मैसूर या अन्य दक्षिणी राज्य का ढाँचा स्वीकार किया गया था और उसी ढाँचे के शब्द भी।

परन्तु कई स्थानीय मलयालम पदनामों और सांकेतिक शब्दों को नहीं बदला गया। जैसे, जो शब्द मंदिरों के कार्यकलाप से संबंधित थे, खेती से संबंधित थे, पुरानी शिक्षा से संबंधित थे उन सब को परिवर्तित नहीं किया गया। ये अरबी फारसी, संस्कृति की संकल्पना से भिन्न संकल्पना के थे। जैसे—श्रीकार्यम् (मंदिर का व्यवस्थापक), मेल्शांति (प्रधान पुजारी), अंशम् (गांव) अटियंतिरम् (पर्व), मुतल्पिटि (मुख्य अर्थाधिकारी) आदि। ऐसे शब्द कम रहे। इन सांकेतिक शब्दों में भी अंतर होता था। कुछ ट्रावंकोर में चालू थे, कुछ कोचिन में, कुछ पुराने मलावार में।

जब अंग्रेजी प्रशासनिक भाषा हुई तब सहज ही अनेक अंग्रेजी शब्द चालू हुए और देशी शब्दों को देश-निकाला दिया गया। नई नौकरशाही की व्यवस्था में नए पद, नई नियमावली, नई सेवा व्यवस्था, नई छुट्टियाँ इत्यादि—बहुत सारी चीज़ें लाई गईं। अपनी भाषा की व्यवस्था चालू हो गई। प्रशासन का पूरा दायित्व पहले अंग्रेजों पर था। बाद में भी अन्य भाषा-भाषी ही मुख्य शासक होते थे। ट्रावंकोर की ही बात लें तो केरलीय दीवान दो या चार ही हुए। बाकी सब मद्रास या मैसूर के थे। जजों की भी यही बात रही। मुकदमें में पैरवी के लिए बाहर से वकील आते थे। जनता का इन सब से क्या मतलब? सरकारें यह नहीं सोचती थीं कि आखिर हम जनता के लिए काम करती हैं, उनकी भाषा में नियमावली और पत्र-व्यवहार चाहिए। (शायद अपनी सत्ता को बनाए रखने का आग्रह भी इसके पीछे रहा हो)।

अंग्रेजी पदनामों और संकेत शब्दों के आगमन का यह इतिहास बताता है कि असल में उन शब्दों को थोपा गया। जिन्हें लोगों ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। सरकारी हुकुम से कलेक्टर को '(डिविज़नल कमिशनर)' "कलेक्टर" या ऐसा ही नया पदनाम दिया जाता था जिसका साधारण लोगों से कोई संबंध नहीं था।

विकास का नया क्रम स्वतंत्र भारत के प्रशासन में ही आया। हम वास्तव में स्वतंत्र भारत में ही एक राष्ट्र के नागरिक बने। एक-राष्ट्रीयता और एक-शासन के द्वारा देश की एकता बढ़ाने का मौका मिला। इसी के लिए हमारे बुजुर्ग और बड़ भाई-बहनों ने हज़ारों की संख्या में कालकोठरी का कष्ट झेला, शहीद हुए। इसी दृष्टिकोण से प्रशासन के पदनामों और सांकेतिक शब्दों के लिए नए अखिल भारतीय शब्द अब बनाए गए हैं। भारत सरकार के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में नामपट्ट-पते आदि दोनों भाषाओं में लिखने का नियम प्रचलित किया गया है।

इस परिवर्तन की नई स्थिति मानना और स्वीकार करना ही उचित है। पहले देश की अपनी भाषाएं थीं। बाद में अरबी-फारसी की शब्दावली आई, जिसे स्वीकार किया गया। इसी तरह बाद में हमने अंग्रेजी के शब्दों को भी स्वीकार किया। हमारी राजनीतिक और राष्ट्रीय स्थिति में अब एकदम परिवर्तन आ गया है। अब हमारा गणतंत्रात्मक राष्ट्र एक प्रशासनिक भाषा और उसकी पदावली जारी करता है तो इसे स्वीकारना एवं जारी रखना देश की भलाई की दृष्टि से आवश्यक है। जिन्होंने अरबी-फारसी शब्दों को स्वीकार किया, अंग्रेजी शब्दों को स्वीकार किया उन्हें अपने देश की भाषा के शब्दों को स्वीकार करने में क्या कोई आपत्ति हो सकती है? फिर भी यह मानना पड़ेगा कि बहुभाषी प्रजातंत्रवादी भारत में ऐसी भाषा और पदावली चलाई जानी चाहिए जो सामाजिक-संस्कृति की प्रतिनिधि हो। चूंकि इन्हीं राज्यों ने फारसी शब्दों को अपने यहाँ चालू किया था इसलिए इनकी आपत्ति के कारणों पर विचार किया जाना चाहिए और यथासंभव उसका समाधान किया जाना चाहिए।

प्रशासनिक भाषा के शब्दों में थोड़ी क्लिष्टता और दुरूहता अनिवार्यतः रहती ही है। फिर भी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में, इसमें रुचि रखने वाले लोगों की तिमाही या छमाही बैठकें हों। अखबार जिन शब्दों या भाषा का प्रयोग करें उनका भी निरीक्षण हो। लोगों की मुख्य समस्या दुख-सुख की होती है, इसकी व्युत्पत्ति पर वे ध्यान नहीं देते। उदाहरणार्थ "ग्रंथ" शब्द से "किताब" अधिक प्रचलित है फिर भी बहुत कम लोग "किताब" की व्युत्पत्ति ढूंढ़ते हैं। अतः मेरी राय में भारत की चौदहों भाषाओं से शब्द लिए जाएं ऐसा केवल औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। राजभाषा-एकक के अधिकारियों का व्यावहारिक दायित्व है कि वे अपने यहाँ एक सुझाव एकक का प्रबंध करें। वे स्वयं अधिकारियों, जजों, वकीलों, पत्रकारों से जानने की कोशिश करें कि कैसे परिवर्तन उपादेय हैं। इन सुझावों को राजभाषा विभाग एकत्र कर और उन पर विचार करे। जो एकक ठोस सुझाव देते हैं उन्हें प्रोत्साहित करे और उनकी की हुई आलोचना का स्वागत करे। □

द्विभाषिक स्थिति में हिंदी के प्रयोग-प्रसार की संभावनाएँ

—हरिबाबू कंसल
भूतपूर्व उप सचिव, भारत सरकार

संसार के ऐसे अनेक देश हैं जहाँ राजभाषा के रूप में एक ही भाषा का प्रयोग होता है। किंतु कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ राजभाषा के रूप में 2, 3 या उससे भी अधिक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे कनाडा तथा स्विटजरलैंड। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं और जहाँ प्रशासन का कार्य केंद्रीय सरकार के अलावा राज्य सरकारों द्वारा भी होता है, कई भाषाएं राजभाषा के रूप में प्रचलित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्यों की विधान सभाओं को राज्य की राजभाषा निश्चित करने का अधिकार है। इस प्रकार हिंदी भाषी राज्यों की राजभाषा हिंदी है तथा अन्य राज्यों में उन क्षेत्रों की अन्य भाषाएं वहाँ की राजभाषाएं हैं। केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा माना गया किंतु साथ ही संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून बनाकर हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग की भी अनुमति दे सकेगी। तदनुसार संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित करके केंदीय सरकार के कामों में दीर्घकाल तक द्विभाषिक स्थिति चलते रहने का प्रावधान किया है। राज्यों में भी उनके सभी काम पूर्ण रूप से उनकी राजभाषाओं में नहीं हो रहे हैं। उनके अनेक कामों में अभी अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। उच्च न्यायालयों का लगभग अधिकांश काम और उच्चतम न्यायालय का सारा काम अभी अंग्रेजी में हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हिंदी के प्रयोग-प्रसार की भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्या इसी तरह लगातार अंग्रेजी का बाहुल्य रहेगा अथवा वर्तमान द्विभाषिक स्थिति थोड़े समय की बात है।

यह तो सर्वविदित है कि स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वालों के हृदय में सदा यह बात रही कि देश के स्वतंत्र हो जाने पर देश का कामकाज देश की अपनी भाषाओं में होना चाहिए। संविधान बनाते समय उस भावना को मूर्त रूप भी दिया गया। किंतु इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता था कि देश का प्रशासनिक कामकाज अंग्रेजों के समय में अनेक वर्षों से अंग्रेजी में होता रहा। अतः एकदम भाषा परिवर्तित करने में कठिनाइयाँ थीं। संघ के कार्यों के लिए यद्यपि हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया गया किंतु यह देखते हुए कि केंद्रीय सरकार के कार्यालय देश के सभी भागों में फैले हुए हैं तथा उसके कर्मचारियों में विभिन्न भाषी-भाषी व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदी सीखने-सिखाने में समय लगेगा, संविधान लागू होने के पश्चात् भी 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को ही राजभाषा रखा गया और विभिन्न राजनीतिक कारणों से उसके बाद भी हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को जारी रखा गया। कुछ लोगों के विचार से राजभाषा के रूप में एक समय में एक ही भाषा चलनी चाहिए थी। देश में समय-समय पर जो परिस्थितियाँ रहीं उनमें ऐसा नहीं हुआ। पिछली बातों के विश्लेषण में अधिक समय न लगाकर हमें यह देखना चाहिए कि वर्तमान द्विभाषिक स्थिति में हिंदी के प्रयोग-प्रसार की क्या संभावनाएँ हैं।

द्विभाषिक स्थिति में हिंदी का प्रयोग अभी तक संतोषजनक रीति से क्यों नहीं बढ़ पाया इसके कारण जान लेना आवश्यक है। अनेक लोगों की यह धारणा है कि जब तक अंग्रेजी के प्रयोग की भी छूट है, सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी नहीं है, अंग्रेजी ही है। वे समझते हैं कि हिंदी का प्रयोग 'आरंभ' करने के लिए सरकार कोई तारीख निर्धारित करेगी तब तक सभी काम सामान्यतः अंग्रेजी में किए जाने चाहिए। उनकी दृष्टि से कुछ बेचारे अनपढ़ या अंग्रेजी से अनभिज्ञ व्यक्तियों की सहायता के लिए ही हिंदी का प्रयोग किया जाना है। अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अनेक बैठकों में मैंने जब यह स्पष्ट किया कि संविधान की धारा 343 के अनुसार 26 जनवरी, 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा बन चुकी है, तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग 'हिंदी के साथ-साथ, किया जाना है, 'हिंदी के स्थान पर' या 'हिंदी की बजाए' नहीं, तो कई व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार वे सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग कई वर्ष पूर्व आरंभ कर सकते थे।

जो व्यक्ति हिंदी में काम करना भी चाहते हैं वे एक और कारण से रुक जाते हैं। उन्हें सर्वप्रथम ऐसे काम का ध्यान आता है जो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण तथा जटिल है और जिसे ऊपर के कई अधिकारियों को देखना होता है। वे यह भूल जाते हैं कि उनके कार्यालय में ऐसे भी तो कई काम हैं जो रूटीन प्रकार के हैं और जिन्हें कम हिंदी जानने वाला भी आसानी से कर सकता है। कुछ व्यक्तियों को साधारण प्रकार के काम हिंदी में करना अच्छा नहीं लगता, ऐसे असाधारण पुरुष सर्वप्रथम असाधारण काम को हिंदी में करना चाहते हैं। उनकी यह चाह आसानी से पूरी नहीं हो पाती है। और यदि हुई भी तो कुछ समय बाद कई प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आने लगती हैं जिसके कारण वे इस प्रकार का काम हिंदी में करना बन्द कर देते हैं और अपनी असफलता का वर्णन दूसरों के सामने करके उन्हें भी निरुत्साहित करते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है तथा हिंदी के प्रयोग की शुरुआत छोटे-छोटे तथा आसान कामों से की है वे अहिंदी भाषी अधिकारियों के अधीन काम करते हुए भी काफी काम हिंदी में कर पाए हैं। जो व्यक्ति सोचते हैं कि यदि हिंदी में काम करना है तो शत प्रतिशत काम हिंदी में किया जाए और शुरुआत सबसे जटिल काम से की जाए। वे दो-चार प्रतिशत काम भी हिंदी में नहीं कर पाते और सदा शून्य की स्थिति पर ही बैठते रहते हैं। शून्य और शत प्रतिशत के बीच का भी कोई बिंदु हो सकता है। यदि शुरुआत भी साधारण हो लेकिन आगे बढ़ते रहने का संकल्प साथ हो तो अल्पकाल में ही अच्छी प्रगति दिखाई पड़ेगी।

यह भ्रम बहुत व्यापक रूप में रहा है कि सरकारी कामकाज की हिंदी बोलचाल की हिन्दी से भिन्न होगी। यदि हिंदी में कोई टिप्पणी या पत्र इस रूप में लिख दिया जाता है जिसे दूसरे लोग बिना किसी शब्दकोश की सहायता लिए आसानी से समझ लें, तो उसे हिंदी नहीं माना जाता है। दूसरों पर अपने पांडित्य का रौब डालने के इरादे से कुछ लोग जानबूझकर भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो उन शब्दों के अर्थ नहीं समझ पाते वे हताश होकर हिंदी से मुंह मोड़ लेते हैं। सौभाग्य से भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से ये आदेश निकाल दिए हैं कि हिंदी लिखते समय सहज समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग किया जाए और दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपनाने में संकोच न किया जाए। इन आदेशों का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है और जो लोग पहले पंडिताऊ हिंदी न जानने के कारण स्वयं को हिंदी काम के योग्य नहीं समझते थे, अपनी झिझक छोड़ने लगे हैं। सरकारी पत्राचार आदि में आसानी से समझ में आने वाली हिंदी जितनी अधिक दिखाई पड़ेगी, उससे अन्य व्यक्तियों को उतनी ही अधिक प्रेरणा मिलेगी तथा हिंदी का प्रसार उतना ही अधिक होगा।

कभी-कभी विधि संबंधी कोई प्रश्न उठने पर यह मान लिया जाता है कि यह काम तो हिंदी में हो नहीं सकेगा, इसे अंग्रेजी में करना ही पड़ेगा। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें हिंदी में काम करना अभी अंग्रेजी की अपेक्षा कुछ मुश्किल लगे। लेकिन सभी मामले ऐसे नहीं होंगे। एक बार मेरे सामने कंपनी रजिस्ट्रार के दफ्तर का का एक मामला रखा गया। उसमें कंपनी अधिनियम का सरसरी तौर पर हवाला था, केवल उसी कारण कंपनी रजिस्ट्रार का विचार था कि इसमें कानूनी पहलू होने के कारण उसे हिंदी में नहीं किया जा सकता। मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि इसे इस प्रकार हिंदी में लिखा जा सकता है : "कंपनी अधिनियम की धारा——————————के अनुसार आपको——————————के लिए फीस की बाबत 10.00 रुपए जमा करने थे, लेकिन आपने केवल 5.00 रुपए भेजे हैं। कृपया शेष पाँच रुपए और भेजें। तब आपके मामले पर विचार होगा।" इस प्रकार की गलतफहमी अभी भी अधिकांश कार्यालयों में व्याप्त है। इसे दूर करने की आवश्यकता है।

वर्तमान द्विभाषिक स्थिति में हिंदी का अधिक प्रसार न होने का मुख्य कारण है आवश्यक सुविधाओं का अभाव। आज के युग में प्रत्येक कार्यालय में टाइपराइटर होने परमावश्यक हैं। सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी टाइपराइटर तो सर्वत्र तथा पर्याप्त संख्या में मिलेंगे। लेकिन हिंदी टाइपराइटर या तो मिलेंगे ही नहीं और होंगे भी तो अंग्रेजी टाइपराइटरों की संख्या की अपेक्षा बहुत कम। कुछ अधिकारी कह देते हैं कि अभी तो हिंदी का काम ही नहीं है जब होगा तब हिंदी टाइपराइटर मंगा लेंगे लेकिन यदि हिंदी में पत्र भेजना है तो बिना टाइपराइटर के वह पत्र कैसे तैयार होगा। जहां हिंदी टाइपराइटर मंगा लिए गए हैं वहां हिंदी टाईपिंग जानने वाले कर्मचारी भी पर्याप्त संख्या में होने चाहिएं। इसी प्रकार हिंदी आशुलिपिकों के अभाव में अधिकारीगण अधिक काम हिंदी में नहीं कर पाएंगे। द्विभाषिक स्थिति सचमुच तभी द्विभाषिक कही जा सकती है जब प्रत्येक आशुलिपिक हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का डिक्टेशन ले सके तथा प्रत्येक टाइपिस्ट अथवा अधिकांश टाइपिस्ट हिंदी तथा अंग्रेजी के टाइपराइटरों पर लगभग समान गति से टाइप कर सकें। यदि हिंदी के कार्य के लिए इन सुविधाओं का अभाव रहा तो यह सच्चे अर्थ में द्विभाषिक स्थिति नहीं मानी जा सकती।

मुझे ऐसे अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी मिलते रहे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है अथवा जिन्हें हिंदी का कम ज्ञान है, फिर भी उनके मन में हिंदी में काम करने की उमंग रही है। वे इस बात की चिंता नहीं करते कि उन्हें हिंदी कम आती है। कम हिंदी जानते हुए भी हिंदी लिखकर उन्होंने गर्व अनुभव किया है। उनके उदाहरण अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आवश्यकता है कि ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों का सम्मान किया जाए।

जब से राजभाषा नियम बने हैं यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्रीय सरकार के हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित

कार्यालयों का वहां की जनता तथा राज्य सरकार से और केंद्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से भी पत्र व्यवहार हिंदी में होना चाहिए। ये नियम भारतीय राजपत्र में जुलाई, 1976 में अधिसूचित किए गए। लेकिन दिखाई पड़ता है कि अभी इन नियमों की पूरी जानकारी विभिन्न कार्यालयों में नहीं है। वे हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में भिजवाने का तो ध्यान रखते हैं, परन्तु यह ध्यान नहीं रखा जाता कि अपनी ओर से भेजे जाने वाले मूल पत्र भी हिंदी में भेजे जाने चाहिए। हिंदी से संबंधित आदेश काफी बड़ी संख्या में जारी होते रहे हैं, किंतु उन्हें बहुत कम लोग गंभीरतापूर्वक पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो शायद उनका पूरा आशय नहीं समझ पाते। ऐसे उपाय ढूंढना आवश्यक है जिससे हिंदी के प्रयोग से संबंधित आदेशों का आशय विभिन्न स्तर के अधिकारी तथा कर्मचारी ठीक प्रकार समझ सकें। उन आदेशों के कार्यान्वयन की व्यवस्था भी ठीक कराई जानी चाहिए।

सन् 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार अनेक प्रख हिंदी तलेथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार अथवा जारी होने चाहिएं, लेकिन अधिकांश अभी भी अंग्रेजी में होते हैं। अनेक कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में अनुवादक नहीं हैं और कहीं-कहीं हिंदी के काम के लिए पदों का सृजन कराकर भी उन्हें उस काम पर नहीं लगाया जाता तथा उनसे अन्य काम लिया जाता है। यदि कानून के इस प्रावधान का सही-सही पालन किया जाए तो हिंदी का प्रयोग अब से कई गुना अधिक होता दिखाई पड़ेगा।

अनेक कार्यालयों में हिंदी के जो भी पत्र जारी होते हैं वे अनुवाद माध्यम से होते हैं अर्थात् पत्र का मसौदा पहले अंग्रेजी में होता है और उसके अनुमोदन के बाद उसका हिंदी अनुवाद कराया जाता है। अनुवाद में मूल जैसी स्वाभाविकता कभी नहीं आ सकती। परिपत्रों आदि की बात छोड़ दे जो राजभाषा अधिनियम के अनुसार द्विभाषी रूप में जारी होने जरूरी है, उनका तो अंग्रेजी या हिंदी में अनुवाद कराना पड़ेगा, लेकिन प्रतिदिन जारी होने वाले हजारों पत्र आसानी से मूल रूप में हिंदी में लिखे जा सकते हैं। अपने विषय से परिचित सहायक अथवा लिपिक या उसका अधिकारी अपने रोजमर्रा के काम के पत्र यदि उस प्रकार की हिंदी में लिखे या लिखवाए जैसी वह उन विषयों पर कार्यालय में चर्चा करते समय बोलता है, तो वे पत्र प्राप्तकर्त्ता को अनुदित पत्रों की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रकार समझ में आएंगे हिंदी में जितना अधिक काम मूल रूप से होगा हिंदी का प्रसार उतना ही अधिक होगा। इससे अनुवाद का बोझ भी अधिक नहीं पड़ेगा। मूल हिंदी सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगी और लोगों के मन में हिंदी के प्रति व्याप्त डर को निकालने में भी काफी सहायक सिद्ध होगी।

इस विषय में हिंदी भाषियों का विशेष उत्तरदायित्व है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित लगभग सभी कार्यालयों में 90 से 99 प्रतिशत और कहीं-कहीं शत-प्रतिशत कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है। इन कार्यालयों में अधिकांश कारोबार मौखिक रूप से अभी-भी हिंदी में होता है, लेकिन लिखते समय सब की लेखनी अंग्रेजी लिखने लगती है। यह सब पुराने अभ्यास के कारण होता रहा है। इस अभ्यास को बदलने के लिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में विशेष प्रयास होना चाहिए। यदि यहाँ हिंदी में काम होने लगा तो द्विभाषिक स्थिति होते हुए भी देश के अन्य भागों में हिंदी का प्रयोग बढ़ने लगेगा। द्विभाषिक स्थिति वास्तव में उन लोगों की सहायता के लिए है जो हिंदी में प्रवीण नहीं है। उनकी कठिनाई समझ में आ सकती है। जो व्यक्ति हिंदी भली-भांति जानते हैं, उनका कर्त्तव्य है कि वे अपना अधिकतम काम हिंदी में करें, और हिंदी के प्रयोग की संभावनाओं को बढ़ाएं। □

(पृष्ठ 8 का शेष)

वर्ष 1979-80 में प्रशासन में एक और बड़ा काम किया है, यह काम है 'डेली टेलीग्राम्स' का हिंद संस्करण निकालना। हालांकि हिंदी का अखबार निकालने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयास किया जाता रहा और तत्कालीन राजभाषा सचिव एवं हिंदी अधिकारी के प्रयास से 14 नवम्बर 1976 से अंग्रेजी के 'डेली टेलीग्राम्स, में ही हर रविवार को हिंदी का एक परिशिष्ट निकलना शुरू भी हो गया था लेकिन स्वतंत्र रूप से पूरा का पूरा अखबार हिंदी में निकालने का प्रयास पहले नहीं किया जा सका था। द्वीपों में हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं के इतिहास में एक स्वतंत्र हिंदी दैनिक का प्रकाशन और एक हिंदी त्रैमासिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन 1979-80 में ही सम्भव हो सका है। अब उक्त हिंदी दैनिक और त्रैमासिक पत्रिका के स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयास किए जाएंगे। आशा है कि इन द्वीपों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी का व्यवहार और अधिक प्रयोजनों के लिए भी तेजी से होने लगेगा। □

अनुवाद की समस्याएँ

—डॉ० ए० रमेश चौधरी 'आरिगपूडि'

अनुवाद की समस्याएँ तीन प्रकार की हो सकती हैं। पहली, भाषागत, दूसरी विषयगत, तीसरी विधागत। ये ही लेखन की भी समस्याएँ हैं।

उत्तर भारतीय भाषाओं में एक असाधारण साम्य है। द्राविड़ कुल की भाषाओं में भी साम्य है, यद्यपि द्राविड़ भाषाओं में भी तमिल कुछ भिन्न है। इसका परिपार्श्व भिन्न है, और इसकी प्रगति भी भिन्न है। उत्तर भारतीय भाषाओं में एक भाषा से दूसरी भाषा में सरलता से अनुवाद संभव है। शब्दों की समानता ही केवल इनमें नहीं अपितु वाक्य विन्यास की भी समानता है। इनमें शायद ही कोई ऐसी भाषागत समस्या हो, जो एक भाषा की तो हो और दूसरी भाषा की न हो।

समस्याएँ तब पैदा होती हैं जब उत्तर भारतीय भाषाओं के साहित्य का दाक्षिणात्य भाषाओं में अनुवाद होता है। या दक्षिण की भाषाओं का उत्तर की भाषाओं में। इन भाषाओं की शब्दावली, पदावली भिन्न है। यद्यपि सभी भाषाओं में संस्कृत के समान शब्द काफी संख्या में हैं। किंतु दाक्षिणात्य भाषाओं में कई ऐसे शब्द हैं, जो किसी भी उत्तर भारतीय भाषाओं में नहीं हैं।

वाक्य विन्यास में अधिक असाम्य तो नहीं है, पर हर भाषा की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दाक्षिणात्य भाषाओं में उस तरह सहायक क्रियाएँ नहीं है, जिस तरह हिंदी में हैं। इससे अर्थ भंग के बिना भाषाओं में असाधारण गठन आ जाता है, और सहायक क्रियाओं के आदी व्यक्तियों के लिए भाषा कुछ सांकेतिक सी लगने लगती है। दाक्षिणात्य भाषाओं में जब एक दूसरे से अनुवाद होता है, तो कोई समस्या नहीं पैदा होती है, क्योंकि इस दृष्टि से सभी दक्षिणात्य भाषाएँ न्यूनाधिक रूप से समान अधिक है, और असमान कम।

कहा जाता है कि सभी दाक्षिणात्य भाषाओं की एक ही समान स्रोत भाषा थी, जिसे द्राविड़ी कहा जाता था। यह कब थी, कैसे इससे चार-पाँच भाषाएँ बन गई, और बन कर वे कैसे एक-दूसरे से अधिक दूर होती गईं, इस बारे में बहुत कम प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध है यद्यपि निष्कर्षात्मक अनुमान बहुत हैं। कहने का अर्थ यह कि काल प्रवाह में, शब्द एक स्रोतीय होकर भी, भिन्न-भिन्न हो गए हैं। जो भी हो, इनमें अनुवाद अपेक्षाकृत आसान हैं, और कोई भी अनूदित सामग्री यदि उसका अनुवाद अंग्रेजी से अप्रभावित हुए किया जाए, तो कृत्रिम नहीं मालूम होती है।

लेकिन सभी भारतीय भाषाओं की सम्प्रति भाषागत समस्या कुछ और है। वह है अंग्रेजी के वाक्य विन्यास का अनुसरण, जो अनुवाद के विषय में भारतीय भाषाओं को दुर्बोध बना देता है और प्रायः यह देखा जाता है कि यदि अंग्रेजी साथ न हो, तो अनुवाद समझना हमेशा आसान नहीं होता। भारतीय भाषाओं का वाक्य विन्यास एक सा है, पर अंग्रेजी का कुछ और है। वह भारतीय भाषाओं से भिन्न है और जब इसका भारतीय भाषाओं पर प्रभाव आता है, तो ये अपनी प्रकृति से कुछ हट जाती हैं और इनमें विकृति आ जाती है।

यह इसलिए देखा जाता है क्योंकि अधिक अनुवाद अंग्रेजी से ही होता है। भारतीय भाषाओं से भी कभी-कभी अंग्रेजी में अनुवाद होता है। अंग्रेजी में ही अक्सर मूल मसविदा बनता है। अंग्रेजी का सभी भारतीय भाषाओं पर प्रभाव आता है, अनुवाद पर तो सबसे अधिक पड़ता है। यह तब तो और भी आपत्तिजनक हो जाता है, जब अनुवाद नितान्त शाब्दिक हो, और प्रायः अनुवाद मूल के समीप रहने के लिए शाब्दिक ही होते हैं। भावार्थ की चेष्टा नहीं की जाती क्योंकि उस हालत में अर्थभेद, और अर्थ दोष संभव है।

कभी-कभी ऐसी प्रतीति भी होती है कि अनुवाद मात्र अनुवाद के लिए किया जा रहा है, अनुवाद का भी वही उद्देश्य है जो लेखन का है यानि विचारों की सम्प्रेषणीयता। अनुवादों की कृत्रिमता से यह सम्प्रेषणीयता निश्चय ही अवरुद्ध होती है।

अनुवाद के सिलसिले में एक प्रकार का भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता रहता है, किस भाषा की कितनी शब्द सम्पदा है, यह प्रकट होता रहता है। पिछली सदियों में, विशेषतः पिछले तीन चार दशकों में, भाषाओं के सामने नई चुनौतियाँ आई हैं। कई ऐसी चीजें बन रही हैं, हो रही हैं, जिनके लिए बने बनाए शब्द नहीं हैं, और नए शब्द बनाए जा रहे हैं, और हमेशा ये पारिभाषिक शब्द हों, यह बात भी नहीं है। सभी भाषाएँ, बिना एक दूसरे से अधिक लिए, संस्कृत से शब्द ले रही हैं। और यह भी सोचा जाता है कि इस तरह जहाँ भारतीय भाषाओं में शब्द संख्या बढ़ेगी, वहाँ शब्द समानता भी बढ़ेगी। जो भी हो, ये शब्द प्रायः अप्रचलित होते हैं। इसलिए कृत्रिम लगते हैं, और अनुवाद की भाषा को भी कृत्रिम करके दुर्बोध बना देते हैं। यह प्रवृत्ति सभी भाषाओं में देखी जा रही है सिवाय तमिल के।

यह एक प्रकार का, जहाँ तक शब्दों का संबंध है, पुरातनीकरण ही है। तमिल में यह पुरातनीकरण एक और तरह से हो रहा है। तमिल अप्रचलित पुराने शब्दों को दे

ले रही है। यही नहीं तमिल में ये संस्कृत के शब्द तद्भव रूप में ही आ सकते हैं। अर्थ समान होते हुए भी, उनमें ध्वन्यंतर आ जाता है। दाक्षिणात्य भाषाओं में, जहाँ संस्कृत के शब्द है, वहाँ उनके समानार्थी द्राविड़ शब्द भी हैं। कई के नहीं भी हैं। कहना न होगा कि वे संस्कृत से ही अधिक शब्द ले रही हैं।

अंग्रेजी के प्रभाव से एवं संस्कृत से संबंधित पुरातनवाद से, भाषा क्लिष्ट और कठिन होती जा रही है। अतः आश्चर्य नहीं कि यदि अनूदित साहित्य कम पढ़ा जाता हो। प्रायः सभी भाषाओं में आधुनिक युग की आवश्यकताओं और सम्प्रेषण के अविष्कारों के कारण लिखित शब्द और भाषित शब्द में अंतर कम होता जा रहा है। लेकिन जहाँ तक अनुवाद का प्रश्न है, मुझे भय है, यह अंतर बढ़ रहा है। इस कारण इसकी उपयोगिता सीमित हो रही है। क्या सुगम अनुवाद सम्भव है? हाँ, यदि अनुवाद को भी, अर्थ को सुरक्षित रखते हुए, स्वतंत्र लेखन समझा जाए।

कोई ऐसा विषय नहीं है, जो एक भाषा में लिखा जा सके, और उसका दूसरी भाषा में अनुवाद न हो सके। पर हर विषय की अपनी अपनी विशेषता है, यदि किसी में यथार्थ विशुद्ध होने की आवश्यकता है, तो किसी में भावार्थ ही पर्याप्त है।

उपन्यास और कथाओं का अनुवाद कदाचित एक दृष्टि से सबसे आसान है। किंतु इसकी भी कठिनाइयाँ हैं। जो एक भाषा में उत्तम शैली समझी जाती है, या जिसे शैलीगत प्रवाह कहा जाता है, वह दूसरी भाषा में ठीक वैसा ही हो, यह हमेशा नहीं देखा जाता, जब कि आवश्यक है कि अनुवाद में भी भाषा और कथाप्रवाह सुरक्षित रहे। यदि भाषा ही अटक अटक कर चले, तो अच्छे से अच्छा उपन्यास भी अनूदित होकर नीरस हो सकता है, और इस प्रवाह का लाना सिद्धहस्त लेखक के लिए ही संभव है। अनवाद में मूल की स्वाभाविकता को ढालना सरल कार्य नहीं है।

चूंकि भारतीय जीवन मोटे तौर पर एक-सा है, और भाषाओं में भी साम्य अधिक है, उपन्यासों में अनुवाद की समस्या इतनी भयंकर नहीं है, कि उनका समाधान न हो सके। शायद यही कारण है कि उपन्यास ही अधिक अनूदित होते हैं, और प्रकाशित होते हैं। वे पढ़े तो जाने चाहिएं, पर आश्चर्य है, कि वे उतने पढ़े नहीं जाते।

यही बात कहानियों की है। यदि अनुवाद में अपना प्रवाह हो, अपनी स्वाभाविकता हो, तो प्रायः उसकी मूल से तुलना नहीं की जाती। ऐसे भी कम लोग हैं, त्रिभाषा सूत्र के बावजूद, जो दोनों भाषाएँ जानते हों। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अनुवादक और जिम्मेवारी बरतें क्योंकि मूल लेखक की ख्याति और अपख्याति उसके प्रयत्न पर निर्भर है।

यह समस्या बल खाती है, जब वैज्ञानिक विषयों का अनुवाद होता है। यहाँ भाषा का ठीक और सही होना आवश्यक है, भले ही उसमें ललित साहित्य का सौंदर्य न हो। यह भी आवश्यक है कि पारिभाषिक शब्दों के होते हुए भी वह सुबोध हो।

पिछले दिनों पारिभाषिक शब्द बहुत से बने हैं। निरंतर बन रहे हैं। कई पारिभाषिक शब्दों के कोश भी बन गए हैं। हर भाषा में नए-नए पारिभाषिक शब्द बन रहे हैं, और उनका प्रायः स्रोत भी एक है—संस्कृत। इसलिए वे एक हो सकते हैं, होने भी चाहिए। कुछ है भी, पर कुछ नहीं है। एक भाषा के पारिभाषिक शब्द दूसरी भाषा के भी उसी अर्थ में पारिभाषिक शब्द होंगे, यह कहना कठिन है। पारिभाषिक शब्दों का अशुद्ध उपयोग भी प्रायः होता है।

किसी भी विज्ञान का विषय बिना पारिभाषिक पदावली के नहीं लिखा जाता। इसलिए आवश्यक है कि पारिभाषिक पदावली एक रूप हो, समान हो। जिस तरह और जिनके द्वारा ये बनाए जा रहे हैं, वे इस पर आवश्यक ध्यान नहीं दे पाते। यही कारण है कि पदावली बन तो रही है, वह उपयक्त भी हो रही है, पर शायद वह समुचित मात्रा में स्वीकृत नहीं हो रही है।

यह एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने का ही प्रश्न नहीं है। इन विषयों पर अधिकारी लेखक होने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक है। और यह भी आवश्यक है कि तीन भाषाओं में करीब-करीब समान अधिकार हो—दो भारतीय भाषाओं का, और तीसरी अंग्रेजी का। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिना अंग्रेजी पदावली के भारतीय पदावली चल नहीं पा रही है। इस तरह अनुवाद एक प्रकार की खिचड़ी हो जाती है और अनूदित सामग्री की पठनीयता सीमित हो जाती है जबकि पठनीयता बनाए रखना अनुवाद की समस्या ही है।

कहा जाता है कि अच्छी कविता का अनुवाद कठिन है, कविता का अनुवाद कविता में करना असंभव है। अनुवाद में कोई कविता तभी तक अच्छी लगती है जब तक कोई मूल भाषा नहीं जानता है। ये बातें सर्वथा असत्य भी नहीं हैं।

कविता का भी अनुवाद होता आया है, और अच्छी कविता का भी अनुवाद हुआ है। अनुवाद का आस्वादन चूंकि अनूदित भाषा की परम्परा और पृष्ठभूमि में होता है न कि मूल भाषा के आधार पर तो कविता का आनन्द भी अनुवाद में प्रायः उसी तरह रहता है जिस तरह मूल भाषा-भाषी के लिए अपनी भाषा में। पर कविता का अनुवाद समस्या ही है।

आजकल गद्य का युग है। लेकिन कविता अब भी काफी लिखी जाती है। कविता की विधा चूंकि अत्यन्त प्राचीन है, इसी में सबसे अधिक विधागत परिवर्तन आए हैं, और आज

(शेष पृष्ठ 36 पर)

प्रेमचंद शताब्दी वर्ष के अवसर पर

भारत की सार्वदेशिक भाषा और प्रेमचंद

हरिशंकर

संपादक 'हिंदी शिक्षक' गिरगांव, बम्बई।

प्रेमचंद का जन्म सन् 1880 में हुआ था। जब उनकी आयु पाँच साल की थी तब सन् 1885 में 'राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना हुई थी और देश में स्वाधीनता आंदोलन आरंभ हुआ था। धीरे-धीरे यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने लगा और प्रेमचंद के बड़े होने तक पूरे जोर में आ गया। सृजनशील युवा प्रेमचंद के मन पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।

राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े उन दिनों लोकमान्य तिलक और बाद में महात्मागांधी दो मुख्य व्यक्ति थे। दोनों की विशेषता यह रही कि उन्होंने स्वाधीनता के लिए केवल राजनीतिक आंदोलन ही नहीं चलाया, बल्कि नवभारत के भविष्य का स्वप्न भी देखा। उन्होंने दोषमुक्त भारतीय समाज की एकता एवं समृद्धि के लिए स्वतंत्र मौलिक चिंतन प्रस्तुत किए।

जहाँ हमारे ये नेता जनता के बीच अपने विचारों एवं भाषणों से राष्ट्र को नव जागरण का संदेश दे रहे थे, वहां प्रेमचंद ने अपनी कृतियों द्वारा उन विचारों को जन-जन तक पहुँचाया। आज से पचास वर्ष पूर्व उनकी रचनाओं में व्यक्त उनके अनेक विचार आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने कि उस समय थे।

एक स्वाधीन एवं शक्तिशाली सार्वभौम राष्ट्र के जीवन में अपनी एक 'सार्वदेशिक' भाषा का क्या महत्व है? इस देश में यह कौन-सी भाषा हो सकती है और क्यों? इसके बिना क्या अहित हो सकता है? इस विषय में भविष्यद्रष्टा प्रेमचंद ने स्वाधीनता से लगभग डेढ़ दशक पूर्व अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था:—

> "किसी कौम के जीवन और उसकी तरक्की में भाषा का कितना बड़ा हाथ है, इसे हम सब जानते हैं। उसकी तशरीह करना, आप जैसे विद्वानों की तौहीन करना है।.....भाषा के बगैर किसी समाज का ख्याल भी नहीं किया जा सकता। किसी स्थान की जलवायु, उसके नदी और पहाड़, उसकी सर्दी और गर्मी और अन्य हालातें सब मिलजुल कर, वहां के जीवों में एक विशेष आत्मा का विकास करती हैं, जो उन प्राणियों की शक्ल-सूरत, आचार-विचार, व्यवहार और स्वभाव पर अपनी छाप लगा देती हैं और अपने को व्यक्त करने के लिए एक विशेष भाषा और बोली का निर्माण करती है।"

"मनुष्य के जैसे छोटे-छोटे समूह होते हैं, वैसी ही छोटी-छोटी भाषाएं भी होती हैं। अगर गौर से देखिए तो बीस-पचीस मील के अन्दर ही भाषाओं में कुछ न कुछ फर्क हो जाता है। कानपुर और झांसी की सरहदें मिली हुई हैं। केवल एक नदी का अंतर है, लेकिन नदी के उत्तर की तरफ कानपुर में जो भाषा बोली जाती है, उसमें और नदी के दक्षिण की तरफ की भाषा में साफ-साफ फर्क नजर आता है। सिर्फ प्रयाग में कम से कम दस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता जाता है, ये स्थानीय भाषाएं किसी सूबे की भाषा में जा मिलती हैं और सूबे की भाषा एक 'सार्वदेशिक' भाषा का अंग बन जाती है।"

"हिन्दी में मैथिली, भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी, ब्रज, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, निमाड़ी, राजस्थानी आदि कितनी ही बोलियां हैं। लेकिन जैसे छोटी-छोटी धाराओं के मिल जाने से एक बड़ा दरिया बन जाता है, जिसमें मिलकर नाले और नदियां अपने को खो देती हैं, उसी तरह ये सभी भाषाएं अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए हिंदी के मातहत हो गई हैं और आज हर आदमी हिंदी समझता-बोलता है। लेकिन हमारे मुल्की फैलाव के साथ हमें एक ऐसी भाषा की जरूरत पड़ गई है, जो सारे हिंदुस्तान में समझी और बोली जाए। जिसे हिंदुस्तान का पढ़ा-बेपढ़ा आदमी उसी तरह समझे और बोले, जैसे हर अंग्रेज, जर्मन या फ्रांसीसी, अंग्रेजी, जर्मनी या फ्रेंच भाषा बोलता और समझता है।

"सूबे की भाषाएं अपनी जगह पर रहेंगी, वे जितनी उन्नति कर सकें, करें, लेकिन एक कौमी भाषा का मरकजी सहारा लिए बगैर राष्ट्र की जड़ कभी मजबूत नहीं हो सकती। हमारे पूज्य नेता सबके सब ऐसी जबान की जरूरत मानते हैं, लेकिन अभी तक उनका ध्यान खास तौर पर इस विषय की ओर नहीं गया। हम ऐसा राष्ट्र बनाने का स्वप्न देख रहे हैं, जिसकी बुनियाद इस वक्त सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत है। इस बालू की बुनियाद पर हमारी कौमियत की मीनार खड़ी की जा रही है। लेकिन अगर हमने कौमियत की सबसे बड़ी शर्त, यानी 'कौमी जबान' की तरफ से लापरवाही की, तो इसका अर्थ यह होगा कि आपकी कौम को जिंदा रखने के लिए अंग्रेजी की मरकजी हुकूमत को कायम

(शेष पृष्ठ 26 पर)

भारत की राजभाषा–हिंदी

—महेश चंद्र गुप्त

कार्यपालक इंजीनियर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

भाषा का सबसे बड़ा बल उसके पीछे का जनबल होता है जो हिंदी को सदैव प्राप्त रहा है। किंतु आम जनबल ही से काम नहीं चलता। भाषा का समृद्ध साहित्य और विभिन्न प्रकार के ज्ञान-विज्ञान के विषयों पर उपलब्ध सामग्री भाषा के बल को बढ़ाती है। गत एक सौ वर्षों में हिंदी का यह बल भी बहुत बढ़ा है। आधुनिक हिंदी लाखों शब्दों के सुंदर परिधानों से सुसज्जित है। आधुनिकतम विषयों पर हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध हैं। डा० जयंत नारलीकर जैसे वैज्ञानिक हिंदी को अपने निबंधों का माध्यम बना रहे हैं। देश-विदेश के विभिन्न भाषा-भाषी बंधु हिंदी के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण कर रहे हैं। सन् 1949 तक राष्ट्र भाषा के संबोधन से मंडित हिंदी भारत संघ की राजभाषा के गौरव से भी सुशोभित हो गई। इसके पश्चात् तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न विषयों पर हिंदी में बहुरंगी साजसज्जा की सुंदर तथा आकर्षक ही नहीं अपितु ठोस सामग्री से भरपूर पत्रिकाएँ हिंदी के बल को बढ़ाने लगीं। वैज्ञानिक एवं सामान्य पत्रिकाओं में खेती, कुरुक्षेत्र, भगीरथ, प्रगति (इंजीनियर्स इंडिया लि०) इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) का जरनल (हिंदी खंड), वाणिज्य भारती, परमाणु, आविष्कार, उच्च-न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, हिंदी परिचय आदि प्रमुख हैं।

प्रशासन में भी हिंदी सदियों से प्रयुक्त होती रही है। अन्तर-प्रादेशिक पत्र-व्यवहार, मुकदमों और शासकीय आज्ञापत्रों में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस सबल पृष्ठ-भूमि से युक्त हिंदी आज एक सबल राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित हो रही है। सदियों से प्रशासन में हिंदी का व्यवहार किए जाने के अनेक पुष्ट प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं। हिंदी के राजभाषा पक्ष की सबलता के प्रमाण स्वरूप कुछ उदाहरण देकर तथ्यों की पुष्टि की जा रही है।

(1) खत अजंत साहिब कलां बहादुर बनाम रईस उदेपुर 18 मई 1861 ईस्वी बैसाख सुदी——— अपरंच आपका खत अरजुन सिंह जी वकील——— अजंसी मेवाड़ जी लाए जो अजंट बहादुर मेवाड़ की नाफरमानी और गफ़लत से माजूल हुआ पहूँचा आप को नहीं चाहिए था कि उसको हमारे पास भेजते लेकिन आपकी इज्जत के खयाल से हम उससे मिले और उसकी जुबानी हाल सुना आप जानते हैं कि हम सात बरस तक पोलिटिकल अजंट मेवाड़ रहे उस अरसह में हमने बहुत कोशिश की कि आपके और आपके सरदारों के रगड़ा मिट जावे और आप खूब जानते हैं कि जो आपने कई बार——— और कुछ नहीं किया बावजूद इस बात के कि हमने आपके मुखालिफों की रईयत का जो आपसे बहुत तंग थे——— ——— आपने उन्हीं का दुःख दर्द क्या मिटाया और उनको क्या आराम दिया इतना भी आपने नहीं किया कि सात सेवाला जो आपकी और हमारी खातरो से थे मस्ल परधी न माजूल होता शेर सिंह जी व रावत जी वगैरह जिनको हमने आपकी कदमबोसी में हाजिर किया उनकी खातरी रखते बावजूद आपके वाकिफ होने के कि गवरनमेंट और सेक्रेटरी हिंद मुतईयनह विलायत लिखते हैं और चाहते हैं कि उन ख़ातरी वालों की खातरी कायम रहे अब आपने अरजुन सिंह जी की मारफ़त हमको कहला भेजा कि आप चाहते हैं कि हम से सलाह लेवें हम क्यों कर सलाह दे सकते हैं क्योंकि यह बात जाहिर है कि आप हमारी सलाह नहीं मानते हैं और अगर सलाह लेते हैं तो उस पर कायम नहीं रहते हैं और न उसके मुवाफिक काम करते हैं हमको इस लिखावट से रंज होता है मगर ब जरूरत इस बात को आप से जाहिर किया है मेजर टेलर साहिब बहादुर अजंट मेवाड़ दाना है और बहुत चाहता है कि आपकी और आपकी रईयत को फायदा हो इसलिये सिर्फ हम यह सलाह दे सकते हैं कि आप उसके कहने पर अमल फरमाएँ और यह——कि जो आपने कई बार फ़रमाया उसी पर अमल करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सलामत और खुश रहिए और मुबारक की खुशी के समाचार हैं———लिखना फरमावसी इति।

टिप्पणी———————अस्पष्ट भाग—जो खराब हो गए (राजस्थान राज्य अभिलेखागार के सौजन्य से है)।

(2) सिद्धि श्री शुभस्थाने बोपमा रावत जी श्री अमर सिंह जी, जोग्य लिखतं जनरज जारज सेंट पेटरिक लारेंस साहिब बहादुर केन सलाम बाँच जो अठारा समाचार भला है राजरा सदा भला चाहीजे. अपरंच राजका खत रामचन्द्र पारीक के मर जाने और उसकी औरत के सती हो जाने के मुकदमे में आया समाचार बंचि वाकिफ हुवा जो कि खत के मुलाहिजह से जाहिर होता है कि इसमें राज की तर्फ से निहायत गफलत हुई और राजने इस बात में सरकार अंगरेज बहादुर और भी महाराजा साहिब बहादुर

(शेष पृष्ठ 26 पर)

राजभाषा हिंदी रेलों पर—क्यों और कैसे ?

—मधुसूदन माथुर

सहायक हिंदी अधिकारी, उत्तर रेल मंडल कार्यालय, बीकानेर

भाषा केवल पारस्परिक संप्रेषण का माध्यम ही नहीं होती वरन् वह व्यक्तियों और समाज को परस्पर एक सूत्र में पिरोने की महती भूमिका भी अदा करती है। अतः भाषा समाज की नियामक होती है। व्यक्ति की वेशभूषा, आचार, व्यवहार, ज्ञान, संस्कृति आदि सभी भाषा की संप्रेषणीयता पर ही आधारित होते हैं और इन्हीं से समाज गतिशील होता है। भाषा जितनी ही परिपुष्ट होगी समाज का प्रत्येक अंग भी उतना ही चेतन और उद्‌बुद्ध होगा। यदि व्यापक स्तर पर सोचें तो भाषा की स्वस्थ बुनियाद पर ही देश का विकास होता है और उसकी उन्नति सम्भव होती है।

भारत की 60 करोड़ बहुभाषी जनता को एकता के सूत्र में पिरोने वाली केवल वही भाषा हो सकती है जो अधिक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली और समझी जाती हो, जिसमें अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त शब्द भंडार हों और जो लोकमानस को सहज स्वीकार्य हो। इस समय लगभग 23–24 करोड़ भारतीय हिंदी बोल और समझ सकते हैं। देश के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक फैले इस विशाल भूखंड में यदि कोई भाषा है जो सदियों से अंतः सलिला की तरह प्रवाहित हो रही है तो वह हिंदी है। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन को लें अथवा धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों को लें, हिंदी जनमानस को सहज ही आलोड़ित करती रही है। उसने देश को संवारने में एक महत्वपूर्ण और सुदृढ़ भूमिका निभायी है। हिंदी की यह प्रवाहमान गति आज भी कायम है और आज भी वह करोड़ों देशवासियों का कंठहार बनी हुई है, उनकी सहज अभिव्यक्ति का माध्यम बनी हुई है। अतः सम्पर्क भाषा के रूप में राजभाषा हिंदी को प्रतिष्ठापित करना उतना ही अनिवार्य है जितना भारतीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में विभिन्न प्रदेशवासियों को परस्पर सन्निकट लाना और उन्हें पारस्परिक संप्रेषण के प्रयोजन से एक भाषाई मंच पर खड़ा करना।

केवल 2 प्रतिशत भारतीयों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा अंग्रेजी समस्त भारत की पारस्परिक बोल-चाल की भाषा या राष्ट्रभाषा कदापि नहीं हो सकती। अंग्रेजी को हम ज्ञानार्जन का माध्यम मान सकते हैं किंतु वह हमारी राष्ट्रीय एकता की भाषा नहीं हो सकती। जिस भाषा को एक सामान्य भारतीय नागरिक बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, जिसमें वह स्वयं को पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं कर सकता, वह भाषा देश की सम्पर्क भाषा नहीं हो सकती। केवल कुछ लाख व्यक्तियों के अंग्रेजी के प्रति लगाव ने हमारे जन-साधारण को एक अर्थ में गूंगा और बहरा बना रखा है। शासन तंत्र में आज भी अंग्रेजी का बोलबाला है। शासक वर्ग द्वारा एक भाषा बोली जाए और शासित वर्ग द्वारा दूसरी, इसे कभी भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता; न ही इससे शासित वर्ग को न्याय मिल सकता है। शासन की भाषा समझने के लिए हमारे अल्पशिक्षित समाज को दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। हमारी ग्रामवासिनी भारत माता को स्वयं समर्थ और सक्षम होते हुए भी बरबस परभाषा की बैसाखी का सहारा लेकर चलना पड़ता है। फल यह है कि प्रशासन अब तक जनता से दूर रहता आया है। इस समय देश में अविश्वास और अनास्था की जो लहर फैली हुई है उसके लिए यह पारस्परिक दूरी कुछ कम उत्तरदायी नहीं है। देश के स्वस्थ विकास के लिए इस खाई को पाटना आवश्यक है। भारत के संविधान भाग 17 के अध्याय 1 से 4 (अनुच्छेद 343 से 351) में राजकाज में हिंदी का प्रयोग करने से संबंधित मार्ग-दर्शक व्यवस्थाएँ दी गई हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 और संशोधन अधिनियम 1967 तथा राजभाषा नियम, 1976 में इस संबंध में व्यापक निदेश दिए गए हैं जिनका पूरी निष्ठा से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

प्रशासन की ओर से निःसंदेह हिंदी माध्यम से सरकारी काम-काज के लिए, अनेक कदम उठाए गए हैं। किंतु देखा गया है कि अब भी कुछ कर्मचारी हिंदी प्रयोग के प्रति रुचि रखते हुए भी, हिंदी में काम करने में झिझकते हैं। इसका कारण स्पष्ट है—उन्होंने अंग्रेजी में ही शिक्षा प्राप्त की है। वे अब तक अंग्रेजी का ही प्रयोग करते आ रहे हैं। अतः अंग्रेजी उनकी रग-रग में बस चुकी है। कार्याधिक्य के कारण, सुविधा के कारण या अन्य किसी कारण अंग्रेजी से पीछा छुड़ा पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। एक बात है अंग्रेजी ने उन्हें समाज में विशिष्टता प्रदान की है, अतः वे विदेशी माल की तरह उसे अपना रखने में संभवतः गौरव का सुख भी महसूस करते हैं। ऐसा करते समय वे यह नहीं सोचते कि भारतीय एकता के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग नितांत अनिवार्य है। कठिनाइयों के बावजूद हिंदी प्रयोग में लाई जा सकती है। अभी तक यदि हिंदी का प्रयोग प्रशासन पूरी तरह प्रचलित नहीं हुआ, विशेषकर हिंदीभाषी क्षेत्रों में, तो उसका मुख्य कारण हमारी मानसिकता ही मानी जाएगी। "काम इसी तरह ठीक चल रहा है सुविधानुसार चलने दो" कहना मानसिक दासता का लक्षण है। स्वतंत्र होते हुए भी हम स्वयं को अभी अंग्रेजी दासता के चंगुल से छुड़ा नहीं पाए हैं। हमें अपनी भाषा

का मूल्य मालूम नहीं हुआ है हमने उसके सद्लाभों को जाना पहचाना नहीं है। हम विदेशी भाषा के, जो हमारे बीच अलगाव की भाषा रही है, आकर्षण से अब भी ग्रस्त हैं। हमारे समाज और संस्कृति का उत्थान जनभाषा के माध्यम से ही संभव है। विदेशी भाषा का पल्ला पकड़ कर न हम इस संस्कृति और समाज के होकर रह सकते हैं, न दूसरी के। राष्ट्रपिता बापू ने भी कहा था "अंग्रेजी में स्वतंत्र भारत की गाड़ी चले, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का और नहीं हो सकता।" विदेशी शासन था तब की बात और थी, अब की बात और है। तब सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी के ज्ञान की अपेक्षा की जाती थी अब हिंदी, युग की अनिवार्यता हो गई है।

देश की एकता को सुदृढ़ता प्रदान करने में रेलों का अपना महत्व है। वह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है, और रेलें देश के सुदूरवर्ती कोनों को एक शृंखला में जोड़तीं है। इन्हें राष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। रेलें केवल परिवहन का काम ही नहीं करतीं वरन् देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी गति प्रदान करती हैं। व्यवसायप्रधान होने के कारण इनके 17 लाख कर्मचारी प्रतिदिन लगभग एक करोड़ व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं। इस प्रकार रेल प्रशासन का दायित्व केवल गाड़ी संचालन तक ही सीमित नहीं है, न ही वह अपने कर्मचारियों के हित साधन तक ही सीमित है, वरन् उसका मुख्य लक्ष्य तो है उस जनता जनार्दन को सुख-सुविधा पहुँचाना जो वस्तुतः हमारी ग्राहक है और संरक्षक है। इस दृष्टि से भी रेलों पर हिंदी का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि हमारी रेलगाड़ियां हिंदी तथा प्रान्तीय भाषाओं में आदेश देकर ही चलाई जाती रही है। बोलचाल में आदेश सदैव हिंदी या प्रान्तीय भाषाओं में दिए जाते रहे हैं। केवल लिखित आदेश की भाषा अंग्रेजी रही है। हमारे 17 लाख में से 12 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, उन्हें जनभाषा में ही आदेश देकर कार्य निष्पादन कराया जाता रहा है। प्रशासन की भाषा किसी भी स्तर पर हो, एक ही होनी चाहिए। भारतीय रेलें और देश की जनभाषा हिंदी धागे के तन्तुओं की तरह परस्पर एक-दूसरे से, अभिन्न रूप में गुंथी हुई हैं। यही जनभाषा हिंदी राजभाषा हिंदी है। इस तरह रेलों के लिए हिंदी के प्रयोग और उसके विस्तार का प्रश्न निश्चय ही अनिवार्यता का प्रश्न है। देशव्यापी रेलों के काम-काज में यदि पूरी तरह हिंदी का प्रयोग होने लगे तो वह देश के बहुमुखी उत्थान में सहायक सिद्ध होगा। इससे रेलों की कार्यकुशलता में सुधार आएगा और उसकी अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। रेलें ऐसा राष्ट्रीय प्रतिष्ठान है जिनमें हिंदी की प्रगति रेल की गति के समान ही बढ़ सकती है।

प्रसन्नता की बात है कि रेलों पर हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक रूप में होने लगा है। देश की 9 रेल व्यवस्थाओं में से 6 रेल व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। इस समय यह सभी व्यवस्थाएं सरकारी काम में हिंदी के प्रयोग को अंगीकार कर रही हैं और इनमें परस्पर स्वस्थ प्रतियोगिता के दर्शन होते हैं। कानूनी स्तर पर भी इन रेल व्यवस्थाओं के अनेक कार्यालयों को संविधान की धारा 10(2) व 10(4) के अधीन भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है जिससे इनके सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है।

रेल व्यवस्था में कलपुर्जों की तरह कार्यरत रेल कर्मचारियों को इस बात का एहसास है कि उनके जरिये देश की भाषायी एकता को बल मिल रहा है। वे देश के आर्थिक और औद्योगिक उत्थान की दिशा में योग दे रहे हैं। साथ ही राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने की महती भूमिका भी अदा कर रहे हैं। यह बात देश के उन अनेक रेलवे स्टेशनों, शेडों और कार्यालयों के निरीक्षण से स्पष्ट हो चुकी है जहाँ हिंदी का प्रयोग और प्रसार तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित कुछ कार्यालयों में तो 90 प्रतिशत से भी अधिक कार्य हिंदी में हो रहा है।

रेल संचालन एक अति जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इसके लिए इंजीनियरी, यांत्रिक, विद्युत, दूर संचार, वाणिज्य, कार्मिक आदि सभी विभागों का समन्वित प्रयास अपेक्षित होता है। इन अति जटिल और दुरूह कार्यकलापों में तथा तकनीकी मामलों में हिंदी के व्यवहार में अभी कठिनाई महसूस होती है, किन्तु रेल का अधिकांश काम जो जनसम्पर्क और कर्मचारी सम्पर्क से संबंध रखता है बखूबी हिंदी में निपटाया जा सकता है और वस्तुतः अब निपटाया भी जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ तकनीकी काम ऐसे भी हैं जिनमें अनुवाद का सहारा न लेकर, अंग्रेजी शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी (देवनागरी) लिपि में लिखकर बात को हिंदी-अंग्रेजी मिश्रित रूप में अभिव्यक्ति दी जा रही है। यही कारण है कि रेलों के तकनीकी और जटिल समझे जाने वाले कामों में भी अब शनैः शनैः हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। हिंदीभाषी क्षेत्रों में तो स्टेशन मास्टर, बिजली चार्जमैन, लोकोशेड, सवारी डिब्बा, माल डिब्बा या इंजन कारखाने, गाड़ी परीक्षक, निर्माण निरीक्षक, रेलपथ निरीक्षक, भंडार कार्यालय आदि सभी कार्यालयों में हिंदी का बहुलता के साथ प्रयोग होने लगा है। पिछले चार-पांच वर्षों में तो हिंदी के प्रयोग में आश्चर्यजनक अभिवृद्धि हुई है। सच तो यह है कि इस समय विभिन्न भारतीय रेल प्रशासनों में होड़ लगी हुई है और सभी रेलें सरकारी काम-काज में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने में एक-दूसरे से आगे बढ़ना चाह रही हैं।

रेलों में परस्पर स्पर्धा की इस भावना को जागृत किया है रेल मंत्री राजभाषा शील्ड ने, जो प्रति वर्ष अधिकतम

प्रगति दिखाने वाले रेल प्रशासन को प्रदान की जाती है, पिछले वर्ष यह शील्ड पूर्वोत्तर रेलवे को प्रदान की गई थी।

जो कर्मचारी हिंदी जानते हैं वे मूल रूप में हिंदी में ही अधिकांश काम करते हैं। इन कर्मचारियों की हिंदी में काम करने की झिझक दूर हो, इसके लिए अधिकारीगण स्वयं हिंदी में काम करने की पहल करके उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह देखा गया है कि निरन्तर महीने भर के अभ्यास से ही हिंदी में काम करने के प्रति जो झिझक या संकोच है वह दूर हो जाता है, भाषा का सतत प्रयोग करने से भाषा में रवानी आती है, वह सुस्पष्ट और सरल होती जाती है तथा उसमें यथावांछित लोच आ जाता है।

फिर भी अभी बहुतेरे रेल कार्यालय ऐसे भी हैं जहां सरकारी कामकाज में टिप्पणियां, आदेश और पत्राचार में अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है और यदि अपेक्षित ही हो तो हिंदी में उसका अनुवाद करा लिया जाता है। हिंदी में सोचकर भी अंग्रेजी में मसौदा तैयार करना और पुनः उसका हिंदी अनुवाद कराना, यह कितना हास्यास्पद प्रतीत होता है। अनुवाद की यह भाषा बहुधा न तो सुस्पष्ट होती है और न ही सहज बोधगम्य। शब्द कोषों की सहायता से लिखे गए भावों में कृत्रिमता होती है, वे हमारे अन्तर्मन को नहीं छूते। आवश्यकता है मूल रूप में हिंदी में ही सोचने और लिखने की। इससे समय और जन शक्ति का अपव्यय भी बचेगा। इस उद्देश्य से अनेक कार्यालयों में कार्यशालाओं का गठन किया गया है जिनमें कर्मचारियों को आमतौर पर प्रचलित और अपने विभाग से संबंधित हिंदी शब्दों और वाक्यांशों की जानकारी प्रदान की जाती है तथा उनके प्रयोग का अभ्यास कराया जाता है। कर्मचारियों की सुविधा के लिए नियमावलियों के हिंदी रूपान्तर तैयार कराये जा रहे हैं। कुछ रेलों पर तो अधिकांश नियमावलियों का अनुवाद भी हो चुका है। कर्मचारियों में समय-समय पर सहायक साहित्य भी बाँटा जाता है।

कर्मचारियों से आग्रह किया जाता है कि वे कामकाज में सरल हिंदी लिखें चाहे अंग्रेजी के अथवा प्रान्तीय भाषाओं के शब्द ही देवनागरी लिपि में क्यों न लिखने पड़ें। क्लिष्ट और अस्पष्ट हिंदी से तो मिश्रित हिंदी ही अच्छी, यदि वह सहज बोधगम्य हो। हमारे संविधान के भी मिश्रित भाषा के प्रयोग की व्यवस्था है। अनुच्छेद 351 के उपबंध में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार हिंदी को समृद्ध करने के लिए आवश्यकतानुसार उसके शब्द भंडार में मुख्यतः संस्कृत से व गौणतः अन्य प्रादेशिक भाषाओं से शब्द ग्रहण किए जा सकते हैं।

किसी भी हाल में देश के कलाकार, साहित्यकार व विद्वद्जन देश की प्रगति के प्रणेता होते हैं, वे ही समाज को दिशा-बोध प्रदान करते हैं, अतः इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने अपनी हिंदी सलाहकार समिति में, उसकी कार्यकारिणी समिति में व विभिन्न क्षत्रीय स्तरों पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में इनको भी शामिल किया है। इन समितियों के सदस्य नियतकालिक रूप में आयोजित बैठकों में सक्रिय भाग लेते हैं व जब-तब स्टेशनों व कार्यालयों पर हिंदी के प्रयोग संबंधी निरीक्षण करते हैं और जो त्रुटियां या कमियां पाई जाती हैं उन्हें दूर कराने के लिए कार्रवाई करते हैं। क्षेत्रीय रेलों के मंडलों और स्टेशनों पर भी राजभाषा समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की बैठकें त्रैमासिक रूप में होती हैं और हर बार तुलनात्मक प्रगति का जायजा लिया जाता है। इन बैठकों में हिंदी में काम करने की दिशा में नये आयाम अपनाने के सुझाव दिये जाते हैं। वास्तव में ये समितियां जागरूक प्रहरी की तरह हमें बार-बार सचेत करती रहती हैं और देशवासियों के प्रति अपने भाषायी दायित्व के निर्वाह के लिए हमें उद्बुद्ध करती रहती हैं। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति भी भारतीय रेलों का दौरा करके उनमें हिंदी के प्रयोग का जायजा लेती रही है।

रेल सेवा आयोगों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में पहले अंग्रेजी के पर्चे में 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य माना जाता था किंतु अब यह शर्त हटा दी गई है जिसके परिणामस्वरूप अब सरकारी नौकरी में वे लोग भी प्रवेश पा सकते हैं जिनकी शिक्षा का माध्यम हिंदी रहा है।

रेल प्रशासनों में प्रतिवर्ष "हिंदी सप्ताह" का आयोजन किया जाता है। सप्ताह के दौरान निरीक्षण, बैठकों, विचारगोष्ठियों तथा कवि सम्मेलनों आदि के कार्यक्रम रखे जाते हैं। इन आयोजनों के जरिए कर्मचारियों के बीच हिंदी के प्रति लगाव की भावना पैदा की जाती है, उनकी भाषायी समस्याओं के समाधान ढूंढ़े जाते हैं। उनके मन से संशय, भ्रम अथवा शंकाओं का निवारण करके उन्हें हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हिंदी में सर्वाधिक

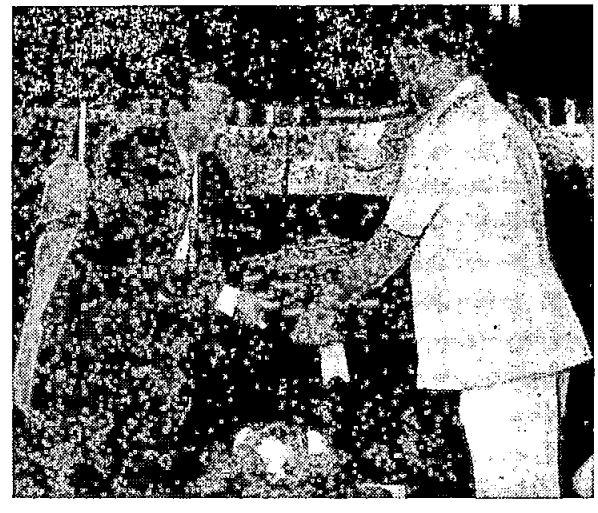

महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे दिल्ली से बीकानेर मंडल के रेल प्रबन्धक, श्री जगदीशचंद्र शील्ड प्राप्त करते हुए।

कार्य करने वाले हिंदी भाषी तथा अहिंदी भाषी कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिये जाते हैं। वाक् प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता व टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं।

कभी-कभी हिंदी में काम करते समय शब्दों की उपयुक्तता और सही शब्द के चयन की कठिनाई आड़े आ जाती है। इस कठिनाई के निवारण के लिए रेल प्रशासनों द्वारा किन्हीं निश्चित टेलीफोन नम्बरों पर सही और उपयुक्त शब्दों के सुझाव दिये जाते हैं।

अंग्रेजी जानने वाले रेल यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से रेल प्रशासनों ने सभी नाम-पट्ट, सूचना-पट्ट आदि हिंदी अंग्रेजी व प्रांतीय भाषाओं में प्रदर्शित किए हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में आरक्षण चार्ट हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में प्रदर्शित करने का भरसक प्रयत्न किया जाता है। आम प्रयोग में आने वाले सभी फार्म द्वि-भाषी रूप में सप्लाई किए जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि गाड़ियों की हिंदी में मुद्रित समयसारिणी बिक्री के लिए हर समय सुलभ रहे। हिंदी में प्राप्त पत्रों के अनिवार्य रूप से हिंदी में ही उत्तर दिए जाते हैं। स्टेशनों पर लाउडस्पीकरों पर सूचनाएं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी प्रसारित की जाती हैं। टेन्डर, करार आदि हिंदी में भी स्वीकार किए जाते हैं। बहुतेरे स्टेशनों से हिंदी में तार भेजने की भी व्यवस्था की गई है। समाचार पत्रों में रेल संबंधी सूचनाए हिंदी में भी जारी की जाती हैं। इस प्रकार रेलों पर हिंदी का बहुमुखी प्रसार किया जा रहा है।

किंतु रेल प्रशासनों का राजभाषा के प्रयोग संबंधी यह अभियान तभी पूरी तरह सफल हो सकेगा जब उन्हें रेल उपभोक्ताओं का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जनता से भी रेल प्रशासन यह अपेक्षा करते हैं कि वे रेल संबंधी अपने सभी फार्म या पत्रादि हिंदी में ही भरें या भेजें। वे अपने यात्रा टिकटों को हिंदी में बनाये जाने की मांग करें, वे आग्रह करें कि आरक्षण चार्ट हिंदी में ही प्रदर्शित किए जायें। हिंदी की समय सारणियाँ खरीदें व अपने सुझाव विभिन्न कार्यान्वयन समितियों को भेजें।

यदि हमारे ग्राहकों व संरक्षकों का हमें पूरा सहयोग प्राप्त हो जाय तो वह दिन दूर नहीं है जब रेल कार्यालयों के कामकाज में सर्वत्र हिंदी ही दिखाई देगी। □

(पृष्ठ 22 का शेष)

उदयपुर के हुक्मों के खिलाफ काम किया और सती होने से रोकने में कुछ कोशिश न की यह बहुत बड़ा कसूर है और हम इस बात से राज से बहुत नाराज हुए हैं अगर राज कुछ भी कोशिश करते यकीन था कि सती न होने पाती और अब जो राज------में उज्र और सती होने से रोकने और मना करने का हाल लिखते हो सिरफ बहाना मालूम होता है और----------है कि राज के हक में बेहतर न हो और अब मुनासिब है कि आयंदह हमारें पास कोई खत या आदमी----- न भेजो और राज का ताल्लुक साहिब अजंट बहादुर मेवाड़ से है उनसे जो कुछ चाहो अर्ज करो और राज के आदमी को यहाँ से रुखसत किया गया सो जानसो और खुशी का लिखा 28 अपरल 1862 ई०।

टिप्पणी : ----------अस्पष्ट भाग जो सील कर खराब हो गया है (राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के सौजन्य से)।

उपर्युक्त दस्तावेज इस बात के प्रमाण हैं कि सदियों पूर्व से प्रशासन में हिंदी के प्रयोग की एक सबल परम्परा चली आ रही है। □

(पृष्ठ 21 का शेष)

रहना लाजिमी होगा, वरना कोई मिलाने वाली ताकत न होने के कारण हम सब बिखर जाएंगे और प्रांतीयता जोर पकड़ कर राष्ट्र का गला घोंट देगी, और जिस बिखरी हुई दशा में हम अंग्रेजों के आने के पहले थे, उसी में फिर लौट जाएँगे।"

स्वाधीनता के बत्तीस वर्षों के बाद भी भारत की एक 'सार्वदेशिक' भाषा अब तक प्रयोग में न आ सकी। क्या प्रेमचंद की भविष्यवाणी की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है? क्योंकि आज अनेक लोग यह कहते सुने जा रहे हैं कि अंग्रेजी को ज्यों का त्यों कायम रखने में क्या हानि है? इसके बाद शायद वही लोग कुछ दिनों बाद यह भी कहने में संकोच नहीं करेंगे कि अंग्रेजों को भी वापस आने में क्या हानि है? जो थोड़े से 'अंग्रेजी वाले' अंग्रेजी को बनाए रखना चाहते हैं, उनके अलावा क्या और लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है? □

कर्नाटक में हिंदी प्रचार

---पा० वेंकटाचारी

सचिव, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, बंगलौर शाखा, बंगलौर

दक्षिण के हिंदी प्रचार के इतिहास का, यह अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सत्य है कि सभा के नए विधान के अन्तर्गत, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की पहली बैठक 1927 जुलाई महीने में बंगलौर में संपन्न हुई। उस वक्त अखिल कर्नाटक हिंदी प्रचारक सम्मेलन भी पूज्य महात्माजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन पंडित मालवीय जी ने किया। हिंदी प्रचारक सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी को राष्ट्रलिपि के रूप में अपनाने की प्रार्थना जनता से की गई। उसके पहले भी मद्रास के सभी कार्यालयों की ओर से, कर्नाटक में कई हिंदी प्रचारकों के द्वारा, स्थानीय हिंदी प्रेमियों की सहायता से, हिंदी प्रचार का कार्य हुबली, बेलगाम, मंगलूर, बंगलौर आदि शहरों में चालू था। ये प्रचारक राष्ट्रीय और स्वदेशी भावना से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंग के रूप में सेवा कार्य में लगे थे।

1935 मे अखिल कर्नाटकीय संगठन का ढांचा तैयार किया गया और 1936 में बंगलौर में प्रांतीय स्तर पर, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की कर्नाटक शाखा 'कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा' की वैधानिक स्थापना हुई। उस वक्त से लेकर, कर्नाटक भर में राष्ट्रीय रचनात्मक कार्य के रूप में कई हिंदी प्रचारकों के अथक परिश्रम और सेवा से हिंदी प्रचार कार्य का विकास होने लगा। 1937 में बंगलौर स्थित प्रांतीय सभा का प्रधान कार्यालय धारवाड़ में लाया गया। योग्य हिंदी प्रचारकों और कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए पहले पहल एक हिंदी शिक्षक विद्यालय भी धारवाड़ में खोला गया। उसके बाद भिन्न-भिन्न केन्द्रों में कई विद्यालय खोले गए। इन विद्यालयों में प्रशिक्षित सैकड़ों हिन्दी प्रचारक अब भी कर्नाटक की शिक्षण संस्थाओं में हिंदी प्रचार कार्य में लगे हैं। कर्नाटक में हिंदी प्रचार का इतिहास, मानों राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है।

हिंदी प्रचार के आरम्भकाल में सबसे पहले उस वक्त की मैसूर सरकार की तरफ से हमें बड़ा प्रोत्साहन मिला। कर्नाटक राज्य के निर्माण के बाद हिंदी प्रचार एवं प्रसार कार्य में कर्नाटक राज्य सरकार और शिक्षा विभाग का योगदान अत्यन्त प्रशंसनीय तथा उत्साहवर्धक रहा है। 1929 में ही कर्नाटक के हाई स्कूलों में द्वितीय भाषा की सूची में हिंदी को स्थान मिला। 1949 में हाई स्कूलों में सबके लिए हिंदी का अध्ययन आवश्यक बनाया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी जुलाई, 1958 में सरकारी आदेश द्वारा सभा की मध्यमा या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक बनाया गया। उसके बाद प्रवेशिका में उत्तीर्ण होनेवालों को नकद पुरस्कार देने का काम चालू हुआ। राज्य की तरफ से हिंदी बोर्ड का गठन किया गया तथा एक हिंदी विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया गया। योग्य अध्यापकों को तैयार करने के लिए सरकार की तरफ से प्रशिक्षण विद्यालय भी खोले गए। आजकल कर्नाटक राज्य में छठे दर्जे से लेकर एस० एस० एल० सी० तक हिंदी शिक्षण का उत्तम प्रबन्ध है। 1955 से सभा की प्रारंभिक परीक्षाओं (प्राथमिक, मध्यमा, राष्ट्रभाषा) का प्रांतीयकरण हुआ और कर्नाटक के तीनों विश्वविद्यालयों में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी अध्ययन का प्रबंध है, तथा बहुत लोकप्रिय है। विश्वविद्यालयों में हिंदी में एम० ए० तक की पढ़ाई और अनुसंधान का भी प्रबंध है।

कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा की तरफ से कर्नाटक भर में प्रचार, संगठन, शिक्षण तथा परीक्षा संबंधी सब काम व्यवस्थित रूप से होने लगा तथा परीक्षार्थी संख्या में बड़ी वृद्धि हुई। यह उल्लेखनीय है कि उस वक्त दक्षिण भारत के दूसरे प्रांतों की अपेक्षा कर्नाटक में सभा के परीक्षार्थियों की संख्या सब से अधिक रहा करती थी।

1951 में कर्नाटक में हिंदी प्रचार की रजत जयंती श्री बाला साहेब खेर की अध्यक्षता में धारवाड़ में मनाई गई। सभा के उत्तम कार्य से प्रभावित होकर, कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा भवन के लिए धारवाड़ में आवश्यक जमीन प्रदान की गई और उसमें सभा के लिए धारवाड़ में अपना निजी भवन 1962 में बना, जिसमें सभा का प्रधान कार्यालय, सभी विभाग तथा प्रेस भी है। बंगलौर में मुख्य कार्यालय है। उस वक्त से सभा के शिक्षण कार्य के लिए सरकार से आर्थिक सहायता भी मिलने लगी।

1955 से सभा की प्रारंभिक परीक्षाओं (प्राथमिक, मध्यमा, राष्ट्रभाषा) का प्रांतीयकरण हुआ और परीक्षाओं का संचालन प्रांतीय सभा की तरफ से होने लगा, जो बहुत लोकप्रिय बना।

कर्नाटक के सैकड़ों केंद्रों में सभा की प्रारंभिक परीक्षाएँ संचालित की जाती हैं। इसके साथ-साथ केन्द्र सभा की तरफ से प्रवेशिका, विशारद, प्रवीण आदि उच्च परीक्षाएं भी आयोजित करता है। प्रचारकों को प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें परीक्षा अनुदान भी दिया जाता है। हिंदी प्रचार में गतिशीलता लाने के लिए समय समय पर प्रचार-प्रचारक संगोष्ठी-सम्मेलनों का भी प्रबंध हुआ जिसमें 1957 में दावणगेरे तथा 1968 में बंगलौर में संपन्न अखिल कर्नाटक हिंदी प्रचार-प्रचारक-सम्मेलन उल्लेखनीय है। सभा के आजीवन अध्यक्ष पूज्य महात्मा गाँधी जी की अध्यक्षता में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की रजत जयंती मनाई गई। इसको सफल बनाने में कर्नाटक के हिंदी प्रेमियों और प्रचारकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ था। इस संबंध में कर्नाटक में भी विशेष कार्यक्रम बनाकर कार्यान्वित किए गए।

इसके बाद 1964 में कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा की रजत जयंती धारवाड़ में बड़े पैमाने पर मनाई गई। तीन दिन के रजत जयंती उत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय भाषा-सम्मेलन, अखिल भारतीय देवनागरी परिषद, मैसूर राज्य हिंदी शिक्षक सेमिनार, अखिल कर्नाटक हिंदी प्रचारक सम्मेलन, भारतीय भाषा कवि-सम्मेलन आदि संपन्न हुए, जिससे प्रचारकों को बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।

कर्नाटक भर में लगभग दो हज़ार से ज्यादा हिंदी प्रचारक सभा से प्रेरणा पाकर हिंदी प्रचार और राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगे हैं, जिनकी उत्तम सेवा से सभा के कार्य में प्रगति हुई है। कर्नाटक में ज्यादा संख्या में जो विद्यार्थी बैठते हैं, इसका सारा श्रेय उन्हीं हिंदी प्रचारकों को है।

सभा की तरफ से कई केंद्रों पर हिंदी विद्यालय तथा हिंदी वर्ग संचालित किए जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय की सहायता से, पंचवर्षीय योजना द्वारा उपलब्ध अनुदान के अन्तर्गत, कर्नाटक भर में हिंदी विशारद विद्यालय, निःशुल्क हिंदी वर्ग, हिंदी मुद्रा-लेखन विद्यालय आदि संचालित थे। सभा के सदर मुकाम में हिंदी पुस्तकालय का प्रबंध है। इसके अलावा कई केंद्रों पर हिंदी पुस्तकालय भी हैं।

सभा की तरफ से धारवाड़ और बंगलौर में हिंदी माध्यम के हाईस्कूल तथा प्राइमरी स्कूल भी संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा कर्नाटक राज्य में कई हिंदी माध्यमिक स्कूल चलाए जाते हैं। अभी हाल में हिंदी माध्यम का एक कालेज भी खोला गया है।

प्रांतीय सभा की ओर से कई हिंदी और कन्नड़ पुस्तकें तथा सभा की मुखपत्रिका 'भारतवाणी' प्रकाशित होती है। यह सारा सेवाकार्य जनता तथा सरकार के अमूल्य सहयोग से संपन्न हो रहा है।

प्रांतीय सभा की रजत जयंती के बाद कार्य में तीव्रता आई तथा परीक्षार्थी संख्या में बड़ी वृद्धि हुई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्वर्ण-जयंती के अवसर पर, कर्नाटक में भी इससे संबंधित कार्यक्रम बनाए गए है केन्द्र सभा की स्वर्ण जयंती मनाने में कर्नाटक से भी काफी सहयोग प्राप्त हुआ। पिछले तीन-चार साल से कर्नाटक प्रांतीय सभा के कार्य में कुछ कमियों से कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सभा ने अपने दायित्व में ली है। संप्रति दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, बंगलौर शाखा की ओर से कर्नाटक का संपूर्ण हिंदी प्रचार और संगठन-कार्य तथा प्रारंभिक परीक्षाओं का संचालन भी केंद्र सभा की तरफ से बेंगलूर से होने लगा है।

सभा का हीरी-जयंती वर्ष (1979-80) कर्नाटक भर में मनाने का सारा प्रबंध किया जा रहा है। उसकी मुख्य योजनाएं नीचे दी जाती हैं :—

(1) हीरक जयंती सरल हिन्दी मौखिक परीक्षाओं का संचालन।

(2) नए विद्यालयों तथा केंद्रों (कम से कम 60) का संगठन और संचालन।

(3) कर्नाटक भर में कम से कम 60 सार्वजनिक उत्सव, जिला हिन्दी प्रचार/प्रचारक सम्मेलन तथा कर्नाटक राज्य हिंदी प्रचार/प्रचारक सेमिनार तथा सम्मेलन।

(4) जिला समितियों का पुनः संगठन, जहाँ संभव हो जिला समितियों के लिए निजी भवन का प्रबंध।

(5) जयंती निधि के लिए धन-संग्रह।

जिला समितियाँ

कर्नाटक की अपनी विशेषता है कि कर्नाटक के सभी जिलों में सभा की प्रशासनिक इकाई के रूप में जिला समितियाँ संगठित हैं। प्रयत्न किया जा रहा है कि जिला समितियाँ हर जिले में प्रचार कार्य की पूरी जिम्मेवारी लें और प्रचारकों को सब तरह की सुविधाएँ पहुंचाएं। मंगलौर जिला समिति का मंगलौर में अपना भवन है और सभी जिला समितियों के अपने निजी भवन हीरक जयंती साल में बनवाने की योजना है। इसके अलावा कुछ जिला समितियों को भवन निर्माण के लिए ज़मीन भी प्राप्त है। उडुपी हिंदी प्रचार समिति के लिए स्थानीय हिंदी प्रेमियों के अथक प्रयत्न से अपना निजी भवन बन रहा है।

कर्नाटक में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अलावा, राज्य स्तर पर और भी कुछ स्वायत्त संस्थाएँ प्रचार कार्य में लगी हैं। इसमें मैसूर हिंदी प्रचार परिषद्, मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति, महिला हिंदी सेवा समिति आदि प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं। इनके अलावा लगभग 100 स्थानीय हिंदी संस्थाएँ तथा हिंदी विद्यालय संचालित हैं, जहाँ सभा की विभिन्न परीक्षाओं के लिए संगठित रूप से कक्षाएं चलाई जाती हैं। हिंदी प्रचार कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए तथा हिंदी विद्यालयों के लिए राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार से सब तरह की आर्थिक सहायता और मान्यता प्राप्त है।

(शेष पृष्ठ 36 पर)

रेलवे हिंदी सलाहकार समिति

---14वीं बैठक का कार्यवृत्त

रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 14वीं बैठक 22-3-1980 को संस्कृति भवन, पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी में हुई। समिति के अध्यक्ष, रेल मंत्री पं० कमलापति त्रिपाठी अस्वस्थ होने के कारण बैठक में उपस्थित न हो सके। उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता समिति के उपाध्यक्ष रेल राज्य मंत्री श्री सी० के० जाफर शरीफ ने की। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया :—

1. श्री सी० के० जाफर शरीफ, रेल राज्य मंत्री । — उपाध्यक्ष
2. श्री भगवान देव, संसद सदस्य — सदस्य
3. श्री राम वहोरी शुक्ल — ,,
4. श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी — ,,
5. डॉ० पारसनाथ तिवारी — ,,
6. श्री जयवंशी झा शास्त्री — ,,
7. श्री कन्हैयालाल नंदन — ,,
8. श्री वी० राधाकृष्ण मूर्ति — ,,
9. डॉ० मलिक मोहम्मद — ,,
10. श्री गिरधारी लाल चांडक — ,,
11. डॉ० विद्या निवास मिश्र — ,,
12. श्री काशीनाथ उपाध्याय "भ्रमर" (बेधड़क, बनारसी) — ,,
13. श्री जगदीश प्रसाद पीयूष — ,,
14. श्री राम नारायण — ,,
15. श्री प्रेमनाथ जैन, वित्त आयुक्त (रेलवे) — ,,
16. श्री के० एन० घोष, मुख्य राजभाषा अधिकारी, वि० रे० इं० का० । — ,,
17. श्री एम० के० कौल, मु० रा० भा० अधि०, रेलवे स्टाफ कालेज, वड़ौदा । — ,,
18. श्री कृष्ण कुमार जोशी, मु० रा० भा०, अधि०, डी० रे० इं० का० — ,,
19. श्री आर० जानकी रमन, मु० रा० भा० अधि०, स० डि० का० के प्रतिनिधि । — सदस्य
20. श्री म० प्र० वहादुर, मु० रा० भा० अधि०, मध्य रेलवे — ,,
21. श्री ए० सेन, मु० रा० भा० अधि०, पूर्व रेलवे । — ,,
22. श्री बी० आर० पाहवा, मु० रा० भा० अधि०, उत्तर रेलवे । — ,,
23. श्री टी० वी० माधव, मु० रा० भा० अधि०, उत्तर रेलवे । — ,,
24. श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, मु० रा० भा० अधि०, पू० सी० रेलवे । — ,,
25. श्री के० के० गोपालराव, मु० रा० भा० अधि०, दक्षिण रेलवे । — ,,
26. श्री एस० शंकर, मु० रा० भा० अधि०, दक्षिण-मध्य रेलवे । — ,,
27. श्री वेद प्रकाश डाँग, मु० रा० भा० अधि०, दक्षिण-पूर्व रेलवे । — ,,
28. श्री रघुवीर सिंह मु० रा० भा० अधि०, पश्चिम रेलवे । — ,,
29. श्री डी० पी० पुरंग, मु० रा० भा० अधि० अ० अ० मा० संगठन । — ,,
30. श्री राज कृष्ण बंसल, उपसचिव, राजभाषा विभाग — ,,

31. श्री शिवसागर मिश्र, निदेशक, राजभाषा, रेल बोर्ड — सदस्य/सचिव

विशेष आमंत्रित :—

1. श्री लालजी सिंह, महा प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे ।
2. श्री के० पी० जयराम, महाप्रबंधक, डी० रे० इं० का०,
3. श्री आर० के० नटेसन, महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे ।
4. श्री क्रांति कुमार, मंडल रेल प्रबंधक, वाराणसी मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे ।

1. रेल मंत्री द्वारा सदस्यों का स्वागत

रेल मंत्री जी की अनुपस्थिति में उनका भाषण सदस्यों में वितरित किया गया । रेल मंत्री जी के भाषण की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) रेलवे बोर्ड में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है । इसके अलावा क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालयों, मंडलों, कारखानों और स्टेशनों पर भी इस प्रकार की समितियाँ बनाई गई हैं । जिन स्टेशनों/कार्यालयों में तीसरे दर्जे के 250 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की गई हैं । रेल कार्यालयों में अब तक 324 राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की जा चुकी हैं और यह प्रक्रिया जारी है ।

(2) रेल मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति की शब्दावली एवं पुस्तक चयन समितियाँ गठित हैं ।

(3) अहिंदी भाषी रेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए रेलों ने अपने विभागीय प्रशिक्षण केंद्र चला रखे हैं । ऐसे केंद्रों की संख्या 200 से अधिक है ।

(4) राजभाषा नियम के उप नियम 10(4) के तहत रेल कर्मचारियों को हिंदी-कार्य के लिए अधिसूचित किया जाता है । ऐसे अधिसूचित कार्यालयों की संख्या 190 तक पहुंच चुकी है । राजभाषा नियम, 1976 के उप नियम 8 (4) को भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में लागू किया जाए ताकि हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा मिल सके ।

(5) अनेक रेलवे प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षणाधीन कर्मचारियों को हिंदी में भी प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है । रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ोदा में भी प्रोबेशनर अधिकारियों को, उनके पाठ्यक्रम के साथ, हिंदी प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जा रही है ।

(6) अनूदित नियमावलियों या संहिताओं के प्रकाशन की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है ।

(7) रेलवे के प्रेसों में हिंदी मुद्रण क्षमता का अभाव है । इसे दूर किया जाना चाहिए । नियमानुसार फार्मों का हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषा में छापा जाना अनिवार्य है । कोई भी फार्म केवल अंग्रेजी में न छापा जाए । इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना अपेक्षित है ।

(8) सरकारी कामकाज में हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कृत किया जाता है । सामूहिक और व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजनाएँ शुरू की गई हैं ।

(9) यद्यपि हम द्विभाषी स्थिति से गुजर रहे हैं फिर भी संवैधानिक अनिवार्यता को पूरा करना है ।

2. सदस्य सचिव द्वारा रेलों पर हिंदी की स्थिति पर रिपोर्ट

समिति के सदस्य सचिव, श्री शिवसागर मिश्र, निदेशक, राजभाषा, रेलवे बोर्ड ने रेलों पर हिंदी कार्य की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट पढ़ते हुए, समिति को राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं के पालन के लिए केंद्र में, गृह मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में और रेलों पर बनी विभिन्न समितियों के बारे में जानकारी दी । उन्होंने बताया कि भारत के विभिन्न स्थानों पर सलाहकार समिति की बैठकें रखने से संबंधित क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग के लिए अच्छा वातावरण बनता है और वाराणसी में बैठक माननीय रेल मंत्री जी के आदेश से रखी गयी थी । रेल राज्य मंत्री जी ने भी, बाद में अपने भाषण में, यह प्रस्ताव किया कि समिति की अगली बैठक बंगलौर में रखी जाए ।

2. सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि अधिसूचित रेल कार्यालयों की संख्या बढ़कर 190 हो गई है जिनमें रेलवे बोर्ड कार्यालय, समूची पूर्वोत्तर रेलवे और दो रेलों के प्रधान आर्यालय भी शामिल हैं ।

3. रेल मंत्रालय के कोडों, मैनुअलों आदि के हिंदी में अनुवाद और द्विभाषिक प्रकाशन की प्रगति बताते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि अनुवाद कार्य तो राजभाषा निदेशालय के जिम्मे है लेकिन अनुवाद को प्रमाणित करने का काम तकनीकी विभागों का है । इस व्यवस्था में कुछ दिक्कत है क्योंकि जब तक वह अनुमोदित न कर दें तब तक छपवाना संभव नहीं होगा और उनके यहाँ इसके लिए अपेक्षित अधिकारियों का अभाव है ।

4. सदस्य-सचिव ने बताया कि विभिन्न रेल कार्यालयों में राजभाषा कानून और संवैधानिक दायित्व के पूर्ण अनुपालन के लिए हिंदी यूनिटों में कर्मचारियों की संख्या अभी पर्याप्त नहीं है और अतिरिक्त पदों की माँग की समीक्षा वित्त निदेशालय की राय से की जाएगी ।

5. सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि रेल कार्यालयों में देवनागरी के टाइपराइटरों की कुल संख्या बढ़कर 2587 हो गई है । इनकी संख्या निरन्तर बढ़ाई जा रही है ताकि हिंदी का कार्य निर्बाध रूप से होता रहे ।

6. उन्होंने बताया कि हिन्दी पत्र-व्यवहार पिछली तिमाहियों की तुलना में कुछ कम हुआ लेकिन राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुपालन की स्थिति में सुधार हुआ । 93 प्रतिशत परिपत्र द्विभाषिक रूप में जारी हुए और अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियाँ, टेंडर, फार्म आदि शत-प्रतिशत द्विभाषिक रूप में जारी किए गए ।

7. हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए रेलों पर और फिर अखिल भारतीय स्तर पर भी वाक्प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं । इसके अलावा और भी कई पुरस्कार प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की गयी हैं। सदस्य सचिव ने बताया कि इस बार की निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान दक्षिण रेलवे को प्राप्त हुए ।

8. व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष में एक बार दक्षिण या पूर्वी भारत के ऐसे रेल कर्मचारियों की टोलियों को जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो गया है, उत्तर भारत में स्थित रेल कार्यालयों में ले जाकर हिंदी का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है । यह कार्यक्रम पिछले वर्ष से शुरू किया गया है । अब इसे साल में दो बार करने का प्रस्ताव है ।

9. "राजभाषा वर्ष" अर्थात वर्ष 1979 के लिए रेलों ने विशेष कार्यक्रम बनाए थे और लक्ष्य निर्धारित किए थे। सदस्य सचिव ने सूचित किया कि रेलों से इस विषय में कार्यान्वयन रपट माँगी गयी है और कुछ रेलों से रपट का इंतजार है ।

10. सदस्य सचिव ने आशा व्यक्त की कि रेल मंत्रालय (रेलों सहित) अपने प्रशासनिक कर्मचारियों को सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा निर्धारित 5 वर्ष की अवधि में पूरा कर लेगा । रेलवे स्टाफ कालिज' बड़ौदा में अहिंदी भाषी उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और विभागीय तौर पर परिचालनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं। विभागीय केन्द्रों के हिंदी अध्यापकों को मानदेय की संशोधित राशि बढ़ाने क यत्न किया जाएगा ।

11. सदस्य सचिव ने सूचित किया कि क्षेत्रीय रेलों में 295 हिंदी पुस्तकालय स्थापित हैं और कहीं-कहीं चलते-फिरते पुस्तकालय भी शुरू किए गए हैं । रेल मंत्रालय की पुस्तक चयन उपसमिति द्वारा इन पुस्तकालयों के लिए हिंदी की पुस्तकों का चयन किया जाता है । इस उपसमिति की पिछली अर्थात् सातवीं बैठक में एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि "पुस्तकों की खरीद के लिए टेंडर मंगवाने की बजाए 20 प्रतिशत कमीशन की एक समान दर रखी जाए" जिससे सभी छोटे-बड़े प्रकाशनों और मूर्धन्य लेखकों की पुस्तकें उचित अनुपात में खरीदी जा सकें ।

12. सदस्य-सचिव ने अपनी रिपोर्ट में आगे बताया कि संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति रेल कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का मूल्यांकन कर रही है । यह उपसमिति अब तक 95 कार्यालयों का निरीक्षण कर चुकी है और इसके सदस्यगण आमतौर पर रेल विभाग में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति से आश्वस्त प्रतीत हुए हैं ।

3. पिछली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई

सदस्यों की पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई नोट की । तत्पश्चात रेल राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) महोदय ने कहा कि कर्नाटक जैसे दक्षिण के प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग हिंदी पढ़ रहे हैं । वहाँ हिंदी का विरोध भी नहीं है । लेकिन दक्षिण में यह भावना विशेषकर तमिलनाडु में है कि हिंदी लादी जा रही है और हिन्दी आ जाने से उनका नुकसान होगा । उन्होने बताया कि दक्षिण में लोग हिंदी बोलते हैं, फिल्में हिन्दी की देखते हैं लेकिन जब लिखने की बात आती है तो समझते हैं कि लिखने से उनका अहित होगा । मंत्री जी ने कहा कि यह भावना उन्हें अपने मन से निकाल देनी चाहिए । उनका कोई नुकसान नहीं होगा । हिंदी उन पर लादी भी नहीं जा रही है । उन्होंने हिंदी का प्रयोग-प्रसार करने वालों को यह सुझाव दिया कि इस शंका को प्रेम से दूर करें और उनके मन में विश्वास पैदा करें ।

2. मंत्री जी ने कहा कि आंध्र, कर्नाटक और केरल क्षेत्र में हिंदी के लिए ज्यादा काम किया जाना चाहिए । मंत्री जी ने सुझाव भी दिया कि हिंदी भाषा सुगठित और सुचलित होनी चाहिए ताकि पढ़ने वालों को मीठी लगे और सीखने में आसानी हो ।

3. मंत्री जी ने पूरे देश की एकता के लिए एक भाषा की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि स्थान-स्थान की हिंदी भाषा के रूप में थोड़ा-बहुत फर्क हो सकता है लेकिन होगी वह भाषा एक ही ।

4. मंत्री जी ने कहा कि सदस्य सचिव की रिपोर्ट से प्रकट है कि रेलों में हिंदी का खूब काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें भी कोशिश करें तो उनके सहयोग से हिंदी के प्रयोग-प्रसार में और भी जोर आ सकता है ।

5. समिति के सदस्य, श्री कन्हैया लाल नंदन का कहना था कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में "हिंदी चलाइए" यह कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । उन्होंने शिकायत की कि जिन मंडलों के लिए यह तय हुआ था कि वहां शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में हो, वहाँ भी फिर से अंग्रेजी वापस आ गई है

6. एक अन्य सदस्य, डॉ० मलिक मोहम्मद का कहना था कि यदि हिंदी क्षेत्रों में रेलों पर हिंदी चले तो अन्य प्रदेशों में अपने-आप हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा । उन्होंने सरल हिंदी के प्रयोग पर बल दिया ।

7. दक्षिण से आए एक अन्य सदस्य, श्री वे० राधाकृष्ण मूर्ति का यह कहना था कि तमिलनाडू की जनता हिंदी का विरोध नहीं करती है और यह केवल एक राजनीतिक मसला है ।

8. उन्होंने सुझाव दिया कि समिति की अगली बैठक बंगलौर या मैसूर में हो । राज्य मंत्री जी ने बंगलौर में आयोजित करने का आश्वासन दिया ।

9. श्री राधाकृष्ण मूर्ति को शिकायत थी कि मद्रास में हिंदी-कार्य के लिए बहुत कम कर्मचारी हैं। निदेशक, राजभाषा ने बताया कि चार वर्ष पहले वहाँ एक भी राजपत्रित अधिकारी नहीं था लेकिन अब है, और भी जहां-जहां आवश्यक होगा कर्मचारी दिए जाएंगे ।

10. श्री राधाकृष्ण मूर्ति का एक सुझाव यह भी था कि अंग्रेजी टंककों से हिंदी टंकक और हिंदी टंककों से अंग्रेजी टंककों का काम न लिया जाए । इस पर निदेशक, राजभाषा ने बताया कि इस तरह के आदेश रेलों को हैं कि वे 25 प्रतिशत हिंदी टाइपिस्ट भर्ती कर सकते हैं ।

11. श्री भगवान देव, संसद सदस्य ने कहा कि यद्यपि रेलों विशेषकर उत्तर रेलवे जैसी रेलों पर कर्मचारी हिंदी ही अधिक समझते हैं तो भी परिपत्र अंग्रेजी में निकाले जाते हैं । उन्होंने कहा कि यह राजभाषा के प्रति अन्याय है । उन्होंने बताया कि हिंदी में परिपत्र आदि न भेजें जाने के कारण इस रेलवे के मुख्यालय में एक हिंदी टाइपिस्ट को मजबूरन अंग्रेजी टाइपिस्ट बना दिया गया है ।

12. इस पर राज्य मंत्री जी ने यह मंतव्य प्रकट किया कि स्थिति एक पीढ़ी के साथ ठीक हो जाएगी । अभी अधिकारी वर्ग अंग्रेजी में अभ्यस्त हैं । हिंदी को समझने में कुछ कठिनाई होने पर वह अपने अधीनस्थ यदि किसी संबंधित कर्मचारी से, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों अच्छी तरह जानता है, उसे अंग्रेजी में बता देने का अनुरोध करता है तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए । उन्होंने कहा लेकिन अधिकारियों की भी कोशिश होनी चाहिए कि वे जल्द से जल्द हिंदी सीखें और हिंदी में लिखें पढ़ें । उन्होंने सुझाव दिया कि यदि नई भर्ती के समय ही हिंदी की ट्रेनिंग का प्रबंध हो जाए तो अधिक सुविधाजनक रहगा ।

13. निदेशक, राजभाषा ने सदस्य महोदय से अनुरोध किया कि वे संसद सदस्य हैं और संसद के जरिए रेल विभाग की हिंदी संबंधी कठिनाइयों को दूर करवा सकते हैं और वे मदद करेंगे तो राजभाषा के नाते हिंदी की जैसी स्थिति होनी चाहिए वह हो जाएगी ।.

14. श्री भगवान देव जी की राय में हिंदी पुस्तकालयों के लिए नियत की गई राशि कम है । उनका एक सुझाव यह भी था कि हिंदी में अधिक से अधिक रेलवे रसीदें काटने वालों को पारितोषिक प्रदान किया जाए ।

15. समिति के सदस्य श्री काशीनाथ उपाध्याय "भ्रमर" ने राजभाषा के संबंध में रेल राज्य मंत्री के सारगर्भित भाषण की प्रशंसा करते हुए, यह कहा कि हिंदी किसी पर लादी नहीं जा रही है । बल्कि लोग स्वयं दिक्कत पैदा कर रहे हैं । उनका विचार था कि हिंदी के प्रचार-प्रसार में तीन माध्यम सबसे अधिक सहायक रहे हैं, (1) फिल्म (2) रेलवे और (3) महिला वर्ग । उनका सुझाव था कि महिलाओं को इस समिति से संबद्ध रखा जाए तो हिंदी की दृष्टि से अच्छा रहेगा ।

16. डॉ० विद्यानिवास मिश्र का विचार था कि अहिंदी भाषियों का विश्वास प्राप्त करने के लिए रेलें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं । उन्होंने सुझाव दिया कि रेल मंत्रालय जिन अधिकारियों को अन्य प्रांतों अर्थात अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भेजता है, उन्हें प्रेरित करें कि वे वहां उन क्षेत्रों की भाषाएं सीख कर जाए ताकि वे वहाँ के लोगों से उनकी ही भाषा में बात करके उनका मन जीत सकें । उनका विचार था कि इससे सद्भाव बढ़ेगा ।

17. डॉ० विद्यानिवास मिश्र का दूसरा सुझाव था कि दक्षिण की जनता के उपयोग के लिए अधिकतर रेलवे फार्म हिंदी-तमिल, हिंदी-मलयालम, हिंदी-कन्नड़ और हिंदी-तेलुगू द्विभाषिक रूप में तैयार किए जाएँ, जिसमें पदनाम हिंदी के ही रहें तो वे लोग हिंदी भी आसानी से सीख सकेंगे । ऐसे कार्यों में अँग्रेजी की आवश्यकता नहीं है ।

18. डॉ० मिश्र का तीसरा सुझाव यह था कि रेल के डिब्बों में, स्टेशनों आदि पर मनुष्य को ऊँचा उठाने वाली प्रमुख साहित्यकारों, संतों आदि की वाणियां हिंदी में और संबंधित क्षेत्र की अपनी भाषा में द्विभाषिक रूप में अंकित की जाएँ । इससे जनता में यह उत्सुकता पैदा होगी कि किसी वाणी को मूल भाषा में किन शब्दों में कहा गया है । इससे हिंदी की उन्नति होगी और विभिन्न भाषा-भाषियों में परस्पर सद्भाव और विश्वास पैदा होगा । निदेशक ने बताया कि जहाँ तक महापुरुषों की वाणियों को प्रदर्शित करने की बात है, यह योजना चालू की गई थी, लेकिन फिर धार्मिक/राजनैतिक बातों से जोड़कर इस पर आपत्ति उठने लगी । अब पुनः नए सिरे से इस पर विचार किया जा रहा है । समिति के सदस्य यदि अपने-अपने क्षेत्र में प्रचलित सूक्तियों का संकलन हमें भेज सकें, तो कृपा होगी ।

"क" और "ख" क्षेत्र में चलने वाली सवारी गाड़ियों में महापुरुषों की सूक्तियां लगाने के प्रश्न पर चर्चा के दौरान डॉ० पारसनाथ तिवारी ने विचार व्यक्त किया कि सूक्तियाँ केवल स्टेशन परिसर में लगाई जाएँ, गाड़ियों के डिब्बों में नहीं। किंतु श्री बेधड़क बनारसी का विचार था कि संतों की सूक्तियाँ सवारी डिब्बों तथा स्टेशनों पर दोनों जगहों पर लगाई जाएँ। इसमें किसी संत या महापुरुष का अनादर नहीं है। डा० विद्यानिवास मिश्र ने सुझाव दिया कि स्टेशनों या गाड़ियों में उस क्षेत्र विशेष के संतों की सूक्तियाँ लगाई जाएँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संतों की सूक्तियाँ एकत्रित करके रेलवे बोर्ड को भेजेंगे।

डॉ० पारसनाथ तिवारी ने सुझाव दिया कि सदस्य सूक्तियाँ भेजें उसके बाद इस प्रश्न पर निर्णय लिया जाए। निदेशक, राजभाषा ने सहमति प्रकट करते हुए कहा कि सदस्यों से सूक्तियाँ प्राप्त होने पर मंत्री जी को भी प्रस्तुत कर दी जाएँगी और तभी निर्णय लिया जाएगा।

श्री काशीनाथ उपाध्याय ने सुझाव दिया कि प्रसिद्ध साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर कुछ गाड़ियाँ चलाई जानी चाहिए। रेल इंजनों के नाम भी साहित्यकारों के नाम पर रखे जाएँ। निदेशक, राजभाषा ने कहा कि इस सुझाव पर अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

19. फार्मों के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए, निदेशक, राजभाषा ने बताया कि भारत सरकार की नीति के अनुसार कुछ फार्मों में हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि रेलों पर कुछ जगह ऐसी कक्षाएँ शुरू की गई हैं जहाँ हिंदी भाषियों को दक्षिण की भाषाएँ सिखाई जाती हैं और रेल कर्मचारी वहाँ अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये कक्षाएँ परस्पर सदभाव और विश्वास पैदा करने की दृष्टि से ही आरंभ की गई हैं।

20. डा० जयवंशी झा ने रेल राज्य मंत्री के उदारतापूर्ण विचारों का स्वागत करते हुए कहा कि दक्षिण की हिंदी को संस्कृत निष्ठ कहना चाहिए और वहाँ के अधिकारी/कर्मचारी हिंदी भाषियों से अधिक अच्छी हिंदी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय को थोड़ा अधिक भार उठाना चाहिए और समिति के सदस्यों की टोलियाँ दक्षिण में और अन्य क्षेत्रों में भेजी जाएँ जो वहाँ सद्भावनापूर्ण हिंदी का प्रचार कर सकें।

21. श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी के वक्तव्य का आशय था कि रेलवे के बड़े अधिकारियों को हिंदी का प्रयोग करना चाहिए तभी उसका प्रसार होगा। उन्होंने इस संबंध में लोकमान्य तिलक जी और श्री पराड़कर जी के बीच हुए संवाद का उल्लेख किया जिसमें श्री तिलक ने कहा था कि जब तक बड़े लोग हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, हिंदी नहीं फैलेगी। श्री चतुर्वेदी ने राज्य मंत्री जी के हिंदी में दिए गए भाषण को दिशा निर्देशक और प्रेरणादायक बताया।

22. डॉ० मलिक मोहम्मद की राय थी कि विधि संबंधी कठिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग न किया जाए। इस पर निदेशक, राजभाषा ने बताया कि इस विषय में रेल मंत्रालय विवश है और यदि इस तरह के शब्द सदस्य महोदय द्वारा बताए जाएँगे तो उनके विषय में विधि मंत्रालय को लिखा जाएगा। निदेशक महोदय ने बताया कि रेल मंत्रालय की शब्दावली उपसमिति तकनीकी शब्द बनाती है और भरसक प्रयत्न करती है कि बोलचाल के शब्द रहें लेकिन रेल मंत्रालय यहाँ भी मजबूर है क्योंकि इस विषय में भी उसे शिक्षा मंत्रालय की राय के अनुसार चलना होता है।

4. नए विषय :

6. कार्यसूची की नई मदों पर विचार-विमर्श किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है :

1 रेलों पर स्टेशन संचालन नियमों को हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किया जाएं :

स्टेशन संचालन नियमों को हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में जारी करने के संबंध में रेल मंत्रालय की अधिकाधिक टिप्पणी में यह सूचना दी गई कि बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्यों तथा दिल्ली और चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेशों (अर्थात् "क" और "ख" क्षेत्रों) में पड़ने वाली रेलों का उनके भागों के स्टेशन संचालन नियम हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में जारी किए जाएँग और रेलों को आदेश दिए गए हैं कि इन्हें द्विभाषिक रूप में जारी करने के बारे में तिमाही रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जाए और पहली रिपोर्ट 31-3-1980 को समाप्त होने वाली तिमाही की भेजी जाए।

2 "क" क्षेत्र में द्विभाषी रूप में आरक्षण चार्ट लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ "ख" क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर भी द्विभाषी आरक्षण चार्ट लगाने का प्रयास आरंभ किया जाए।

(1) "क" क्षेत्र के स्टेशनों पर आरक्षण चार्ट द्विभाषिक रूप में लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ "ख" क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर भी आरक्षण चार्ट द्विभाषी रूप में लगाने के प्रयास किए जाने के प्रश्न पर चर्चा के दौरान निदेशक, राजभाषा ने स्पष्ट किया कि इस काम के लिए रेलों के लिए हिंदी टाइपिस्टों के अतिरिक्त पद देने होंगे। बड़े-बड़े स्टेशनों से बड़ी संख्या में गाड़ियाँ चलती हैं, उन सभी के चार्ट दोनों भाषाओं में लगाना तभी संभव है जब इन स्टेशनों को दोनों भाषाओं के टाइपिस्ट अपेक्षित संख्या में उपलब्ध किए जाएँ। उत्तर रेलवे को कुछ दिन पहले 31 हिंदी टाइपिस्टों के पद स्वीकृत किए गए थे। हाल में इस रेलवे को 17 और पद दिए गए हैं। यह काम चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर किया जाना है। एक साथ सभी स्टेशनों पर शुरू करने के

लिए रेलों को हजारों टाइपिस्टों के पद देने पड़ेंगे। परिणामस्वरूप खर्च बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली और नई दिल्ली से "क" क्षेत्र को जाने वाली गाड़ियों के आरक्षण-चार्ट हिंदी में भी बन रहे हैं।

(2) श्री भगवान देव, संसद सदस्य ने कहा कि मैं आज ही काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से यहाँ पहुंचा हूं। किंतु इस गाड़ी का आरक्षण चार्ट हिंदी में नहीं था। निदेशक, राजभाषा ने स्पष्ट किया कि आरक्षण चार्ट सवारी डिब्बों के दोनों तरफ अलग-अलग भाषाओं में लगाये जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सूचना के अनुसार स्टेशन के बोर्ड के चार्ट दोनों भाषाओं में लगाया गया था। फिर भी मैं जांच करूंगा। इस प्रसंग में उन्होंने बताया कि इस समय क्षेत्रीय रेलों के कार्यालयों में कुल मिलाकर ढाई हजार से भी अधिक देवनागरी टाइप राइटर हैं। रेल प्रशासन देवनागरी के टाइपराइटर अपनी आवश्यकतानुसार अधिकाधिक संख्या में खरीद रहे हैं जो हिंदी के काम में हुई वृद्धि का द्योतक है। लेकिन हमें इसके साथ-साथ पद भी देने होंगे। ऐसे पद अभी केवल उत्तर रेलवे को ही दिए गए हैं।

(3) श्री कन्हैयालाल नंदन ने कहा कि आरक्षण-चार्ट एक दिन हिंदी में लगाया जाता है और अगले दिन अंग्रेजी में लगा दिया जाता है। इस अनियमित व्यवस्था की जाँच की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली से इलाहाबाद आते हुए उन्हें चार्ट हिंदी में नहीं दिखाई दिए।

(4) निदेशक, राजभाषा ने कहा कि इसकी जाँच की जाएगी और रेलों को कहा जाएगा कि आरक्षण चार्ट द्विभाषी रूप में लगाने की व्यवस्था की जाए।

3 "क" और "ख" क्षेत्र में चलने वाली सवारी गाड़ियों में महापुरुषों की सूक्तियां लगाई जाएँ।

इस संबंध में देखें मद 3(18)

4 अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ राजभाषा संबंधी नियमों और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं हिंदी की प्रगति के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कदम उठाए जाएं।

(1) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन में राजभाषा अधिनियम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रश्न पर, इस संगठन के मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री पुरंग ने कहा कि उक्त कार्यालय में राजभाषा नियमों के अनुपालन के लिए उन्होंने विभिन्न कोटि के 23 पदों के सृजन का एक प्रस्ताव बोर्ड को भेजा था। इस बीच उक्त सगठन में हिंदी के काम का कार्य-विश्लेषण किया गया है। कार्य-विश्लेषक ने जो रिपोर्ट दी उस पर विचार करने के लिए समिति बनाई गई थी जिसने सिफारिश की है कि वर्तमान कार्यभार के आधार पर हिंदी के काम के लिए उक्त संगठन में 8 अतिरिक्त पद दिए जाने चाहिएं। श्री पुरंग ने अनुरोध किया कि हिंदी के बढ़े हुए काम के लिए उन्हें कम से कम 8 पद तुरंत दिए जाने चाहिए।

(2) निदेशक, राजभाषा ने कहा कि इस प्रश्न पर शीघ्र बोर्ड से विचार करने और अतिरिक्त पद देने का अनुरोध किया जाएगा। बोर्ड की ओर से कोई विलंब नहीं होगा।

5 क्षेत्रीय रेलों के विभिन्न मंडलों एवं मुख्यालयों के लिए स्वीकृत नए हिंदी पदों को केवल उन्हीं संबंधित कार्यालयों में आपरेट किया जाए जहाँ के लिए ये वास्तव में स्वीकृत लिए गए है। यदि इन पदों को संबंधित मंडलों की बजाय किसी अन्य कार्यालय में आपरेट करना आवश्यक हो तो ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब संबंधित मंडल रेल प्रबंधक/मंडल अधीक्षक और उस रेल के महाप्रबंधक इस आशय का प्रमाण-पत्र दे दें कि वहां हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त हो चुका है और भविष्य में उस कार्यालय के लिए अतिरिक्त पदों की मांग नही की जाएगी।

(1) हिंदी के काम के लिए बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्यालयों के लिए स्वीकृत किए गए पदों को अन्य कार्यालयों में स्थानांतरित न किए जाने के प्रश्न पर यह विनिश्चय किया गया कि जिस कार्यालय के लिए पद स्वीकृत हों उसे उसी कार्यालय में आपरेट किया जाए। यदि किसी पद को एक कार्यालय की बजाय अन्य कार्यालय में आपरेट करना आवश्यक हो तो ऐसा करने के लिए बोर्ड का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। साथ ही अन्यत्र स्थानांतरण से पहले इस बात का ध्यान रखा जाए कि उस कार्यालय में हिंदी के प्रयोग-प्रसार का लक्ष्य प्राप्त हो गया हो।

(2) श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा कि हिंदी के काम में लगे अनेक कर्मचारी अभी भी अस्थायी हैं उन्हें वर्षों तक नियमित या स्थायी नहीं किया जाता। फलस्वरूप तरक्की नहीं हो पाती। उन्होंने सुझाव दिया कि इस दिशा में जाँच की जानी चाहिए। उनका यह भी सुझाव था कि हिंदी संबंधी पदों के नियम ऐसे बनाए जाएं, जिससे कर्मचारियों की तरक्की में बाधा न हो और उन्हें शीघ्र तरक्की मिल जाए।

(3) निदेशक, राजभाषा ने कहा कि हिंदी सम्बन्धी पदों के वर्तमान नियमों के अनुसार भी कर्मचारियों की तरक्की में कोई बाधा नहीं है। उन्होंने बताया कि रेलों की अन्य सेवाओं की तरह हिंदी के संबंध में भी एक संगठित राजभाषा संवर्ग बनाने का विचार है जिसके बन जाने पर इस काम में लगे कर्मचारियों की तरक्की के अवसरों में और वृद्धि होगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि तरक्की के लिए निचली कोटि में 3 या 5 वर्षों की नियमित सेवा की शर्त अवश्य रहती है जो सभी सेवाओं में है।

(शेष पृष्ठ 60 पर)

हिंदी के बढ़ते चरण :

आई० टी० आई०, बंगलौर और सरकार की राजभाषा नीति

— माणिक चंद्र शुक्ल, हिंदी अधिकारी
आई० टी० आई० दूरवाणी नगर, बंगलौर

इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर स्वतंत्र भारत का सबसे पहला सरकारी उपक्रम है जिसे दूरसंचार के सभी उपस्करों को अपने देश में बनाने के उद्देश्य से 1948 में शुरू किया गया था। अब इस उद्योग की कुल नौ फैक्ट्रियां बंगलौर, नैनी, रायबरेली, पालघाट और श्रीनगर में हैं जिनमें लगभग 26 हजार व्यक्ति कार्यरत हैं। जहाँ आई० टी० आई० दूरसंचार टेक्नालाजी के सारे पहलुओं में दक्षता हासिल करके संचार-व्यवस्था की दिनों-दिन बढ़ती माँग को पूरा करने के महत्वपूर्ण कार्य में लगी हुई है वहीं दूसरी ओर यह कंपनी सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भी किसी रूप में भी पीछे नहीं है।

आई० टी० आई० बंगलौर में हिंदी न जाननेवाले कर्मचारियों को 1965 से हिंदी-प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। हिंदी परीक्षाएँ पास करने पर कर्मचारियों को नकद पुरस्कार के रूप में 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की राशि, एक वेतन वृद्धि के बराबर बारह महीने के लिए वैयक्तिक वेतन और आपरेशनल स्टाफ को एकमुश्त पुरस्कार के रूप में 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की राशि वर्ष 1977 से दी जा रही है।

सरकारी काम-काज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बंगलौर यूनिट में 1969 से ही एक हिंदी कक्ष है जिसमें अब एक हिंदी अधिकारी, एक हिंदी अनुवादक, एक हिंदी सहायक, एक हिंदी स्टेनोग्राफर और एक अँग्रेजी स्टेनोग्राफर नियुक्त हैं। हिंदी सेल में पर्याप्त संख्या में देवनागरी टाइपराइटर, शब्द कोष और संदर्भ-साहित्य उपलब्ध हैं।

कंपनी की गतिविधियों में समग्र रूप से राजभाषा के प्रयोग की दिशा में वर्ष 1977 में दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कंपनी के तार का पता "फोनइंडस्ट्री" से बदलकर हिंदी-अंग्रेजी में "दूरवाणी" कर दिया गया तथा कंपनी का मोनोग्राम—जो पहले केवल अंग्रेजी में था अब उसमें देव नागरी अक्षर भी शामिल कर लिए गए हैं। इस नए मोनोग्राम का 'टे' अक्षर टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलेक्स, टेलीविजन, टेलीमिट्री जैसी संपूर्ण दूरसंचार-व्यवस्था का बोध कराता है। देवनागरी वर्ण सहित यह नया मोनोग्राम दूरसंचार व्यवस्था में कंपनी की पूर्ण सामर्थ्य तथा संवृद्धि के लिए गतिशीलता और बेहतर संचार-व्यवस्था के लिए अथक प्रयास की ओर समर्पण का द्योतक है। कंपनी के सभी उत्पाद, उपस्करों के लिए लेबिलों, वाहनों इत्यादि पर इस मोनोग्राम का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समय-समय पर संवीक्षा करने के लिए बंगलौर कांपलैक्स में 1974 में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई। तीन महीनों में एक बार इस समिति की बैठक बुलाई जाती है और राजभाषा नीति के अनुपालन के संबंध में आवश्यक सुझाव और सिफारिशें की जाती हैं।

स्थाई आदेश, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इत्यादि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी की जाती है। अखिल भारतीय और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए विज्ञापन द्विभाषिक रूप में जारी किए जाते हैं। कंपनी के नाम को देवनागरी में लिप्यांतरित किया गया है।

कार्यालय की सील और रबड़ की मोहरें हिंदी-अंग्रेजी में तैयार कराई गई हैं। समारोहों के निमंत्रण पत्र द्विभाषिक रूप में जारी किए जाते हैं। कंपनी के उत्पाद पर लेबिलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कंपनी का नाम, सूचना पट्ट और नाम पट्ट कन्नड़ हिंदी और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए गए हैं। वार्षिक रिपोर्ट में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में संक्षिप्त सूचना भी शामिल की जाती है। इस यूनिट द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक गृह पत्रिका में हिंदी खंड भी है। सभी विभागाध्यक्षों को पर्याप्त सहायक/संदर्भ साहित्य और सरकार की राजभाषा नीति के बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

कंपनी का लेटर हैड शुरू से द्विभाषिक रूप में है। इसका प्रयोग विदेशी पत्राचार के लिए भी किया जाता है। राजभाषा विषयक पत्र-व्यवहार हिंदी में किया जाता है और ऐसे पत्रों के लिफाफों पर पता देवनागरी में लिखा जाता है। विजिटिंग कार्ड और प्रचार साहित्य द्विभाषिक रूप में छपाने तथा सांविधिक-असांविधिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था की जा रही है। कंपनी में कार्य कर रहे अनुवादकों के प्रशिक्षण के लिए कार्रवाई की गई है।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने आई० टी० आई०, बंगलौर का 8 जून, 1978 को निरीक्षण किया। इस उपसमिति के बंगलौर के दौरे के विषय में आई० टी० आई० ने अन्य कार्यालयों के साथ समन्वयन का कार्य किया।

राजभाषाओं का वर्ष-1979 में विभिन्न उपायों के अलावा वाक्प्रतियोगिता भी आयोजित की गई । हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने शील्ड देने की व्यवस्था की है। इसके लिए दो शील्डें रखीं गई हैं जिन्हें कंपनी के हिंदी-अहिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित एक-एक कार्यालय को प्रदान किया जाएगा। दिसंबर 1979 में राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के नीचे लिखे तीन कार्यालयों के नाम अधिसूचित किए जा चुके हैं :—

1. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नैनी यूनिट मिर्जापुर, रोड, नैनी, इलाहाबाद (उ० प्र०)

2. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रायबरेली यूनिट, दूरभाष नगर, रायबरेली (उ० प्र०)

3. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रोज लिमिटेड, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 201-202 रोहित हाउस, 3, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-1

आई० टी० आई० के कामकाज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति को देखते हुए, हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने के उपलक्ष्य में इस उद्यम को "सरकारी उद्यम कार्यालय" की ओर से प्रथम पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड प्रदान की गई है। □ □

(पृष्ठ 28 का शेष)

हिंदी के राजभाषा घोषित किए जाने के बाद सरकारी दफ्तरों में, अर्ध सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों में भी हिंदी विभाग खुले हैं और प्रशासनिक कार्य आवश्यकता के अनुसार हिंदी में भी होने लगा है ।

भारत में राजभाषा के रूप में हिंदी का स्थान और उसकी आवश्यकता को देखते हुए, अब तक जितना काम हुआ है उससे कई गुना वृद्धि होने पर ही राजभाषा के रूप में हिंदी सार्थक हो सकती है । कर्नाटक सरकार ने शिक्षण-क्षेत्र में त्रिभाषा पद्धति को महत्वपूर्ण स्थान देकर तथा उसे कार्यान्वित कराकर हिंदी प्रचार और शिक्षण के लिए सब तरह से प्रोत्साहन दिया है । राज्यस्तर पर कन्नड़ को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है और सफलतापूर्वक उसका कार्यान्वयन भी 1-11-1979 से सभी क्षेत्रों और विभागों में चालू है । इससे राष्ट्र स्तर पर राजभाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन को भी बल और प्रोत्साहन मिलेगा। हिंदी प्रचार सभा की कामना है कि देश का सारा कार्य भारतीय भाषा में हो । यह कार्य कर्नाटक के सभी हिंदी प्रचारक, स्वयंसेवी संस्थाएं, विश्वविद्यालय, केन्द्र तथा राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयत्न और सहयोग से ही संभव है । सब के सहयोग से भविष्य में कर्नाटक में भी हिंदी प्रचार और शिक्षण में बड़ी प्रगति होगी । हम अपनी सभा द्वारा हिंदी की उत्तम सेवा कर सकेंगे । सभा का लक्ष्य है कि यहां के सभी शिक्षित लोग हिंदी में भी दक्षता प्राप्त करें जिससे देश की भावात्मक तथा राष्ट्रीय एकता और दृढ़ बने, देश सशक्त बने तथा सब तरह से देश की उन्नति हो । □

(पृष्ठ 20 का शेष)

मुक्त छंद में, कविता गद्य के अधिक समीप आ गई है, इसलिए यह समस्या उतनी नहीं रह गई है। समस्या तो यह है कि कविता का अनुवाद ही कम होने लगा है।

कविता गद्य के समीप आ गई हो, और संगीत से दूर चली गई हो, किन्तु इसका अपना लय है। और एक भाषा का लय, जो प्रायः ध्वनिगत होता है, दूसरी भाषा में लाना कठिन है। प्रतीक और बिम्ब विधान हर भाषा का अपना होता है। इसको उसी रूप में दूसरी भाषा में बिठाना कष्ट-साध्य कार्य है । कविता चिन्तन प्रधान हो रही है, यह भाषागत पारम्परिक अलंकारबद्ध सौंदर्य से ऊपर उठ रही है, और सांकेतिक होकर, प्रायः अनुवाद के लिए कठिनाई पैदा करती है।

कविता का इस स्थिति में अनुवाद क्यों हो? क्योंकि कविता में वे सब बातें आती हैं, जो गद्य में आती हैं, पर वे बातें भी आती हैं, जो गद्य में उतनी सरलता से आ नहीं पातीं—अंतर के भावुक चित्र, अंतर के अमूर्त भावों के सांकेतिक, प्रतीकात्मक चित्र। चूंकि वर्तमान कविता में इनका ही बाहुल्य है, इसलिए इनका अनुवाद कठिन है।

जो भी हो, अनुवाद तो हर विधा के होने चाहिएं, हर भाषा से होने चाहिएं। साहित्यिक प्रगति के लिए न सही, भावात्मक समन्वय के लिए ही सही, बढ़ती क्षेत्रीय संकीर्णता को रोकने के लिए ही सही। पर यह हो नहीं रहा है। कितनी ही समस्याएँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अनुवाद की समस्या जहाँ मुख्य है, वहाँ प्रकाशन की समस्या भी मुख्य है। वितरण और विक्रय इन सबसे अधिक मुख्य है।

लेखक एक समय में एक ही भाषा में लिखता है, और वह एक ही भाषा जानता हो, तो उसके लेखन में बाधा होने की आशंका नहीं है। लेकिन अनुवादक को एक साथ दो भाषाओं में समान निपुण होना होता है, और ऐसे सशक्त अनुवादकों का पाना इस बहुभाषा-भाषी देश में अब भी एक समस्या है। □

"सेल" तथा उसके कार्यालयों में हिंदी की वर्तमान स्थिति

—नर्बदाप्रसाद धूसिया
अपर निदेशक, कार्मिक

राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी कार्यान्वयन के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कार्यालय/उपक्रम केंद्रीय सरकार के कार्यालय माने जाते हैं और राजभाषा संबंधी सभी आदेश उन पर भी केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों की भांति लागू होते हैं। भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी कार्यान्वयन के मामले में जारी किए गए निदेशों अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करने के अभिप्राय से "सेल" तथा इसके कार्यालयों में अब तक निम्नलिखित कार्य किए जा चुके हैं :—

(1) आरंभिक उपाय :

कार्यालय तथा अधिकारियों के नामपट्ट हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लगाए गए हैं। कार्यालय में प्रयोग होने वाले पत्र-शीर्ष तथा अर्ध-शासकीय पत्र-शीर्ष दोनों भाषाओं में छपवाए गए हैं। पत्रों की आवतियाँ हिंदी में भी डायरी की जाती हैं। लिफाफों पर तथा फाइल कवरों पर कार्यालय के नाम आदि दोनों भाषाओं में छपवाए जाते हैं। रबड़ की मोहरें हिंदी में भी तैयार करवाई जाती हैं। फार्मों, रजिस्टरों तथा पे-स्लिपों आदि को अंग्रेजी-हिंदी दोनों भाषाओं में छपवाया जा रहा है। परिपत्र एवं सामान्य आदेश हिंदी में भी जारी किए जाते हैं। कार्यालय में प्रयोग होने वाले बहुत से फार्मों का हिंदी अनुवाद करवा लिया गया है। विज्ञापन तथा बैठकों के कार्यवृत्त हिंदी में भी जारी किए जाते हैं।

(2) हिंदी पत्रों के उत्तर तथा मूल पत्र व्यवहार :

कहीं से भी प्राप्त हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देने के लिए आदेश दिए गए हैं। कलैंडर वर्ष 1979 में 24,949 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए। इनमें से 12,558 पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया। शेष में से अधिकांश का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। सभी कार्यालयों को निदेश दिए गए हैं कि वे अपना अधिकाधिक मूल पत्र-व्यवहार हिंदी में करें और कलैंडर वर्ष 1979 में सभी कार्यालयों से 16,591 पत्र हिंदी में भेजे गए। हिंदी मूल पत्रों की संख्या दिनोंदिन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(3) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात का विवरण :

यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात का विवरण वर्ष 1979 के लिए निम्न प्रकार है :—

	केवल हिंदी में	हिंदी तथा अंग्रेजी में
1. सामान्य आदेश	4960	8854
2. संकल्प तथा अधिसूचनाएँ	54	76
3. नियम	1	64
4. प्रेस विज्ञप्तियां	132	137
5. संविदा तथा करार	126	15
6. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें	115	307
7. लाइसेंस तथा परमिट	10	22
8. टेंडर मांगने के नोटिस तथा फार्म	74	159

इसकी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए सभी अधीनस्थ कार्यालयों से कार्यालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट विहित फार्म में मंगाई जाती है। "सेल" मुख्यालय में इन सभी रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और पाई जाने वाली कमियों से संबद्ध कार्यालय को अवगत कराया जाता है और उन्हें शीघ्र दूर करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर समेकित रिपोर्ट तैयार करके इस्पात विभाग, राजभाषा विभाग तथा सरकारी उद्यम कार्यालय को भजी जाती हैं।

(4) राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ :

सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में आधे सदस्य अहिंदी मातृभाषी नियुक्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रायः प्रत्येक कार्यालय की इस समिति का अध्यक्ष कार्यालय प्रमुख ही है। इन समितियों की बैठकें हर तिमाही में बुलाई जाती है। जिनमें सामान्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श होता है :

1. हिंदी के प्रयोग के संबंध में गृह मंत्रालय के अनुदेशों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना और इस संबंध में आरंभिक और अन्य कार्रवाई करना।
2. इस्पात विभाग, सरकारी उद्यम कार्यालय, गृह मंत्रालय को भेजी जाने वाली तिमाही रिपोर्टों का पुनरीक्षण करना और इस बात को सुनिश्चित करना कि ये रिपोर्टें ठीक समय पर प्रस्तुत की जाएं।
3. हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित विभागाध्यक्षों के कार्यालयों से इस संबंध में प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों का पुनरीक्षण करना।
4. हिंदी के प्रयोग से संबंधित अनुदेशों के कार्यान्वयन में जो कठिनाइयां हों उनका पुनरीक्षण करना और जहाँ आवश्यक हो वहाँ गृह मंत्रालय को सुझाव/प्रस्ताव भेजना और उनकी सलाह माँगना।
5. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण के बारे में गृह मंत्रालय के अनुदेशों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण।
6. हिंदी, हिंदी टंकण और आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था करना और

7. अहिंदी मातृभाषी कर्मचारियों की कठिनाइयों पर विचार करना

(5) "सेल" का वार्षिक हिंदी सम्मेलन :

"सेल" के सभी कार्यालयों के हिंदी सर्वकार्यभारी अधिकारियों का प्रति वर्ष सम्मेलन बुलाया जाता है। इस सम्मेलन में विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के कार्यान्वयन के मामले में आ रही कठिनाइयों का समाधान किया जाता है तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर विचार-विमर्श किया जाता है। "सेल" का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1977-78 में हैदराबाद में तथा दूसरा सम्मेलन 1978-79 में बोकारो स्टील प्लांट में बुलाया गया। तीसरा सम्मेलन अप्रैल 1980 में राँची में हुआ है। इस सम्मेलन से हिंदी कार्यान्वयन के मामले में बहुत सहायता मिलती है।

(6) हिंदी का प्रशिक्षण :

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य किए जाने संबंधी आदेश को देखते हुए हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों के हिंदी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। अधिकांश कर्मचारी निजी व्यवस्था से या पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्मिकों को हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सरकारी निदेशों के अनुसार सभी प्रोत्साहन/सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। हिंदी स्टेनोग्राफी तथा टाइपिंग के प्रशिक्षण की एक आकर्षक योजना विचाराधीन है।

(7) अनुवाद व्यवस्था :

सभी कार्यालयों को निदेश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यालयों में उपलब्ध सांविधिक और अर्धसांविधिक प्रकार की सामग्री का शीघ्र हिंदी अनुवाद करा लें। इस प्रकार की बहुत सी सामग्री अनुवाद के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को भी भेज दी गई है। दैनंदिन काम में इस्तेमाल होने वाले फार्मों आदि का अनुवाद कार्यालय द्वारा स्वयं किया जाता है।

(8) हिंदी में काम करने के लिए "सेल" अध्यक्ष का आदेश :

"सेल" अध्यक्ष ने दिनांक 12-2-1977 को आदेश जारी कर सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे फाइलों पर हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन आदि लिखना आरम्भ करदें। उन्होंने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि इसके लिए वे सरल, सुबोध तथा आम-बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करें। "सेल" अध्यक्ष के पास जो फाइलें हिंदी में प्रस्तुत की जाती हैं उन पर वे आवश्यक आदेश/अनुदेश हिंदी में ही देते हैं।

(9) हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ :

"सेल" तथा इसके कार्यालयों से अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी की विभिन्न पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1. सेल समाचार	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमि० के जन-संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक संस्था-पत्रिका
2. इस्पात विहंगम	भिलाई स्टील प्लांट के जन-संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका।
3. स्टील बुलेटिन	भिलाई स्टील प्लांट के जन-संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक समाचारिका।
4. पाक्षिक बोकारो	बोकारो स्टील प्लॉट के जन-संपर्क विभाग द्वारा निजी वितरण के लिए प्रकाशित पाक्षिक पत्रिका।
5. सहयोग	राउरकेला स्टील प्लॉट के जन-संपर्क विभाग द्वारा निजी वितरण के लिए प्रकाशित हिंदी मासिक पत्रिका।
6. इस्पात विकास	"सेल" के रांची स्थित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र द्वारा राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रकाशित मासिक पत्रिका।
7. इस्पात भाषा-भारती	"सेल" तथा इसके सभी कार्यालयों के कार्मिकों को राजभाषा संबंधी नियमों से परिचित कराने तथा कार्यालय के दैनंदिन कार्य में हिंदी के प्रयोग संबंधी उनके ज्ञानवर्धन में सहायता देने के अभिप्राय से "सेल" मुख्यालय के हिंदी कक्ष द्वारा त्रैमासिक पत्रिका शीघ्र ही प्रकाशित की जानी है।

इनके अतिरिक्त नीचे लिखे अन्य प्रकाशन भी हिंदी में निकाले गए हैं :—

1. भिलाई—मानवीय पहलू ;
2. सेवा (सामाजिक दायित्व का इस्पाती संकल्प) ;
3. एशिया का प्रथम बचत कारखाना—भिलाई;
4. सर्वोत्तम महिला कर्मचारी सम्मान समारोह ;
5. स्थाई आदेश (सेंट्रल पर्सनल डिपार्टमेंट) ;
6. भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए 20 जरूरी बातें ;
7. भिलाई इस्पात संयंत्र में शिकायत—निवारण;
8. उच्चतर माध्यमिकशाला, वृत्तखण्ड-1 ;
9. अंधेरे से उजाले की ओर ;
10. संयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (भिलाई अग्नि सेवा) ;
11. भिलाई इस्पात संयंत्र में अधिकारियों के हिंदी पदनाम;
12. बोकारो का मानवीय पक्ष (बोकारो स्टील सिटी में कल्याणकारी योजनाएँ एवं नागरिक सुविधाएँ ;

13. सेवा नियमावली ;

14. सुरक्षा अनुदेश ;

15. "वोकारो महिमा" (कविता संग्रह)।

इस्पात उद्योग में प्रयोग होने वाली तकनीकी शब्दों की एक समेकित सूची प्रकाशित कराने की दृष्टि से अभी एक अनंतिम सूची तैयार की गई है जिसमें लगभग 3,000 शब्द हैं। इसे हिंदी रूपांतरण के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय को भिजवा दिया गया है।

हिंदी में काम करने में कर्मचारियों की सहायता के लिए सहायक साहित्य उपलब्ध कराया गया है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के प्रकाशन, शब्दकोश आदि संदर्भ साहित्य इस प्रयोजन के लिए सभी कार्यालयों में आवश्यक मात्रा में खरीदे गए हैं।

कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा उनके हिंदी ज्ञानवर्धन के लिए लोकप्रिय तथा ज्ञानवर्धक हिंदी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की सूचियाँ तैयार करके समय-समय पर सभी कार्यालयों को भिजवा दी जाती हैं और उन्हें अधिकाधिक पुस्तकें/संदर्भ साहित्य खरीदने के लिए निदेश दिए गए हैं।

(10) हिन्दी के टाइपराइटर :

सभी कार्यालयों में आवश्यकतानुसार हिन्दी के टाइपराइटर खरीद लिए गए हैं। इस समय 'सेल' के सभी कार्यालयों में कुल मिलाकर 122 हिंदी टाइपराइटर दिए गए हैं।

(11) प्रतियोगिताएँ

1. निबंध एवं वाक्प्रतियोगिता : अहिंदी मातृभाषी कर्मचारियों को हिंदी के प्रति उत्साहित करने के अभिप्राय से हर वर्ष हिंदी निबंध एवं वाक्प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। एक वर्ष में एक बार केंद्रीय स्तर पर अंतरयूनिट हिंदी निबन्ध एवं वाक्प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। पहले यूनिट स्तर पर इसका आयोजन करवाया जाता है और बाद में केंद्रीय स्तर पर। यूनिट स्तर पर इसका आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है। इनमें भाग लेने वाले कार्मिकों को वित्तीय प्रोत्साहन तथा प्रमाण-पत्र भी दिए जाते हैं। इस संबंध में "सेल" द्वारा किए गए एक निर्णय को तो भारत सरकार ने भी अपनाया है और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों/मंत्रालयों आदि को इसे अपने कार्यालयों में लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं।

2. नाटक एवं समूहगान प्रतियोगिताएँ : "सेल" तथा इसके यूनिटों के अहिंदी मातृभाषी कर्मचारियों को हिंदी के प्रति प्रेरित करने के अभिप्राय से "अंतरयूनिट हिंदी नाटक प्रतियोगिता" का प्रति वर्ष आयोजन किए जाने की योजना है। ऐसी प्रथम प्रतियोगिता भिलाई इस्पात कारखाने में 12–14 दिसम्बर, 1979 में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विभिन्न उच्च स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों को नकद वित्तीय पुरस्कार तथा भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। अन्य पुरस्कारों और प्रमाण-पत्रों के अलावा इस प्रतियोगिता के लिए एक चल-वैजयंती भी दी जाती है। इस प्रतियोगिता में कर्मचारियों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। इस प्रकार एक ओर अपनी कला का प्रदर्शन करके कर्मचारियों ने जहाँ हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में रुचि प्रदर्शित की वहीं "सेल" परिवार के सदस्यों का भरपूर मनोरंजन भी हुआ।

(12) हिंदी शिक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था :

"सेल" मुख्यालय ने हिंदी प्रशिक्षण में सहायक तथा हिंदी पाठ्यक्रम के लिए बनी फिल्में, लिग्वा-कैसेट, लिग्वा रिकार्ड आदि का पूरा विवरण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सभी कार्यालयों/प्लांटों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा है। मुख्यालयों में तो कैसेट पुस्तकालय भी बनाया गया है। व्यस्त कर्मचारी इनसे टेप लेकर सुविधानुसार घर पर भी इनकी सहायता से स्वयं अध्ययन कर सकते हैं।

(13) हिंदी कार्यशालाओं की व्यवस्था :

कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण-आलेखन (नोटिंग-ड्राफ्टिंग) का प्रशिक्षण देने के लिए "सेल" तथा इसके कार्यालयों में कार्यशालाएँ चलाने के अभिप्राय से भारत सरकार की योजना के अनुरूप कार्यशालाओं की पाठ्य सामग्री भी हिंदी कक्ष ने तैयार की है। इसमें लगभग 90 पृष्ठ हैं और इसमें कार्यालय की लगभग प्रत्येक शाखा से संबंधित हिंदी-अंग्रेजी के मसौदों/टिप्पणियों आदि के नमूने हैं।

कर्मचारियों को हिंदी टिप्पण-आलेखन का प्रशिक्षण देने, उन्हें राजभाषा नियमों से परिचित कराने तथा हिंदी शिक्षण में सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए शीघ्र ही सभी कार्यालयों में कार्यशालाएँ चलाने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। आशा है इससे यूनिटों में सफलतापूर्वक कार्यशालाएँ चलाई जा सकेंगी।

(14) हिंदी कार्यान्वयन संबंधी कार्य की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपना :

हिंदी कार्यान्वयन संबंधी कार्य वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया है। "सेल" में यह कार्य अपर निदेशक (कार्मिक) इंचार्ज को सौंपा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को यह काम सौंपे जाने के कारण हिंदी कार्यान्वयन संबंधी कोई निर्णय लेने में बाधा नहीं आती है।

उपर्युक्त व्यवस्थाओं के माध्यम से "सेल" में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की सुदृढ़ नींव रख दी गई है और आशा है इससे हिंदी कार्यान्वयन में दिनों दिन प्रगति होगी □ □ □

नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लिमिटेड, बंगलौर में हिंदी की प्रगति

—डॉ० हरीसिंह राणा, हिंदी अधिकारी

मैं अपने विपणन अधिकारी के साथ 'एनटीसी फैब्रिक्स की लोकप्रियता' विषयक सर्वेक्षण के सिलसिले में स्थानीय बाजार की एक दुकान पर बैठा था। वहाँ एक अर्ध जरती महिला ने आकर अपनी मातृभाषा कन्नड़ में 'लाड़ली बेकागिदे' (लाड़ली चाहिए) कहा। 'राजभाषा की प्रगति; समस्या और समाधान' विषय पर चिंतन करने वाले मन ने अपनी सहज प्रवृति के अनुसार लोकप्रियता के सर्वेक्षण को तो गौण समझा और उत्पाद के हिंदी नाम और उसकी लोक ग्राह्यता पर वह विस्मय विमुग्ध हो गया और मैं यह सोचने पर विवश हो गया कि यदि सभी उत्पादों के नाम हिंदी में रखें जाएँ, तो इससे अंग्रेजी का अवाँछित मोह भी दूर होगा और साथ ही साथ लाड़ली जैसे हिंदी नाम लोक में अवश्य लाड़ले बन जाएँगे।

हमारा यह निगम भाषा प्रयोग की दृष्टि से 'ग' क्षेत्र में आता है। हमारे निगम में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए हिंदी अनुभाग की स्थापना 5 मई, 1979 को हुई थी। इस एक वर्ष के जीवन में हमने जो कुछ किया, उसका संक्षिप्त लेखा—जोखा इस प्रकार है:—

1. हिंदी पत्रों का उत्तर

निगम में कहीं से भी प्राप्त हिंदी पत्रों का उत्तर निरपवाद रूप से हिंदी में दिया जाता है। वर्ष 1979-80 के अंतर्गत निगम को कुल 134 हिंदी पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 13 सूचनार्थ पत्रों को छोड़ कर शेष सभी का उत्तर हिंदी में दिया गया। हिंदी पत्रों की संख्या का उचित रिकार्ड रखने के लिए हमने अपने प्रेषण अनुभाग में हिंदी के आने जाने वाले पत्रों के लिए दो पृथक रजिस्टरों की व्यवस्था कर रखी है।

2. कार्यालय द्वारा अपनी ओर से भेजे गए मूल पत्रों की स्थिति

वर्ष 1979-80 के दौरान कार्यालय से जाने वाले पत्रों की संख्या 37805 रही, जिनमें से 457 पत्र हिंदी में तथा 37348 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए।

3. कार्यालय में द्विभाषी स्थिति में हुई प्रगति

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार सामान्य आदेश, परिपत्र, संकल्प तथा अधिसूचनाएं, नियम, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, संविदा तथा करार, लाइसेंस तथा परमिट, निविदा मंगाने के नोटिस तथा निविदा प्रपत्र, संसद के सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात, आदि द्विभाषी होने चाहिए। हमने उपरिलिखित साहित्य में कुछ को द्विभाषी रूप में बना लिया है तथा शेष को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली को अनुवादार्थ भेज दिया है। आंतरिक पत्राचार में भी हम द्विभाषी स्थिति लाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। निगम की वार्षिक रिपोर्ट, लेखे और कार्यकलाप सभी हिंदी-अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित हो रहे हैं।

4. कर्मचारियों का हिंदी ज्ञान

निगम के मुख्य कार्यालय में कुल 103 कर्मचारी हैं। इनमें से 43 कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है तथा 02 कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है। शेष 58 कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। सत्र जनवरी-दिसंबर 1980 के अंतर्गत 25 कर्मचारी भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रबोध कक्षा में हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें निगम के निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (तकनीकी) भी शामिल हैं। शेष 33 कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था आगामी सत्रों में की जाएगी। निगम ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नकद प्रोत्साहनों तथा अन्य सभी सुविधाओं को अपने कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है।

5. टंकक तथा आशुलिपिक

निगम के कार्यालय में सम्प्रति 16 टंकक और 13 आशुलिपिक हैं। मार्च 1980 में हिंदी आशुलिपिक की नियुक्ति की गई है। निगम के कार्यालय में 01 देवनागरी का तथा 31 रोमन (अंग्रेजी) के टाइपराइटर हैं। निगम के कार्यालय में 13 अनुभाग हैं जिनमें से एक अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में होता है तथा एक में आंशिक रूप में कार्य हिंदी में होता है।

6. सहायक साहित्य

निगम के हिंदी अनुभाग ने लगभग 2000/- रुपए का सहायक साहित्य खरीदा है। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने

वाले कर्मचारियों के लिए निगम के हिंदी अनुभाग में दो हिंदी दैनिक पत्र, दो साप्ताहिक तथा दो मासिक पत्रिकाएँ भी मंगाई जाती हैं। हिंदी अनुभाग का अपना पुस्तकालय है। हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए निगम के हिंदी अनुभाग ने निगम के मुख्य कार्यालय के समस्त अधिकारियों के मध्य में 'कार्यालय सहायिका' का वितरण किया। साथ ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय से भेंट स्वरूप प्राप्त समेकित प्रशासन शब्दावली--हिंदी-अंग्रेजी और अंग्रेजी-हिंदी की एक-एक प्रति अधीनस्थ मिलों के महाप्रबंधकों को भेट की ।

कार्यालय में कुछ पत्रों के मानक मसौदों को द्विभाषी रूप में प्रयोग किया जा रहा है। प्रक्रियात्मक साहित्य के अनुवाद और छपवाने की व्यवस्था की जा रही है। कार्यालय के सभी नामपट, मोहर, पत्रशीर्ष, फाइल कवर, लिफाफे आदि द्विभाषी बनवा लिए गए हैं। कार्यालय में हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है।

7. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं तथा उनमें लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। समिति की बैठकों में मिलों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं।

8. वार्षिक कार्यक्रम

निगम ने गत वर्ष 'राजभाषाओं के वर्ष के उपलक्ष्य में एक अंतर्मिल हिंदी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिसमें प्रथम तीन स्थान पाने वाले प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार भी दिए गए । साथ ही सभी प्रतियोगियों को एक अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश भी भेंट किया गया। वर्ष 1980-81 के लिए निगम की कार्यान्वयन समिति ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को अनुमोदित किया है :--

1. अंतर्मिल हिंदी निबंध प्रतियोगिता

गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी हिंदी अनुभाग एक अंतर्मिल हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करेगा तथा विजेताओं को नकद प्रोत्साहन भी देगा।

2. अंतर्मिल वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन दिसम्बर 1980 के मध्य में किया जाएगा।

3. हिंदी शिक्षण योजना जारी रखी जाएगी।

4. प्रत्येक सोमवार 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल हिंदी में ही बातचीत करें।

5. सितम्बर 1980 के दूसरे सप्ताह को राजभाषा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा ।

6. हिंदी में नोट एवं टिप्पणी लिखने को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास जारी हैं । हमने तय किया है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी कम से कम एक नोट हिंदी में अवश्य लिखे।

9. अन्य :

1. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में हमारे निगम की विशिष्ट उपलब्धि यह है कि हमारे निगम में अधिकांश बातचीत हिंदी में होती है। हिंदी के वातावरण को देख कर हमें लगता है कि हम राजभाषा के राज मार्ग पर चल पड़े हैं, हालाँकि हमें इस दिशा में अभी बहुत दूर तक जाना है।

2. हमने अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे अंग्रेजी के पत्रों पर भी हिंदी में ही हस्ताक्षर करें। हर्ष का विषय है कि हमें इस दिशा में आशातीत सहयोग मिला है।

10. अधीनस्थ मिलों में राजभाषा की स्थिति

निगम के नियंत्रण में 16 मिलें हैं जो आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे क्षेत्रों में स्थित हैं। मिलों में राजभाषा का वातावरण सृजित कर दिया गया है। हमारे मिलों के उत्पादों पर विवरण ही केवल हिंदी में नहीं दिया जा रहा है बल्कि उनके नाम भी हिंदी में ही रखे जा रहे हैं। जिससे उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। जहाँ तक हिंदी शिक्षण योजना का संबंध है, हमारे कुछ मिलों ने जैसे पार्वती मिल कौल्लम (केरल) ने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना प्रारंभ कर दी है । निगम के दो स्थानीय मिल--मैसूर मिल और मिनर्वा मिल में भी हिंदी शिक्षण योजना के चालू कराने पर विचार किया जा रहा है। मिलों में श्रमिकों से संबंधित स्टेशनरी भी--हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार कर ली गई है? पत्राचार के क्षेत्र में पत्रों की संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई है। हमारे एक मिल (महबूब शाही गुलबर्गा मिल, गुलबर्गा), से तो लगभग 50 प्रतिशत पत्र प्रति दिन हिंदी में जाते हैं। निगम के हिंदी अधिकारी समय-समय पर मिलों में हो रही हिंदी की प्रगति का जायजा लेने के लिए दौरा करते रहते हैं।

□ □ □

श्रमायुक्त के कार्यालय में हिंदी

--ईश्वरी प्रसाद
मुख्य श्रमायुक्त

इस कार्यालय में स्थापित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के माध्यम से राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाती है और समय समय पर इसकी बैठकों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श किया जाता है। इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है। प्रगति रिपोर्टों की जाँच राजभाषा विभाग द्वारा होती है और जहाँ कहीं त्रुटियाँ पाई जाती हैं उनमें सुधार कर लिया जाता है।

वर्तमान मुख्य श्रमायुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए अधिकारियों को एक अर्धसरकारी पत्र लिखा और राजपत्रित अधिकारियों की एक बैठक भी की जिसमें हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राजभाषा संबंधी अनुदेशों की पूर्ण क्रियान्विति करने की उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

फिर भी, इस कार्यालय में हिंदी के प्रयोग में सुधार करने की काफी गुंजाइश है। अधिकारियों की बैठक में कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया गया। उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :—

(1) यह कार्यालय प्रायः विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करने और उनसे संबंधित प्रशासन का काम देखता है। श्रम कानूनों की व्याख्या उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के आलोक में ही करनी पड़ती है। ये निर्णय श्रम पत्रिकाओं में अंग्रेजी में प्रकाशित होते हैं। कई वर्षों से अधिकारी तथा कर्मचारी अंग्रेजी की तकनीकी तथा कानूनी शब्दावली से परिचित और अभ्यस्त हैं। अतएव टिप्पणियाँ और पत्र लिखते समय हिंदी में अपने को व्यक्त करते हुए उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है।

(2) अनुभागों में काम करने वाले व्यक्तियों का हिंदी ज्ञान और उनकी प्रवीणता विभिन्न स्तर की है। हिंदी के प्रगामी प्रयोग में यह भी एक बाधा है।

(3) कुछ अधिकारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है अतएव उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हिंदी में मामलों को प्रस्तुत करने में हिचक अनुभव करते हैं ताकि मामलों के सीधे निस्तारण में विलंब न हो।

(4) इस कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की कमी है जबकि हिंदी में मामलों को निपटाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इस कार्यालय में कार्य का भार अधिक होने के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी काम करता पड़ता है और इसलिए वे अंग्रेजी में काम करना अधिक पसंद करते हैं ताकि काम को जल्दी निपटा सकें।

(5) लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की कमी के कारण अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण के लिए भी नहीं भेजा जा सका है।

(6) चूंकि हिंदी आशुलिपिकों और टाइपिस्टों की कमी है इसलिए वे अधिकारी जो हिंदी में कार्य करने के इच्छुक हैं, कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए अंग्रेजी में लिखने के लिए बाध्य हो जाते हैं।

उपर्युक्त कठिनाइयाँ ऐसी नहीं हैं कि दूर न की जा सकें। ऐसी कठिनाइयाँ कई अन्य संगठनों में भी विद्यमान हो सकती हैं।

हिंदी के प्रयोग संबंधी विभिन्न अनुदेशों की क्रियान्विति कराने के लिए मुख्यालय में एक हिंदी एकक कार्य कर रहा है और 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में से नौ में अनुवाद एकक स्थापित किए जा चुके हैं तथा दसवाँ स्थापित करने के लिए भी प्रयास हो रहा है।

मुख्य श्रमायुक्त की नियम पुस्तिका, जिसके कि 6 भाग हैं, हिंदी में अनुदित हो चुकी है, लेकिन इसका मुद्रण इसलिए नहीं हो सका है क्योंकि इसका अंग्रेजी पाठ तैयार नहीं हो सका है। अंग्रेजी रूपांतर को अद्यतन करने के बाद हिंदी रूपांतर को अद्यतन बनाना होगा।

मुख्य श्रमायुक्त के 28 प्रपत्र हैं, जिनका उपयोग इस संगठन के क्षेत्रीय अधिकारी करते हैं। इनमें से 27 प्रपत्रों का अनुवाद हो चुका है और उन्हें द्विभाषिक रूप में छाप दिया गया है। शेष एक प्रपत्र को छापने के लिए कार्रवाई जारी है। विभिन्न श्रम कानूनों के कार्यकरण से संबंधित वार्षिक रिपोर्टें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जारी की जा रही हैं। निम्न 6 रिपोर्टें द्विभाषिक रूप में जारी की जा चुकी हैं:—

1. वर्ष 1978 के संबंध में कोयला खान बोनस योजनाओं के कार्यकरण के बारे में वार्षिक रिपोर्ट।

2. खानों में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के कार्यान्वयन संबंधी वर्ष, 1978 की वार्षिक रिपोर्ट ।
3. उचित मजदूरी खंड तथा एम० ई० एस० के ठेकेदारों के श्रम विनियमों के कार्यान्वयन संबंधी वर्ष 1978 की वार्षिक रिपोर्ट ।
4. विमान परिवहन सेवाओं के बारे में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के कार्यान्वयन संबंधी वर्ष 1978 की वार्षिक रिपोर्ट ।
5. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन संबंधी वर्ष 1978 की वार्षिक रिपोर्ट ।
6. केंद्रीय क्षेत्र की औद्योगिक स्थापनाओं के बारे में बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के कार्यान्वयन संबंधी वर्ष 1978 की वार्षिक रिपोर्ट ।

अन्य उपाय

विभिन्न कानूनों के अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित न्यायालयों में मामले दायर करने के लिए विभिन्न शिकायत प्रपत्रों का अनुवाद हिंदी में कराया गया है और उन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज दिया गया है ताकि मामले हिंदी में दायर हो सकें। कई तरह से मसौदों के नमूने भी तैयार करके अनुभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज दिए गए हैं ताकि उनके आधार पर मसौदे हिंदी में लिखे जा सकें। शब्दों और वाक्यांशों की सूचियाँ भी हिंदी में बनाकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भेज दी गई हैं ताकि दिन-प्रतिदिन के कार्य में उनका उपयोग हो सके। शब्दों और वाक्यांशों की एक और सूची अंग्रेजी पर्यायों के साथ तैयार की जा चुकी है।

हिंदी में कार्य करने के इच्छुक कर्मचारियों के मन से हिचक दूर करने के लिए हिंदी प्रशिक्षण कार्यशालाएँ समय समय पर आयोजित की जाती हैं। अभी तक इस कार्यालय में 9 कार्यशालाएँ आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें अधिकारियों तथा कर्मचारियों को टिप्पणियां तथा मसौदे लिखने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है।

बड़ोदरा के इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड में हिंदी

इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड का रजिस्टर्ड और मुख्य कार्यालय गुजरात राज्य में (डाकघर : पेट्रोकेमिकल्स, जिला बड़ोदरा में) है। गुजरात एक अहिंदी भाषी क्षेत्र है और राजभाषा नियम, 1976 में "ख" क्षेत्र के राज्य के रूप में वर्गीकृत है। नई दिल्ली में निगम का एक संपर्क कार्यालय है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली, बम्बई, बंगलौर और कलकत्ता में एक क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मार्केटिंग गतिविधियों से संबंद्ध हैं। निगम के सचिव की निगरानी में हिंदी सेल काम करता है। अब तक किए गए कार्य का विवरण इस प्रकार है :—

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति :

अप्रैल, 1973 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन द्वारा हिंदी के उपयोग के बारे में केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अमल की दिशा में छोटे पैमाने पर शुरुआत की गई थी। फिलहाल निगम के वित्त निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत समिति के सात सदस्य हैं जिनमें प्रशासनिक और तकनीकी शाखाओं के अधिकारियों का समावेश है। समिति की बैठकें नियमित रूप से होती रहती हैं। नई दिल्ली के संपर्क कार्यालय में भी चार सदस्यों की एक उपसमिति बनाई गई है।

2. हिंदी संबंधी कार्य की व्यवस्था :

1974 में हिंदी सेल का आरम्भ एक हिंदी टाइपिस्ट क्लर्क से किया गया था। 1975 मार्च से एक हिंदी अनुवादक की नियुक्ति की गई। हिंदी के प्रगामी उपयोग के कार्य में विभिन्न विभागों की सहायता के उद्देश्य से पाँच वरिष्ठ सहायक (हिंदी) और पाँच टाइपिस्ट क्लर्क (हिंदी) के पद बनाए गए हैं। इनकी भर्ती हो चुकी है। तीन टाइपिस्ट-क्लर्क (हिंदी) कार्यग्रहण कर चुके हैं। एक सहायक हिंदी अधिकारी का पद हाल ही में बनाया गया है।

3. हिंदी टाइपराइटर :

हिंदी के प्रयोग में सुविधा के लिए अब तक निगम में आठ टाइपराइटर खरीद लिए गए हैं। जरूरत के अनुसार और हिंदी टाइपराइटर मँगाए जाएंगे।

4. कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण :

निगम के अधिकतर कर्मचारी एस० एल० सी० या उससे उच्च परीक्षा हिंदी विषय के साथ पास होने के कारण हिंदी प्रशिक्षण से मुक्ति प्राप्त हैं। जिन कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण जरूरी है उनके लिए सरकारी हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी क्लास चलाने की व्यवस्था निगम के ट्रेनिंग सेंटर में की गई है। अब तक प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की एक-एक क्लास चलाई जा चुकी है जिनके द्वारा 24 कर्मचारियों ने हिंदी प्रवीण और 13 ने हिंदी प्राज्ञ परीक्षा पास की है। जो 16 कर्मचारी दिसंबर, 1977 की हिंदी प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उनमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। 1978 में प्रबोध और प्रवीण की एक-एक क्लास चलाई गई। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अनुकूल समय पर छोटी

क्लास चलाने की व्यवस्था की गई है। 1978 में कुछ कर्मचारी पत्राचार हिंदी पाठ्यक्रम में भी शामिल हुए।

5. प्रोत्साहन

हिंदी परीक्षाएँ पास करने पर कर्मचारियों को नकद पुरस्कार आदि देने के लिए प्रोत्साहन योजना है। हिंदी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग करने के लिए भी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गई है।

6. हिंदी अनुवाद एवं अन्य प्रशासनिक साहित्य की तैयारी :

अब तक 19 नियमावलियों का हिंदी अनुवाद कर लिया गया है। इन में से कुछ को साइक्लोस्टाइल करवा कर/छपवाकर कर्मचारियों में वितरित किया गया है। कर्मचारी नियमावली पुस्तिका को हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में छपवाने का प्रस्ताव है। अब तक 70 के करीब फार्मों का अनुवाद कर लिया गया है। इनमें अधिकांश द्विभाषी रूप में छपवाए/साइक्लोस्टाइल्ड रूप में तैयार कराए गए हैं। निगम के ओलिफिन्स प्रोजेक्ट संबंधी करार का हिंदी अनुवाद तैयार करा लिया गया है। निगम के कुछ पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद संबंधी तकनीकी साहित्य अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में प्रकाशित करने की कार्यवाही भी जारी है। कुछ साहित्य अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी तैयार किया गया है।

सहायक साहित्य की व्यवस्था

हिंदी में काम करने के लिए सहायक साहित्य के रूप में विभिन्न शब्दकोश खरीदे गए हैं और खरीदे जा रहे हैं। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की पुस्तिकाओं के 10 सैट मँगाए गए हैं। विभिन्न विषयों की 150 से अधिक पुस्तकें खरीदी गई हैं। सामान्य रुचि की 500 पुस्तकें खरीद कर एक छोटा सा हिंदी पुस्तकालय 'आफिस लाइब्रेरी' के अंतर्गत स्थापित किया गया है। हिंदी में कामकाज करने में कर्मचारियों की सहायता के लिए 'कार्यालय हिंदी सहायिका' और 'विज्ञान शब्दावली' तैयार की गई है। निगम के कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी जानकारी सही रूप में देने के लिए एक त्रैमासिक 'राजभाषा बुलेटिन' आन्तरिक वितरण के लिए साइक्लोस्टाइल रूप में प्रकाशित किया जाता है।

8. कामकाज में हिंदी का प्रयोग :

(1) कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है।

(2) पत्र शीर्ष, फाइल कवर, बैठक कार्यसूची, फोल्डर आदि द्विभाषी रूप में छपवा लिए गए हैं। लिफाफों पर हिंदी रबर स्टेम्प लगाकर ही उपयोग करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं।

(3) अखिल भारतीय प्रचार के लिए जरूरी भर्ती और टेंडर संबंधी कुछ विज्ञापन हिंदी-अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाते हैं। स्थानीय आवश्यकतानुसार कई विज्ञापन प्रादेशिक भाषाओं में भी जारी किए जाते हैं।

(4) नामपट, रबर स्टैम्प आदि को हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में बनाने की कार्रवाई जारी है। बहुत से नामपट और रबर स्टैम्प हिंदी अंग्रेजी में बना भी लिए गए हैं।

(5) हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाते हैं। कुछ मूल पत्रों को हिंदी में भेजना शुरू किया गया है। कुछ परिपत्र, ज्ञापन आदि सिर्फ हिंदी में या हिंदी-अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं। कुछ अधिकारियों ने हिंदी में नोट लिखना शुरू किया है।

(6) हिंदी संबंधी परिपत्र, बैठक के कार्यवृत्त आदि में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। निगम के प्रशिक्षण केंद्र में संचालित कुछ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से हिंदी का उपयोग किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों से संबंधित परीक्षाओं में हिंदी में उत्तर लिखने की छूट दी जाती है।

(7) फायर फाइटिंग संबंधी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण और परीक्षण का माध्यम हिंदी है।

आदेश अनुदेश :

संख्या 12045/1/79-ओ० एल० ई० (ए)

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जून, 1980

सेवा में,

उप निदेशक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य,
हिंदी शिक्षण योजना,
कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास और जबलपुर।

विषय--हिंदी शिक्षण योजना--सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त संगठनों और सांविधिक निकायों आदि द्वारा हिंदी शिक्षण योजना के लिए हिंदी की विशेष कक्षाओं और परीक्षा शुल्कों आदि के प्रबंध पर किए गए व्यय की अदायगी के बारे में प्रक्रिया।

महोदय/महोदया,

इस विभाग के तारीख 3-11-79 के समसंख्यक पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त लेखों की प्राप्तियों का लेखा-जोखा रखने के लिए डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान और लेखा अधिकारी (सचिवालय), गृह मंत्रालय को भेजने के बजाय उसके संबंध में अब से निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :--

(I) उपक्रमों आदि के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था पर हुए व्यय की वसूली/अदायगी।

सरकारी उपक्रमों/स्वायत्त/अर्ध स्वायत्त संगठनों और सांविधिक निकायों के कर्मचारियों को हिंदी पढ़ाने के लिए किसी संगठन के विशिष्ट अनुरोध पर, जिससे इन पर होने वाले व्यय की वसूली की जानी है, हिंदी शिक्षण योजना का उप-निदेशक, जिसके क्षेत्र में उक्त विशेष कक्षाएँ चलाई जा रही हैं, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था पर हुए व्यय की वसूली पर निगरानी रखेगा। स्पष्टत: उक्त व्यय की अदायगी संबंन्धित उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना को उनके नाम में डिमांड ड्राफ्ट/चैक द्वारा की जाएगी। उप निदेशक डिमाँड ड्राफ्ट चैक को चालान फार्म (तीन प्रतियों में) के साथ अपने बैंक में जमा कराएगा और उनके उपयुक्त लेखे-जोखे आदि के लिए उत्तरदायी होगा।

(II) प्रबोध परीक्षा

इस परीक्षा में प्रवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त/अर्ध स्वायत्त संगठनों और सांविधिक निकायों के उम्मीदवारों की फीस हिंदी शिक्षण योजना के संबंधित क्षेत्र के उप निदेशक वसूल करेंगे। इसलिए प्रबोध परीक्षा शुल्क के लिए स्पष्टत: सभी डिमाँड ड्राफ्ट चैक आदि हिंदी शिक्षण योजना के संबंन्धित उप निदेशक के नाम भेजे जाएँ, जो इस प्रकार वसूल की गई फीस के लिए अंतिम व पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

(III) प्रवीण, प्राज्ञ और हिंदी टंकण तथा आशुलिपिक परीक्षा

ये परीक्षाएँ फिलहाल सहायक निदेशक, शिक्षा (परीक्षा शाखा) दिल्ली प्रशासन, चावी गंज, कश्मीरी गेट, दिल्ली-6 द्वारा आयोजित की जा रही है। और इसलिए इन परीक्षाओं में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के संबन्ध में परीक्षा शुल्क उन्हें सीधे ही भेजा जाए। उनके उपयुक्त लेखे-जोखे आदि के लिए सहायक निदेशक शिक्षा (परीक्षा), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली-6 जिम्मेदार होगा।

2. उपर्युक्त अधिकारी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की हिंदी शिक्षण योजना के बारे में जो धनराशि प्राप्त करते हैं उसके लिए किन्हीं त्रुटियों/कुप्रबन्धों आदि के लिए वे उस योजना के विभागाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होंगे। वे प्रत्येक परीक्षा होने के अगले माह में उस परीक्षा के विवरण भेजने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। ये रसीदें सरकार के नाम में "065 अप्रशासनिक सेवाएँ : सी--अन्य सेवाएँ : अन्य रसीदें" लेखा-शीर्ष के अधीन जमा की जाएँगी।

3. विभागाध्यक्ष, हिंदी शिक्षण योजना इन राजस्व रसीदों के उपयुक्त रख-रखाव और लेखे-जोखे आदि की जाँच राजभाषा विभाग के लेखाकार की मार्फत नियमित रूप से कराएगा।

4. इस पत्र को अंग्रेजी में 14/16-5-80 को पहले ही जारी किया जा चुका है।

--जी० पी० चड्ढा
उप सचिव, भारत सरकार

परिपत्र सं० 3/79

संख्या 11/20034/6/79 रा० भा० (क-2)

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 मई, 1979

कार्यालय ज्ञापन

विषय—**वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों की मौलिक पुस्तकें हिंदी में लिखने पर पुरस्कार देने की योजना।**

राजभाषा विभाग का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि अभी विभिन्न विषयों की पुस्तकें अधिकांशतः अनुवाद के माध्यम से तैयार की जाती हैं और उनमें वह प्रवाह नहीं आता जो मूलरूप से लिखी हुई पुस्तकों में होता है। कृषि विभाग ने कृषि संबंधी पुस्तकें मौलिक रूप से हिंदी में लिखने के संबंध में अच्छे लेखकों को 'डॉ० राजेंद्र प्रसाद' पुरस्कार देने आरम्भ किए हैं। उसके अनुसार प्रति वर्ष 5000 तथा 2500 रुपए के दो पुरस्कार दिए जाते हैं। कई व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। वन विभाग ने भी वन संबंधी पुस्तकों पर इस प्रकार के पुरस्कार देने का निश्चय किया है। विधि मंत्रालय द्वारा भी विधि से संबंधित विषयों की पुस्तकें मौलिक रूप से हिंदी में लिखने पर पुरस्कार दिए जाते हैं।

2. वित्त मंत्रालय, आदि से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित विषयों की मौलिक पुस्तकें हिंदी में लिखने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार देने के बारे में विचार करें जिससे उन विषयों की अच्छे स्तर की मौलिक पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध हो सकें। ऐसे सुझाव को अपने मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में भी रखवाने की व्यवस्था करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी कृपया इस विभाग को करा दी जाए।

—हरिबाबू कंसल

उप सचिव, भारत सरकार

संख्या 11/12013/2/76-रा० भा० (क-2)

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 फरवरी, 1980

कार्यालय ज्ञापन

विषय:—**विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए शील्ड देने की व्यवस्था।**

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के 6 फरवरी 1979 के कार्यालय ज्ञापन सं० 11/12013/2/76-रा० भा० (क-2) के पैरा 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों और विभागों से, निर्धारित मानदंडों के आधार पर जानकारी प्राप्त करेगा और जिस मंत्रालय या विभाग को वर्ष के दौरान हिंदी में किए गए काम के आधार पर सर्वाधिक अंक मिलेंगे उसे एक शील्ड दी जाएगी। उक्त शील्ड के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दो विशेष पुरस्कार देने की व्यवस्था भी की गई है। इस संबंध में यह निर्णय किया गया है कि प्रस्तावित विशेष पुरस्कार भी, शील्डों या ट्राफियों के रूप में, हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में विशेष प्रगति करने वाले मंत्रालयों/विभागों को दिए जाएँगे।

2. दिनांक 6 फरवरी, 1979 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 में यह उल्लेख किया गया है कि विभिन्न मंत्रालय/विभाग अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में से जिस कार्यालय में हिंदी का सबसे अधिक काम होता है उसे इसी प्रकार की एक शील्ड देंगे। अब यह निर्णय किया गया है कि विभिन्न मंत्रालय/विभाग अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और अपने स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि के कार्यालयों को शील्ड देने के अतिरिक्त दो विशेष पुरस्कार भी देंगे और इस संबंध में स्वयं आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे यह अनुदेश अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा नियंत्रणाधीन कंपनियों, निगमों आदि के कार्यालयों के ध्यान में ला दें।

—राजकृष्ण बंसल,

उप सचिव, भारत सरकार

—: ० :—

समाचार :

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि० में हिंदी कार्यशाला

ई० पी० आई० में हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन्हें पूरा करने के लिए यह जरूरी था कि कर्मचारियों को हिंदी में कामकाज करना सिखाने की व्यवस्था की जाए।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ई० पी० आई० के मुख्यालय में 16 जून से 27 जून तक एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से कर्मचारियों को भारत सरकार की राजभाषा संबंधी नीतियों से अवगत कराया गया तथा उन्हें दिन-प्रतिदिन के काम में लिखे जाने वाले नोट हिंदी में लिखने का अभ्यास करवाया गया। यह कार्यक्रम 11 दिन तक चला। इस कार्यशाला में विभिन्न प्रभागों के अलग-अलग स्तर के 26 कर्मचारियों ने भाग लिया। 16 जून 80 को उद्घाटन समारोह के अवसर पर सहायक प्रशासन प्रबंधक श्री इरफान अहमद खाँन ने कंपनी में हिंदी की प्रगति रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और इस बात की व्यवस्था की गई है कि किसी भी कर्मचारी को हिंदी में काम करने में कोई कठिनाई न हो। अपने उद्घाटन भाषण में श्री जसपाल सिंह बख्शी निदेशक (वित्त) ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य न तो कर्मचारियों को अच्छा अनुवाद करने के सिद्धांत बताना है और न ही हिंदी का प्रकांड पंडित बनाना है। इस कार्यशाला के माध्यम से कर्मचारियों को हिंदी में लिखने में होने वाली झिझक को दूर करने के प्रयास किए जाएँगे और उन्हें हिंदी में लिखते समय होने वाली छोटी-छोटी कठिनाइयों के बारे में बताया जाएगा। श्री बक्शी ने कार्यशाला में भाग ले रहे कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरल और समझ में आ जाने वाली हिंदी लिखें। भारी भरकम और कठिन शब्दों से बचें और जहाँ कहीं आवश्यक हो, विदेशी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने से हिचकिचाएं नहीं।

कार्यशाला के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति प्रशंसनीय रही। किसी भी कर्मचारी को हिंदी लिखने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हाँ, उनकी हिंदी में लिखने में स्वाभाविक झिझक काफी हद तक दूर हो गई।

कार्यशाला के समापन के लिए विशेष आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा विभाग तथा हिंदी संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा ई० पी० आई० के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का आरम्भ करते हुए कार्यशाला के आयोजक श्री सूरज प्रकाश ने बताया कि ई० पी० आई० के सभी अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में काम करने में दिलचस्पी लेते हैं तथा हिंदी के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता उनमें है। इस कार्यशाला के माध्यम से न केवल कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारी हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित हुए हैं, अपितु अन्य सभी व्यक्तियों ने अपने कामकाज में हिंदी के प्रयोग का आश्वासन दिया है। श्री महीपाल सिंह तेवतिया, (उप महाप्रबंधक, कार्मिक एवं प्रशासन, जो ई० पी० आई० की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं,) की अनुपस्थिति में श्री बी० के० अरोड़ा उप कार्मिक एवं प्रबंधक ने उनका संदेश पढ़ कर सुनाया।

श्री तेवतिया ने अपने संदेश में कहा कि ई० पी० आई० इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि जिस क्षेत्र में भी हो सकेगा, हिंदी को अंग्रेजी की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी। हम अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उनसे यह आशा बंधती है कि हम ई० पी० आई० के सभी कामों में हिंदी को यथोचित स्थान दिला सकेंगे। कार्यशाला अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल रही कर्मचारियों को क्या लाभ पहुंचा, इस बारे में अपनी राय जाहिर करते हुए श्री एम० एम० अय्यर ने कहा कि 10 दिन की छोटी-सी अवधि में हमें कुछ नया सीखने को मिला। हिंदी में नियमित रूप से लिखने का अभ्यास कराया गया और इस बात की भरपूर कोशिश की गई कि हिंदी में लिखते समय हमें जो झिझक होती है, उसे दूर किया जा सके।

आमंत्रित अतिथि श्री प्रयाग नाथ चतुर्वेदी, संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि हमें वह हिंदी अपनानी है जिसमें स्वीकार की भावना हो, उसे चाहे कोई दक्षिण भारतीय लिखे या कोई पंजाबी या और कोई भाषी-भाषी उसमें इतनी रवानगी, सहजता और सरलता हो कि किसी को भी उसे समझने में कठिनाई न हो।

अपने अध्यक्षीय भाषण में ई० पी० आई० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर ओ० पी० नरूला ने इस बात पर जोर दिया कि हम जिस किस्म के कार्यव्यापार में लगे हुए हैं, उसके लिए हमें अपना अधिकतर पत्र व्यवहार विदेशों से और विदेशों में स्थित अपने कार्यालयों से करना पड़ता है। इसलिए हम अंग्रेजी के इस्तेमाल से बच नहीं सकते। फिर भी, हमारी यही कोशिश रहती है कि जिन क्षेत्रों में हिंदी से काम चल सकता है, वहाँ उसी पर जोर दिया

ई० पी० आई० में आयोजित हिंदी कार्यशाला म भाग लेने वाले कर्मचारी

जाए। उन्होंने राजभाषा हिंदी के महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकार किया और कहा कि हमें हिंदी को आज भी स्वीकार करना है और कल भी, तो क्यों न यह महत्वपूर्ण काम तत्काल शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं की सार्थकता तभी है जब कर्मचारी अपनी सीट पर भी जाकर हिंदी में ही काम करें।

कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र और पुरस्कार प्रदान करनें के बाद मुख्य अतिथि श्री जयनारायण तिवारी, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार तथा सचिव, राजभाषा विभाग ने सभा को संबोधित करते हुए इस बात पर बहुत अधिक प्रसन्नता व्यक्त की कि पूरी तरह तकनीकी संस्थान होते हुए भी हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए ई० पी० आई० ने जो कार्यक्रम तैयार किया है और इसके लिए जो कदम उठाए हैं, वे निस्संदेह ही अनुकरणीय हैं। अन्य संस्थानों को इससे प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने भारत सरकार की राजभाषा संबंधी नीतियों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी नीति यह कभी भी नहीं रही कि हिंदी जबरन थोपी जाए। हिंदी सभी देशवासियों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए कड़ी का काम कर रही है और इस कड़ी को मजबूत करना हम सबका कर्त्तव्य है।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हिंदी सेवी संस्थाओं द्वारा हिंदी का प्रचार-प्रसार

हिंदी साहित्य कला परिषद :

द्वीपों की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं पुरानी संस्था "हिंदी साहित्य कला परिषद", पोर्ट ब्लेयर, द्वीपों के विभिन्न भाषा-भाषी लोगों के बीच सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न करती आ रही है। हाल ही में 28-5-80 को परिषद के सभाकक्ष में शहीदों के शहीद वीर सावरकर की जयंती का आयोजन किया गया था।

इस पुनीत पर्व के अवसर पर परिषद ने एक गोष्ठी का आयोजन किया था। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे हिंदी प्रेमी एवं साहित्यिक गतिविधियों को अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करने वाले अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के

राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार श्री जयनारायण तिवारी ई० पी० आई० में हिंदी कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर पुरस्कार वितरित करते हुए

विकास आयुक्त श्री बहादुर राम टमटा तथा मुख्य अतिथि के पद पर आसीन थे श्री राजमणि तिवारी, संपादक राजभाषा भारती, भूतपूर्व जेलर श्री गोविंदराय दत्तात्रेय हर्षे ने परमवीर सावरकर की जीवनी बताते हुए उनके हिंदी प्रेम एवं द्वीपों में हिंदी के विकास का बीजारोपण करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। कवियों की सरस, मधुर, संगीतमयी एवं श्रेष्ठ रचनाओं ने विशाल जनसमूह को ही नहीं, स्वयं मुख्य अतिथि को यह कहने की प्रेरणा दी कि :

"इन द्वीपों की रचनाओं में और कवियों द्वारा उसके प्रस्तुतीकरण में मैंने एक ऐसे मिठास का अनुभव किया है कि इस गोष्ठी की तुलना मुख्य भूमि की किसी भी कवि गोष्ठी से की जा सकती है और तुलना में यहाँ की गोष्ठी बीस ही रहेगी उन्नीस नहीं।"

इस अवसर पर कई कवियों ने कविता पाठ किया। कवि बंधु श्री सेवाराम सेतिया के मधुर कंठ स्वर से संपूर्ण वातावरण संगीतमय हो गया। श्री पी० एन० सूद के व्यंग और श्रीमती सेतिया के ओजस्वी स्वरों ने श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। श्री लेखराज कपूर के हास्य से वातावरण लोटपोट हो गया। कुमारी आभा सूद और कुमारी अनस्तासिया की कविताओं में आने वाले विहान का स्वर गूंज रहा था। श्री सारदानंद राय ने भोजपुरी कविताओं के माध्यम से एक बार भोजपुर अंचल की याद ताजा कर दी और श्री आनंद बल्लभ शर्मा 'सरोज' ने ब्रज भाषा के शब्दों के माध्यम से और अपने सुमधुर कंठ-स्वर से संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की अभूतपूर्व प्राकृतिक छटा को ब्रज मंडल में परिणित कर दिया।

परिषद के उपाध्यक्ष श्री ब्रजमोहन बुद्धिराज ने मुख्य अतिथि एवं गोष्ठी के अध्यक्ष श्री बहादुर राम टमटा, के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया तथा प्रोत्साहन के शब्दों के लिए आभार प्रकट किया।

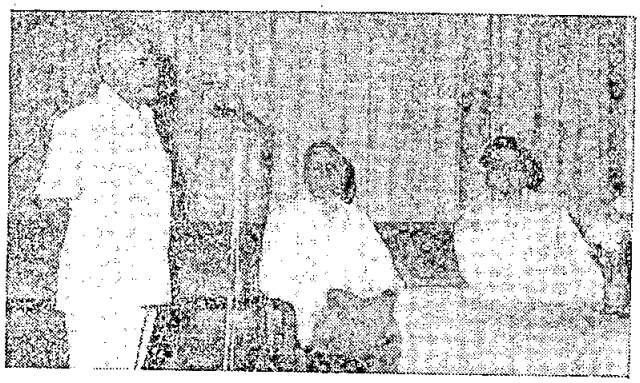

वीर सावरकर जयंती समारोह के अवसर पर बोलते हुए परिषद के सचिव श्री सुरेश नंदन प्रसाद सिनहा। साथ बैठे हैं श्री राजमणि तिवारी तथा विकास आयुक्त श्री वी० आर० टमटा।

(2) **नव परिमल :**

हिंदी की सेवा में स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस प्रकार मुख्य भूमि में हिंदी साहित्य संमेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और नागरी प्रचारिणी सभा आदि संस्थाएं हिंदी की महती सेवा कर रही हैं उसी प्रकार अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में बुद्धिजीवियों की शिखर संस्था "नव परिमल" विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, कवि-सभाओं आदि के माध्यम से हिंदी को उच्चस्तर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रही है। विभिन्न भाषा, वेशभूषा और राज्यों के उन लोगों के बीच जो दशाब्दियों से इन द्वीपों में बस गए हैं, हिंदी अब कार्यालयों/संस्थाओं/शीर्षस्थ व्यक्तियों की भाषा बनती जा रही है। इस महान कार्य में स्थानीय हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का योगदान भी उल्लेखनीय है। इसी पृष्ठभूमि में "नव परिमल" एक अनियतकालीन "कृति" नामक पत्रिका प्रकाशित करता है। हाल ही में गत 29 मई, 1980 को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी एवं "राजभाषा भारती" के संपादक श्री राजमणि तिवारी ने "कृति" के अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष विशेषांक का विमोचन किया। समारोह की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष एवं अंडमान प्रशासन के विकास आयुक्त श्री बहादुर राम टमटा ने की। समारोह में विशेषांक के संपादक श्री ओंकार गौतम ने उन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जिनमें संस्था अपनी इस पत्रिका का प्रकाशन करती चली आ रही है। पहले "कृति" को उसके संपादक ने अपने कठोर परिश्रम से स्टेंसिल काटकर अपनी सुन्दर अक्षरों वाली हस्तलिपि में निकालना शुरू किया था। बाद में वह इस स्तर पर पहुंची कि उसके काव्य संकलन अंक को मुक्तकंठ से सराहा गया, जो इन द्वीपों में साधनारत हिंदी प्रेमियों का सर्वप्रथम काव्य संग्रह है। विशेषांक के विमोचन के पश्चात् द्वीपों के यशस्वी स्थानीय कलाकारों और बाहर से आए अतिथि कलाकारों ने आकर्षक संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री तिवारी ने साहित्य, संगीत और कला की त्रिवेणी में स्नान कराने के लिए संस्था की सराहना की और कामना की कि जिन द्वीपों को प्रकृति ने अपने सौंदर्य का अनुपम उपहार प्रदान किया है उनमें "नव परिमल" हिंदी के माध्यम से कला और संस्कृति की सुन्दरता उत्पन्न करने के अपने प्रयास में सफल होगी। अपने ओजस्वी एवं प्रभावशाली भाषण में श्री तिवारी ने उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने जीवन का अमूल्य भाग स्वतंत्रता की बलिवेदी पर इन द्वीपों (सेल्युलर जेल) में बिता दिया और सभी देशवासियों के बीच भावात्मक एकता पैदा करने की महती प्रेरणा प्रदान की, जो कि इन दिनों हमारी प्रमुख आवश्यकता है। श्री टमटा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में संस्था की विगत तीन साल की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला और बताया कि किस प्रकार संस्था के कार्यकलापों की सराहना देश के शीर्षस्थ नेताओं, मंत्रियों, संसद सदस्यों और विद्वानों ने की है, किस प्रकार आकाशवाणी और देश की प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं जैसे साप्ताहिक धर्मयुग, दैनिक विश्वमित्र आदि ने संस्था के विवरण प्रकाशित करके उसे प्रोत्साहन प्रदान किया है। समारोह के अंत में संस्थान के उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ दयाल (शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) ने धन्यवाद ज्ञापन किया। समारोह का संचालन कर रहे थे संस्था के महासचिव एवं आकाशवाणी, पोर्ट ब्लेयर के प्रोड्यूसर श्री मदन मोहन सिनहा "मनुज"। (श्री वशिष्ठ द्वारा प्रस्तुत)

राजभाषा वर्ष 1979 के दौरान एच एम टी में हिंदी लेख प्रतियोगिता का आयोजन

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) से प्राप्त निदेशों के अनुसार वर्ष 1979 को राजभाषा वर्ष के रूप में मनाने के क्रम में एचएमटी, सामूहिक प्रधान कार्यालय, बंगलोर की ओर से हिंदी-अहिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित कंपनी के विभिन्न यूनिटों सहित प्रधान कार्यालय के लिए "एक विस्तृत कार्यक्रम" भेजा गया था।

उक्त कार्यक्रम के अलावा, राजभाषा वर्ष के दौरान हिंदी को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कंपनी में कार्यरत गैर-हिंदी भाषी कर्मचारियों के बीच "औद्योगिक विकास में एच एम टी का योगदान" विषय पर एक हिंदी लेख प्रतियोगिता का आयोजन, दिनांक 21 दिसम्बर, 1979 क प्रधान कार्यालय, बंगलोर में किया गया।

इसी प्रकार की हिंदी लेख प्रतियोगिताओं का आयोजन कंपनी के निम्नांकित यूनिटों में भी किया गया :—

(1) एचएमटी I एवं II	—बंगलोर
(2) एचएमटी III	—पिंजौर
(3) एचएमटी IV	—कलमेसरी
(4) एचएमटी V	—हैदराबाद
(5) एचएमटी VI	—अजमेर
(6) एचएमटी III (घड़ी)	—श्रीनगर

इस प्रतियोगिता में प्रधान कार्यालय, बंगलोर के निम्नांकित कर्मचारियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए :—

29 मई 1980 को नेहरू युवक केंद्र, पोर्ट ब्लेयर के भवन में आयोजित 'कृति' के अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष विशेषांक के विमोचन समारोह के अवसर पर संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करती हुई श्रीमती तृप्ति सान्याल, सर्वश्री के० मम्मी, अशोक श्रीवास्तव तथा सरदार एस० जे० देउल

(1)	कुमारी सरोजा जी०, लेखा विभाग	100/–
(2)	श्रीमती एस० प्रभामणी, सामान्य प्रशासन	75/–
(3)	श्री वाई० जी० नरसिंहन, लेखा विभाग	50/–

हिंदी लेख प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता कर्मचारियों को नगद पुरस्कार का वितरण श्री बी० रामचंद्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एचएमटी लि०, बंगलोर द्वारा एक समारोह में किया गया।

उक्त पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर कंपनी के कार्यात्मक निदेशक, यूनिटों तथा प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक सहित सामूहिक प्रधान कार्यालय, बंगलोर के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं इसके अन्य सदस्य, स्थानीय हिंदी शिक्षण योजना के कार्यकारी निदेशक तथा अन्य प्राध्यापक एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी भी उपस्थित थे।

अतिविस्फोटक कारखाना पुणे में हिंदी समारोह का आयोजन

दिसम्बर, 1979 के अंतिम सप्ताह में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पुणे स्थित अतिविस्फोटक कारखाने, में एक हिंदी समारोह का आयोजन किया गया। कारखाने के महाप्रबंधक श्री पी० के० बेनर्जी ने समारोह की अध्यक्षता की।

इस समारोह में भारत सरकार, गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत चल रहीं प्राज्ञ, प्रवीण और प्रबोध की हिंदी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। समारोह में हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री क्रांति प्रकाश मिश्र ने सरकार की हिंदी नीति की विस्तार से चर्चा की। केन्द्र के संपर्क अधिकारी एवं उप महाप्रबंधक श्री आर० एन० सिंह ने केन्द्र में हिंदी शिक्षण की स्थिति पर प्रकाश डाला। उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

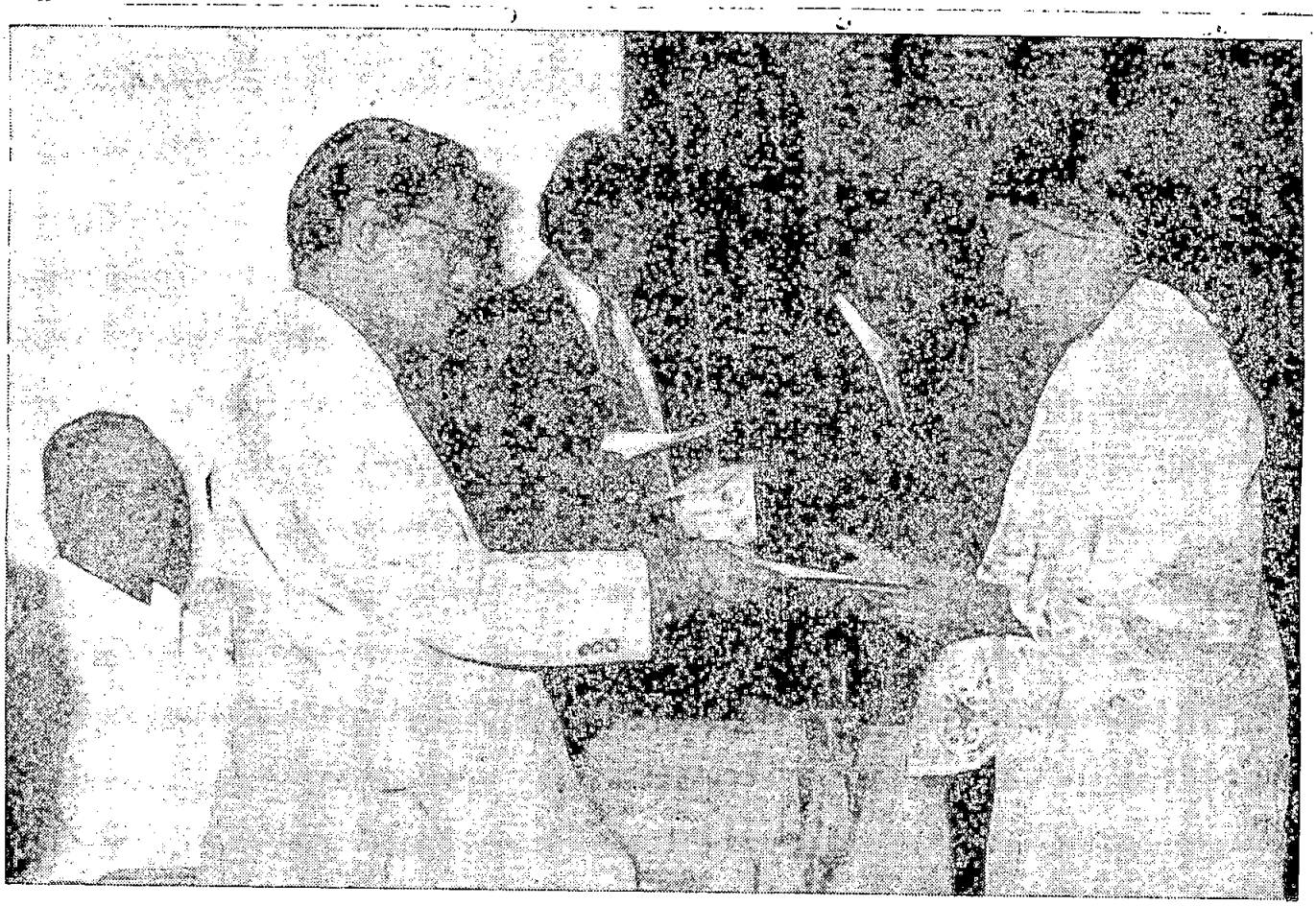

श्री वी० रामचंद्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से हिंदी लेख प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती हुई कुमारी सरोजा जी०

हिंदी में सराहनीय कार्य के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ के 55 कर्मचारी पुरस्कृत

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के 55 कर्मचारियों को 27-3-80 को एक सादे समारोह में हिंदी में सर्वाधिक एवं सराहनीय कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण मंडल रेलवे प्रबंधक श्री एल० एम० भास्कर ने किया। प्रत्येक कर्मचारी को 50/– रुपए नकद तथा राजभाषा प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बधाई दी। इससे पूर्व मंडल राजभाषा अधिकारी श्री अरूप कुमार दास ने विश्वास व्यक्त किया कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वालों के लिए जहां उत्साह वर्धक रहेगा वहीं अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक भी होगा। उन्होंने आगे कहा कि निश्चय ही मंडल के लगभग सभी कर्मचारी अपने क्षेत्रों में हिंदी में अच्छा कार्य कर रहे हैं पर इन कर्मचारियों का उनमें विशिष्ट स्थान है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगे-पीछे सभी को प्रोत्साहित किया जाएगा। अंत में हिंदी अधीक्षक श्री जगतपति शरण निगम ने धन्यवाद किया।

नागपुर टेलीफोन कार्यालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन

नागपुर टेलीफोन जिले में आयोजित हिंदी कार्यशाला के दूसरे सत्र का समापन करते हुए 14-4-80 को जिला प्रबंधक श्री मा० वि० भास्करराव ने कहा कि सरकारी काम-काज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी कार्यशालाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्यशालाओं में किए जा रहे प्रशिक्षण से उनके कार्यालय में काम-काज में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा। उन्होंने यह भी बतलाया कि उनके दफ्तर में हिंदी कार्यशाला के कुछ सत्र और चलाए जाने के बाद टेबुल ट्रेनिंग कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी को उसकी टेबुल का काम हिंदी में करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर कार्यशाला के दूसरे सत्र के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए और उत्कृष्ट मसौदे और टिप्पणियां लिखने वाले कर्मचारियों को मानदेय के रूप में नकद पुरस्कार भी दिए। पुरस्कार पाने वाले कर्मचारी हैं—श्री ज्ञा० ना० मरघड़े (प्रथम 50 रुपए), श्रीमती आशा कावले (द्वितीय–35 रुपए), श्री बी० डी० शेंडे और श्रीमती प्रेमा पाठक (सांत्वना पुरस्कार–20-20 रुपए)।

हिंदी कार्यशाला का आयोजन

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुख्यालय में दिनांक 17-12-79 को एक हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन समारोह हुआ। हिन्दी-कार्यशाला के उद्घाटन भाषण में पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक श्री बालकृष्ण थापर ने हिन्दी के प्रयोग के संबंध में सुझाव देते

हुए कहा कि सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग करने में हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि जब कभी हिंदी में लिखने का समय पड़ता है तो हम पहले अंग्रेजी में सोचते हैं और बाद में उसका अनुवाद हिंदी में करते हैं। इस तरह अनुवाद करते समय उपयुक्त शब्द की खोज में काफी समय लग जाता है और संस्कृतनिष्ठ अनुवाद करने से वह हरेक व्यक्ति की समझ में भी नही आता। फलस्वरूप अंग्रेजी में लिखने का अभ्यास होने पर भी हिंदी जानने वाले कर्मचारी भी आवती को जल्दी निपटाने के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं और अधिक सुविधाजनक समझते हैं। परंतु अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है जिसे राष्ट्रीय दृष्टि से छोड़ना ही पड़ेगा। हिंदी हमारे देश की अपनी भाषा है। इसलिए हमें सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। जब तक हम इस कार्य में रुचि नहीं लेंगे तब तक हिंदी के प्रयोग में उन्नति नहीं हो सकती।

मैं समझता हूं कि कर्मचारियों की सुविधा के लिए सरल एवं सुबोध हिंदी के प्रचलित रूप को अपनाना चाहिए। हिंदी में अंग्रेजी के तथा अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अंग्रेजी में भी हिन्दी के अनेक शब्दों का समावेश हो चुका है, नाला, पक्का, कच्चा, डकैती, घेराव आदि शब्द आक्सफोर्ड की डिक्सनरी में लिए गए हैं। मेरा सुझाव है कि सरकारी कामकाज की हिंदी में भी अंग्रेजी तथा अन्य उर्दू फारसी आदि भाषाओं के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया जाए तो निश्चय ही कर्मचारियों को हिंदी में कामकाज करने में प्रेरणा मिलेगी और सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजी को छोड़कर हिंदी जानने वाले कर्मचारी हिंदी के प्रचलित सर्व-सामान्य रूप को अपनाने लगेंगे। सरकारी नोटिंग-ड्राफ्टिंग में हिंदी के ऐसे ही सरलरूप को अपनाना चाहिए, जिसे लिखने, पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत न हो। इस कार्यशाला में 25 कार्मचारियों को हिंदी में काम करने का अभ्यास कराया गया। सर्वेक्षण द्वारा अब तक कुल 6 कार्यशालाएं चलाई जा चुकी हैं जिनमें कुल 185 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

राजस्थान में 99 प्रतिशत न्यायिक निर्णय हिंदी में

राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अक्तूबर से दिसंबर, 1979 के तीन महीनों में 99.72 प्रतिशत फैसले हिंदी में दिए गए।

राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुसार उक्त तिमाही में जिला एवं सत्र न्यायालय स्तर तक के न्यायालयों द्वारा राज्य भर में 30,696 फैसले दिए गए जिनमें 3,610 हिंदी में तथा 86 अंग्रेजी में थे। राज्य के 12 जिलों में कोई फैसला अंग्रेजी में नहीं दिया गया।

नागरी लिपि में सभी यांत्रिक सुविधाएँ उपलब्ध हों

देवनागरी लिपि में अब केवल टाइपराइटर ही नहीं हैं, पतालेखी मशीनें भी उपलब्ध हैं और कंप्यूटरों में देवनागरी लिपि का उपयोग करने का सफल प्रयोग हो चुका है। चेक लिखने के लिए जिन पिन-प्वाइंट टाइपराइटरों का उपयोग किया जाता है वे अभी तक रोमन-लिपि के बनते रहे हैं, लेकिन यह बात मानी जा चुकी है कि उन्हें देवनागरी लिपि में तैयार करने में कोई कठिनाई नहीं है। उनके लिए विदेशों से कुछ सामान मँगवाना पड़ेगा जिसकी लागत बहुत अधिक नहीं होगी। देवनागरी लिपि के टेलिप्रिंटर कई वर्ष से भारत में ही बन रहे हैं। इस प्रकार ऐसी अधिकांश मशीनें जो लिखा-पढ़ी के विभिन्न कार्यों के लिए रोमन लिपि में उपलब्ध रहीं हैं अब देवनागरी लिपि में भी उपलब्ध हैं अथवा उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं। फिर भी कई ऐसे क्षेत्र होंगे जिनमें ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। सभी पाठकों से अनुरोध है कि वे अपने चारों ओर देखें और पता लगाएँ कि विभिन्न क्षेत्रों में लिखाई-पढ़ाई के कामों में किस-किस प्रकार के यंत्र रोमन लिपि में बन चुके हैं ? क्या वे संतोषजनक रूप में काम दे रहे हैं अथवा उनमें कोई दोष या त्रुटि है जिन्हें दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए ? नए-नए यंत्र देवनागरी लिपि में उपलब्ध हो सकें, यांत्रिक दृष्टि से उनमें कोई दोष न रहे, इसके लिए निरंतर अनुसंधान करते रहने की आवश्यकता पड़ेगी और देवनागरी लिपि के हितैषियों को इन यांत्रिक सुविधाओं का विकास करने और उनमें सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना होगा। जो सज्जन इस विषय में अपनी रुचि रखते हैं वे अपना नाम और पता मंत्री, नागरी लिपि परिषद, राजघाट, नई दिल्ली को भेजने की कृपा करें।

प्रशासन को भारतीय जन जन से जुड़ने के लिए हिंदी को अपनाना ही होगा

महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश के कार्यालय में हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार श्री नरेश मेहता के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आयोजन की अध्यक्षता श्री मनमोहन मेहता, महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश ने की। मुख्य अतिथि श्री नरेश मेहता का परिचय देते हुए श्री उमाकांत मालवीय ने उनका स्वागत किया।

श्री हेमंद्र चतुर्वेदी, अनुभाग अधिकारी हिंदी अनुभाग ने हिंदी कार्यशाला के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा करते हुए बतलाया कि हिंदी में कार्यारंभ करने के संदर्भ में हर प्रकार की कठिनाइयों एवं हिचक के निराकरण हेतु कर्मचारियों को सक्षम बनाना ही हमारा लक्ष्य है। श्री ओम प्रकाश गोयल, महालेखाकार उत्तर प्रदेश, तृतीय ने विनोदपूर्ण ढंग से लोगों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्य अतिथि के रूप में श्री नरेश मेहता ने कहा कि हमें मुद्दे को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। हमारा किसी भाषा विशेष से कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी ही नहीं वरन अधिक से अधिक भाषाओं के पठन पाठन की समुचित व्यवस्था हो। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी की अनिवार्यता, तथा उसका वर्चस्व स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं। भारतीय प्रशासन को यदि सही अर्थों में भारतीय जन जन से जुड़ना है तो उसे आज नहीं तो कल हिंदी को अपनाना होगा। इस संदर्भ में जितना विलम्ब होगा देश को उतना ही नुकसान होगा।

मुख्य अतिथि के भाषण के सार को अपने कथन में समेटते हुए, अत्यन्त संक्षेप परंतु प्रभावशाली ढंग से अध्यक्ष, महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश श्री मनमोहन मेहता ने अपने कार्यालय के कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे कार्यालय में शत प्रतिशत कार्य हिंदी में करने का लक्ष्य अपनी कर्मठता और अपने संकल्प से शीघ्र ही प्राप्त करें।

बैंक नोट मुद्रणालय में राजभाषा वर्ष

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ने वर्ष 1979 में यह सिफारिश की थी कि राजभाषा के प्रयोग में गंभीरता लाने के लिए वर्ष 1979 राजभाषा वर्ष के रूप म मनाया जाए।

भारत सरकार ने इस सिफारिश को मानकर वर्ष 1979 को राजभाषा वर्ष घोषित कर दिया। बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में इस राजभाषा वर्ष में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सघन प्रयास किए गए। मुद्रणालय की राजभाषा कार्यांवयन समिति की 22 वीं बैठक में एक त्रैमासिक पत्रिका (बैनोप्रिन) प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। अभीतक इसके चार अंक प्रकाशित हो चुके हैं।

कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने और उसका अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा अनुशंसित पुरस्कार योजना इस वर्ष प्रारंभ की गई तथा विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। इसके अतिरिक्त मुद्रणालय की ओर से एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें क्रमश: 101/-, 75/- तथा 51/- के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के अतिरिक्त 21/-, 21/ के दो प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए गए। निबंध लिखने के लिए तीन विषय थे जिनमें प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार "एक हृदय हो भारत जननी" नामक निबंध को प्राप्त हुए। हिंदीतर भाषी, प्रतियोगिताओं को बोनस अंक दिए गए। अच्छे निबंध लिखने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

निबंध प्रतियोगिता के पुरस्कार मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री सी० एम० पुनाचा जी ने वितरित किए। टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता के पुरस्कार श्री हरि वल्लभ जोशी, विशेष अधिकारी, गृह विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा दिए गए।

इसके साथ ही साथ केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् की स्थानीय शाखा के सहयोग से 4 प्रतियोगिताएँ अखिल भारतीय स्तर की तथा दो स्थानीय स्तर पर आयोजित की गई।

बच्चों में प्रारंभ से ही हिंदी और साहित्य में रुचि बढ़ाने हेतु अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 9 दलों ने भाग लिया। स्थानीय स्तर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में तमिल एवं मराठी भाषी प्रतियोगियों ने प्रथम एवं द्वितीय स्थान पाकर हिंदी पर अपना अधिकार सुदृढ़ किया।

बैंक नोट मुद्रणालय, देवास अपने "चेक" हिंदी में जारी कर रहा है। चेकों को हिंदी में जारी कराने म मुद्रणालय के

श्री सी० एम० पुनाचा, राज्यपाल मध्य प्रदेश के साथ बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के अधिकारी और कर्मचारी

महाप्रबंधक श्री पी० एस० शिवराम ने पूर्ण सहयोग दिया। मुद्रणालय का समस्त आन्तरिक पत्र-व्यवहार हिंदी में होता है। हिंदी के पत्र का उत्तर हिंदी में दिया जाता है।

मुख्य लेखा एवं प्रशासन अधिकारी श्री एस० पी० कुलश्रेष्ठ के अनुसार सतर्कता प्रकोष्ठ को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि भविष्य में समस्त परिचय पत्र एवं आगंतुक पास हिंदी में बनाए जाएँ।

राजभाषा वर्ष मनाए जाने के कारण अब कर्मचारी एवं श्रमिक हिंदी के प्रयोग के प्रति जागरूक हो गए हैं। सभी ने अपने आवेदन आदि हिंदी में प्रस्तुत करने प्रारंभ कर दिए हैं। यही नहीं यदि किसी कारणवश कोई व्यक्तिगत ज्ञापन अंग्रेजी में जारी हो जाता है तब संबंधित श्रमिक यह लिख देता है कि ज्ञापन हिंदी में जारी किया जाए। इतना ही नहीं, नोटों के परेषण पर जाने वाले नियंत्रण निरीक्षक भी अपना "दौरा प्रतिवेदन" हिंदी में देने लगे हैं।

सरकारी काम-काज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए "हिंदी कक्ष" का गठन किया गया है जिसमें एक हिंदी अनुवादक और दो हिंदी टाइपिस्ट कार्यरत हैं तथा दो कनिष्ठ अनुवादकों की भर्ती हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस आलोच्य वर्ष में शत-प्रतिशत टाइपराइटर हिंदी में खरीदे गए।

भारत मौसम विज्ञान विभाग में प्रमाण-पत्र तथा पुरस्कार वितरण समारोह

भारत मौसम विज्ञान विभाग एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी विभाग है। इस विभाग में अधिकांश कार्य वैज्ञानिक प्रकृति का होता है। फिर भी सरकार की राजभाषानीति के अनुसार विभाग के मौसम भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा देशभर में फैले प्रादेशिक मौसम केंद्रों, मौसम कार्यालयों और इससे संबंधित अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों तथा अधिकारियों को हिंदी में काम करने के लिए अनेक प्रकार से प्रोत्साहित करके हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस वैज्ञानिक विभाग में हिंदी के प्रति प्रेम और हिंदी में अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 13, 14 तथा 15 सितंबर 1979 को विभाग में वाद-विवाद कविता तथा हिंदी निबंध, टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के दिल्ली स्थित कार्यालयों [(1) मौसम विज्ञान के महा-निदेशक का कार्यालय, (2) उपमहानिदेशक, उपकरण तथा उत्पादन का कार्यालय, और (3) निदेशक, प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली का कार्यालय] के राजपत्रित अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में अहिंदी भाषी कर्मचारियों तक ने भाग लेकर रुचि ली और श्रोताओं के रूप में विभाग के उच्च अधिकारियों तक ने भाग लेकर और हिंदी में अपने विचार प्रकट करके कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया।

इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय विजेताओं का चयन करने के लिए अलग-अलग निर्णायक मंडल बनाए गए। प्रत्येक निर्णायक मंडल में तीन-तीन अधिकारियों को निर्णायक रखा गया। इस प्रकार विभाग के अनेक अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में रुचि लेकर सहयोग प्रदान किया।

विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम इस प्रकार रहे :—

निबंध

1. श्री पन्ना लाल गुप्ता, व्या० स० —प्रथम
2. श्री जी० एम० जैन, स० मौ० वि० —द्वितीय
3. श्री आर० डी० राम, उ० श्रे० लिपिक —तृतीय
4. श्री प्र० अ० कांबले, व्या० स० —तृतीय

वाद विवाद प्रतियोगिता

1. श्री गंगादेव शर्मा, मैकेनिक —प्रथम
2. श्री पन्नालाल गुप्ता, व्या० स० —द्वितीय
3. श्री राजेंद्र शर्मा, वै० स० —तृतीय

कविता प्रतियोगिता

1. श्री राजेंद्र शर्मा, वै० स० —प्रथम
2. श्री किशन लाल, वै० स० —द्वितीय
3. श्री आर० डी० राम, उ० श्रे० लिपिक —तृतीय
4. श्री कन्हैयालाल, मजदूर —तृतीय

टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता

1. श्री पन्नालाल गुप्ता, व्या० स० —प्रथम
2. श्री इंद्रदेव कुमार सिंह, वै० स० —द्वितीय
3. श्री लेखराज सिंह, उ० श्रे० लिपिक —तृतीय

इस वर्ष 17 मार्च, 1980 को विभाग के लाइब्रेरी हाल में पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता, मौसम विज्ञान के महानिदेशक डा० पी० के० दास ने की। समारोह में विभाग के दिल्ली स्थित कार्यालयों से अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा भारत सरकार के अन्य अनेक

मौसम विज्ञान महानिदेशक,
डॉ० पी० के० दास पुरस्कार वितरित करते हुए

मंत्रालयों एवं विभागों के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। समारोह के कार्यक्रम का संचालन विभाग के हिंदी अधिकारी श्री ए० एस० वर्मा ने किया।

इस अवसर पर डॉ० शशि मोहन कुलश्रेष्ठ, निदेशक तथा प्रभारी उपमहानिदेशक (उपकरण एवं उत्पादन) ने विभाग में हिंदी के प्रयोग की प्रगति का विवरण हिंदी सम्पर्क अधिकारी श्री एस० के० दास, उपमहानिदेशक (प्रशासन तथा भंडार) की अनुपस्थिति में प्रस्तुत किया। अपने वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्य में व्यस्त रहते हुए भी विभाग की शब्दावली समिति के अध्यक्ष के नाते, मौसम विज्ञान की अंग्रेजी-हिंदी शब्दावली को तैयार करने में डॉ० कुलश्रेष्ठ का विशेष योगदान रहा है।

समारोह में कुछ स्वरचित कविताएँ भी प्रस्तुत की गई और प्रसिद्ध कलाकार श्री महेंद्र सिंह चौपड़ा के गाने पर तो उपस्थित जन समूह झूम उठा था। श्री एन० पी० जौहरी, मौसम विज्ञानी ने घाघ की मौसम संबंधी कहावतें सुनाई जिनकी बड़ी सराहना की गई। श्री पन्नालाल गुप्ता, व्या० सहायक, ने प्रतियोगिताओं के आयोजन से लाभ बताते हुए कहा कि इन प्रतियोगिताओं के आयोजन से कर्मचारियों की हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने और हिंदी में काम करने के लिए उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला है। इस अवसर पर वक्ताओं द्वारा राजभाषा अधिनियम की व्यवस्थाओं तथा राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री राजमणि तिवारी तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी श्री प्रह्लाद खन्ना ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में अपने विचार प्रकट किए।

इस अवसर पर विभाग के हिंदी अधिकारी ने कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों की हिंदी में काम करने के प्रति विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रादेशिक मौसम केंद्र, नई दिल्ली के निदेशक ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया है। मौसम विज्ञान के अपरमहानिदेशक श्री एस० के० दास, जिनके ऊपर विभाग के प्रशासन, भंडार, दूर संचार तथा योजना से संबंधित कार्यों का भार है, विभाग में हिंदी सम्पर्क अधिकारी भी हैं। अपने सरकारी कार्य में अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी जून 1978 की प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करके श्री दास ने अन्य अधिकारियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है और हिंदी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र लेने वालों में वे भी हैं। मौसम विज्ञान के महानिदेशक डॉ० पी० के० दास ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों, प्रशासनिक और अनेक बैठकों में भाग लेने के कारण अपनी अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समारोह में पूरे समय तक उपस्थित रहकर सबको प्रोत्साहित किया और अंत में पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरण करके सफल व्यक्तियों को बधाई देते हुए आपने कहा कि हिंदी हमारी अपनी भाषा है। इसका सम्मान करना, इसको सीखना हमारा परम कर्तव्य है। हमें हिंदी में काम करने में गर्व महसूस करना चाहिए। हिंदी सीखने का लाभ तभी है जब हम सीखकर उसका प्रयोग करें। हिंदी में लिखें। सरकारी काम काज में मिली जुली हिंदी का प्रयोग करें। यह भी देश के निर्माण में बड़ा योगदान है। विदेश यात्राओं के समय के अपने अनेक अनुभवों में से एक का जिक्र करते हुए महानिदेशक महोदय ने बताया कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बैठक के समय एक देश में एक विदेशी ने मेरे सामने संस्कृत का एक श्लोक सुनाया और उसका अर्थ मुझसे पूछा। सौभाग्य से मैं उसका अर्थ जानता था, अतः बता दिया। यदि न जानता होता तो मुझे अपने में बड़ी कमी महसूस होती। विदेशी हमारी भाषा तथा संस्कृति के विषय में बहुत सी बातें जानना चाहते हैं। अतः हमें हिंदी अवश्य सीखनी चाहिए और जितना भी हो सके अधिक से अधिक काम हिंदी में करना चाहिए।

अंत में हिंदी अधिकारी श्री ए० एस० वर्मा ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों से अपील करते हुए सब श्रोताओं और सहयोगियों को धन्यवाद दिया।

राजभाषा गोष्ठी

पेट्रोकिल्स अतिथि-गृह में दिनांक 28 दिसम्बर, 1979 को हुई बड़ौदा नगर के केंद्रीय सरकार के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन निगमों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के राजभाषा अधिकारियों की राजभाषा गोष्ठी के मुख्य-मुख्य सुझाव :—

(1) हिंदी के प्रयोग के लिए प्रेरणा देना तथा सरल हिंदी का प्रयोग

हिंदी केवल अनुवाद की भाषा मात्र बन कर रह गई है। इसका कारण यह है कि चाहे हिंदी भाषी हो या अहिंदी भाषी वे अपने को हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ नहीं समझते। इस समस्या का समाधान है—हिंदी कार्यशालाओं की व्यवस्था करना तथा कर्मचारियों को स्वतः हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा देना। हिंदी को कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि सभी को अपनी सामर्थ्य एवं सीमा के अन्तर्गत उसका निःसंकोच प्रयोग करना चाहिए और यदि अनुवाद भी हों तो लक्ष्य भाषा की प्रवृत्ति के अनुकूल होने चाहिए।

अंग्रेजी के प्रति अनावश्यक मोह को त्याग देने की बात पर जोर देते हुए कहा गया कि जितना श्रम हम अंग्रेजी को सीखने में करते हैं उससे थोड़े श्रम में ही हम हिंदी को सीख सकते हैं। अतः लोगों को स्वेच्छा से हिंदी सीखना चाहिए। हिंदी को मानक स्वरूप प्रदान करने के लिए इसमें अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों का निस्संकोच समावेश करना चाहिए। हिंदी की प्रगति का आकलन केवल इसमें

तैयार द्विभाषिक फार्मों आदि से ही नहीं अपितु प्रत्येक स्तर पर हुए इसके मौलिक प्रयोग से होना चाहिए तथा शिक्षा का माध्यम भी हिंदी ही होना चाहिए ताकि संपूर्ण भारत एक सूत्र में बंध सके।

हिंदी को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए हिंदी कर्मचारी को अपनी विद्वता को भुलाकर सरलता से कार्य करना चाहिए और सदैव सामान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि तारीख, नम्बर, बुलेटिन, मैनेजर, यूनिट, खास, जरूरत आदि उर्दू–अंग्रेजी के शब्द हिंदी के जन सामान्य तक पहुंच चुके हैं तो हमें निस्संकोच उन्हें यथावत् ग्रहण करना चाहिए।

सरकारी विभागों, संस्थानों, उपक्रमों आदि में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले शब्दों की एक सीमा है। अतः इन प्रचलित शब्दों का एक समुचित संकलन उपलब्ध होना चाहिए जो सभी कर्मचारियों को प्राप्त होना चाहिए तथा यह संकलन हिंदी में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा स्वयं तैयार होना चाहिए।

हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए "क" और "ख" क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले स्टैम्प, मुहर आदि केवल हिंदी में होने चाहिए।

(2) अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन की आवश्यकता

हिंदी में कार्य न करने की प्रवृत्ति के पीछे विशेषकर अधिकारियों में व्याप्त हीन-भावना ही निहित है। पर धीरे-धीरे अब वे हिंदी की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

हिंदी में कार्यरत अधिकारी केवल हिंदी का ही कार्य नहीं करते बल्कि उनसे प्रशासन आदि अन्य विभागों का भी कार्य कराया जाता है।

(3) राजभाषा संबंधी नियमों की जानकारी करना

राजभाषा के नियमों को समझाने के लिए इस विषय के जानकार व्यक्तियों को समय-समय पर बुलाया जा सकता है।

कालेज एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ी गई साहित्यिक हिंदी का कार्यालय के कार्यों से कोई सीधा संबंध नहीं है जिससे इन विद्यालयों में शिक्षा पाए हुए व्यक्ति के लिए हिंदी में सरकारी कार्य करना दुरूह लगता है। सबसे दुखद बात यह है कि प्रायः कार्यालयों में राजभाषा संबंधी नियमों एवं आदेशों के प्रति अधिकारीगण उदासीन रहते हैं।

(4) प्रशिक्षण संबंधी सुझाव

इस समय सोसायटी के पास दो हिंदी टाइपराइटर हैं पर हिंदी टाइपिस्ट केवल एक ही है और किसी अन्य क्लर्क या सहायक को न तो हिंदी टाइपिंग का ज्ञान है न ही हिंदी आशुलिपि का। आमतौर पर यह प्रश्न सभी कार्यालयों में उपस्थित हो रहा है। इसका कारण बड़ौदा नगर में हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि की समुचित व्यवस्था न होना ही है। हमें राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना है तो हमें हिंदी टाइपिस्टों और आशुलिपिकों की आवश्यकता रहेगी अतः राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से हिंदी में टाइपिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए एक विभागीय अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाए।

हिंदी की प्रवीण, प्राज्ञ आदि परीक्षाओं पर सरकार ने शुल्क लगा दिया है जो न केवल परीक्षार्थियों के लिए ही, बल्कि अधिकारी स्तर के लोगों के लिए भी एक समस्या बन गई है। यह एक अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने है। अतः सरकार को इन परीक्षाओं से शुल्क हटा लेना चाहिए।

इज्जत नगर, बरेली की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

इज्जतनगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 30 जनवरी, 1980 को हुई। बैठक के कार्यवृत्त से मालूम होता है कि मंडल अधीक्षक पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यालय में डायरी, जनरल चार्ट आदि हिंदी में ही भरे जाते हैं। कार्मिक शाखा में लगभग शत-प्रतिशत काम हिंदी में किया जा रहा है। हिंदी में काम करने से कार्यालय की कार्यकुशलता बढ़ी है और सभी कर्मचारियों को सुविधा हुई है। कार्यवृत्त में जिन तिमाही प्रगति रिपोर्टों का जिक्र किया गया है उनसे स्पष्ट है कि कई कार्यालयों में अधिकांश पत्र-व्यवहार हिंदी में हो रहा है। रिपोर्ट से कुछ आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं:—

31 मार्च, 1979 को समाप्त हुई तिमाही में जारी किए गए पत्र

कार्यालय का नाम	हिंदी में जारी किए गए पत्रों की संख्या	अंग्रेजी में जारी किए गए पत्रों की संख्या
1. मंडल अधीक्षक कार्यालय	32978	1935
2. उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (कारखाना) पूर्वोत्तर रेलवे	375	45
3. प्रवर अधीक्षक (डाक घर)	4258	1444
4. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	1691	708

सभी कार्यालयों में हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जा रहे हैं। इसी तरह प्रवर अधीक्षक द्वारा 32 तार हिंदी में भेजे गए ह।

पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल चिकित्सालय में रोगियों के नुस्खों में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के उद्देश्य से चुने हुए इंजेक्शन और दवाइयों की रबर मोहरें बनाई गई हैं। इससे एक ओर हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा तो दूसरी ओर रोगियों को भी बड़ी सहूलियत होगी और उन्हें दवाई-इंजेक्शन आदि का नाम पढ़वाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

□ □ □

पाठकों के पत्र : प्रतिक्रिया एवं सुझाव

आपकी ओर से "राजभाषा भारती" का 8वाँ अंक प्राप्त हुआ, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। इसमें दी गई सामग्री बड़ी ज्ञानवर्धक है। सरकारी स्तर पर किए गए हिंदी के प्रचार एवं प्रसार कार्य की दिन प्रतिदिन की गतिविधि की इससे जानकारी मिलती है। आशा है आप इसी प्रकार हमारे नाम यह पत्रिका भेजते रहेंगे, इसके विनिमय में हम आपको "जनभाषा" पत्रिका भेजते रहेंगे।

---कांतिलाल जोशी,
मंत्री, बंबई प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा,
बिट्ठलभाई पटेल रोड, बंबई

"राजभाषा भारती" जनवरी—मार्च, 80 का अंक मिला धन्यवाद। यह नाम को सार्थक करते हुए अपने उद्देश्य में सफल सिद्ध हुई है। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। देश की जितनी भी समस्याएं हैं, जिन्हें हल करना है उनमें से राजभाषा भी एक प्रमुख है। इसके हल करने में बहुत देर हो गई है अब इसका हल शीघ्र किया जाना है। सफलता की कामना करता रहता हूँ।

---बाल्मीकि चौधरी, भूतपूर्व संसद् सदस्य
156, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली

पिछले अंकों से इस अंक में काफी सुधार दिखाई दे रहा है। सामग्री अत्यंत उपयोगी और व्यवस्थित रूप से शीर्षकों के अन्तर्गत सँजोई गई है। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन—आयोजन और उपलब्धियां शीर्षक लेख इस अंक को संग्रहणीय सामग्री की कोटि में पहुँचा देता है। यद्यपि यह वृत्त चार साल बाद सामने आ रहा है, फिर भी अत्यंत सूचनात्मक, प्रेरणादायक और प्रामाणिक है। डा० शिवगोपाल मिश्र का "वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी" भी अत्यंत शोधपरक एवं सारगर्भित लेख है। सामग्री की दृष्टि से पत्रिका अत्यंत मूल्यवान है और सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रकाशस्तंभों का काम देगी, ऐसा हमें विश्वास है।

---विश्वंभर प्रसाद गुप्त, अवैतनिक संपादक
दि जनरल आफ दि इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स इंडिया,
नई दिल्ली

"राजभाषा भारती" त्रैमासिक पत्रिका अपने प्रकार की एक अलग, अनूठी पत्रिका है, यह सरकारी कार्यालयों एवं उद्यमों के कर्मचारियों को हिंदी के बारे में ज्ञान वृद्धि के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके कुशल संपादन एवं ठोस सामग्री के कारण पत्रिका की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसके लिए आपको बधाई। पत्रिका की उपयोगिता बढ़ाने के संबंध में नीचे लिखे सुझाव देना चाहता हूँ:—

1. प्रत्येक अंक में "आपके ज्ञान के लिए" स्तंभ हो, जिसमें सरकारी संस्थानों में उपयोग होने वाले अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अनुवाद हो।
2. हर हिंदी अधिकारी एवं अनुवादक की अपनी समस्याएँ होती हैं—उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है, उसके लिए हर अंक में "आपकी समस्याएँ: हमारा समाधान" स्तंभ हो।
3. पत्रिका त्रैमासिक की बजाए पाक्षिक की जाए यदि पाक्षिक संभव नहीं हो तो मासिक निश्चित रूप से हो, ऐसा कई लोगों का आग्रह है।

—हरमन चौहान
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, विशाखापत्तनम्-530015

"राजभाषा भारती" का अंक मिला। सामग्री उपयुक्त तथा महत्वपूर्ण है। पिछले अंकों में भी उत्तरोत्तर काम की बातें प्रकाशित होती रही हैं। हिंदी में लिखी जा रही रिपोर्टों के नमूने बहुत उपयोगी हैं। साथ ही यदि रिपोर्टरों की समस्याओं और कठिनाइयों का लेखा-जोखा भी छपता रहे तो विचार-विनिमय में ठोस दिशा-निर्देश हो पाए।

शिक्षण-प्रशिक्षण के अन्तर्गत श्री जीवन नायक का लेख बहुत विचारोत्तजक है। इस संबंध में वर्तमान शिक्षण-प्रशिक्षण की सीमाओं पर भी प्रकाश डाला जाए तो संभावनाओं की व्यावहारिकता पर भी नजर जा पाए। इसी संदर्भ में एक सुझाव यह देना चाहता हूँ कि हिंदी (अन्य भाषा के रूप में) सीखते समय सीखने वाले की मातृभाषा या प्रथम भाषा का भरपूर उपयोग करना कई दृष्टियों से समीचीन है। बल्कि क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से ही सबसे पहला कदम उठाना लाभप्रद होगा।

---पृथ्वीनाथ पुष्प,
33, गोगलीबाग, श्रीनगर

'रक्षा शब्दावली: सृजन तथा प्रयोग' श्री मणिराम का लेख रक्षा मंत्रालय में प्रयुक्त रक्षा शब्दों पर एक विशिष्ट मार्गदर्शन देता है। अवाक, हेड और स्टार बोर्ड शब्दों के विशेष पर्याय कैंची-कसना, शौचालय और जमना किस कारण किए गए हैं इस पर विशद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। रक्षा शब्दावली का पुनरीक्षण ही नहीं अन्य शब्दावलियों का भी समय-समय पर पुनरीक्षण करना होगा। भाषा के विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।

श्री गंगा बाबू का मंतव्य रेलवे सुरक्षा बल में प्रयुक्त "बल" के स्थान पर "दल" रखना उचित है, यही अक्षरानुवाद और भावानुवाद में अंतर द्योतित करने का अच्छा और सटीक उदाहरण है।

"प्रमुख निर्णय", "पेंशन के---प्रपत्र" "आदेश-अनुदेश" और "समाचार" पत्रिका के व्यावहारिक उपयोग को बढ़ावा देंगे। विदेश स्थित भारतीय मिशनों में हिंदी के कार्य की तेज गति "क" क्षेत्रों को कितना प्रभावित करती है यही प्रेक्षणीय है।

---गंगा नारायण,
जी--36, बजाजनगर, जयपुर

"राजभाषा भारती" ने विगत दो वर्षों की अपनी आयु में सरकारी स्तर पर होने वाले तथा अन्य हिंदी के कार्यों की जानकारी देकर हिंदी विकास के कार्यों की ऐतिहासिक कड़ी को जोड़े रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। आशा है इसका जीवन दीर्घकालीन एवं सेवाएं अधिकाधिक उपयोगी होंगी।

---शंकरराव लोढ़े
मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

"राजभाषा भारती" का आठवां अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद। पत्रिका पठनीय है तथा हिंदी के विकास के संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर जो कार्य हो रहा है, उसका अच्छा परिचय देती है। मेरी बधाई स्वीकार करें।

इसके साथ ही एक सुझाव भी प्रेषित है। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में जो व्यक्ति लगे हैं, ऐसे कुछ लोगों का सचित्र परिचय भी हर अंक में 4-5 पृष्ठों में होना चाहिए। संभव हो तो स्वीकार करें।

---डॉ० मुकुंदी द्विवेदी,
उप सलाहकार कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना, अहमदाबाद

"राजभाषा भारती" का पिछला अंक पढ़ लिया है। यह अत्यंत उपयोगी है। संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न निकायों में हिंदी की गतिविधियों को एक जगह समेट लेना अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है। भारत की सच्ची सामासिक संस्कृति की बहुरंगी झलक आपकी इस पत्रिका में देखने को मिलती है। भारत कितना विशाल-विराट है, उसे एक झरोखे से देखने के लिए आपकी पत्रिका एक सबल माध्यम है। मेरी शुभकामना। आप अपने इस उद्यम में यशस्वी हों।

---राजकिशोर, हिंदी अधिकारी प्रशिक्षण निदेशालय,
भारतीय राजस्व सेवा (प्रत्यक्ष कर), नागपुर

आठवाँ अंक मिला। इसमें वर्णित हिंदी प्रयोग संबंधी विभिन्न सामग्रियों का संकलन वास्तव में हिंदी के प्रयोग को तीव्रतर करने में काफी उपादेय पाया गया।

---पी० एन० प्रजापति, प्रभारी अधिकारी,
हिंदी विभाग, इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता।

"राजभाषा भारती" का अंक 8 प्राप्त हुआ। अत्यंत आभारी हूँ। अंक में प्रकाशित सभी सामग्री इतनी पठनीय थी कि एक ही बैठक में पूरा अंक पढ़ने पर विवश हो गया।

नागपुर में हुए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में मैं उपस्थित था किंतु मारिशस में हुए द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में तीव्र इच्छा होने पर भी आर्थिक अभाव से उपस्थित न रह सका। लेकिन आपका लेख "द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन--- आयोजन और उपलब्धियां" पढ़कर लगा मानो मैं भी इस सम्मेलन में उपस्थित था, इतना यथोचित वर्णन आपने किया है। मेरी तरह जो हिंदी प्रेमी मारिशस में उपस्थित नहीं थे उन सबको आपने यह लेख प्रकाशित कर द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन के आनन्द और ज्ञान का हिस्सेदार बना दिया है।

---हीरालाल दुसाने,
भूतपूर्व उपमंत्री, "भाषा भारती" बंबई

आप द्वारा भेजी गई "राजभाषा भारती" का जनवरी--- मार्च, 1980 का आठवाँ अंक मिला। इसकी सामग्री भी संदर्भात्मक तथा ऐतिहासिक है। पिछले सभी अंक संग्रहणीय हैं।

---डा० रमेश कुन्तल मेघ,
अध्यक्ष, हिंदी विभाग, गुरु नानक देव विश्व विद्यालय,
अमृतसर

"राजभाषा भारती" का आठवाँ अंक (जनवरी---मार्च, 1980) हमें प्राप्त हो गया है। इसके लिये धन्यवाद। भारत सरकार की राजभाषा नीति के बारे में जानकारी एवं विभिन्न केन्द्रीय संस्थानों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति के बारे में इस पत्रिका में बहुत ही सुन्दर एवं व्यापक जानकारी मिलती है। यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी।

---एच० एम० पटेल, मुख्य अधिकारी
सेंट्रल बैंक आफ इंण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

"राजभाषा भारती" पत्रिका का प्रकाशन राजभाषा हिंदी के प्रचार और प्रसार में निश्चय ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए राजभाषा विभाग बधाई का पात्र है।

---रा० घ० देसाई, जन संपर्क प्रबंधक
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई

"राजभाषा भारती" का आठवाँ अंक मिला। "अपनी बात" में पत्रिका की बढ़ती माँग को देख कर, इसे समूल्य बनाने का विचार सही है, परन्तु मूल्य इतना ही हो कि एहसास हो सके कि यह सरकारी पत्रिका है। "राजभाषा भारती" द्वारा विविध सरकारी प्रतिष्ठानों एवं उद्यमों में राजभाषा में हो रहे कार्यांवयन का पता चलता है, जो सराहनीय है। इससे बाहर की दुनिया में भी हिंदी में हो रहे कार्यों की गतिविधि प्राप्त हो तो समूल्य होने पर भी इसका सर्व-जनीन सम्मान और क्षेत्र विस्तार होगा। आठवें अंक की संकलित सामग्रियों में "द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन—आयोजन और उपलब्धियां" पढ़ कर मारिशस में हुए हिंदी सम्मेलन पर सविस्तार जानकारी प्राप्त हुई। इस अकृपणता के लिए सम्पादक बधाई के पात्र हैं।

—बालकवि आर्य,
साहित्यकार पत्रिका
बोकारो इस्पात नगर-827001

पत्रिका मिली, धन्यवाद। यह प्रकाशन सभी हिंदी के काम में लगे लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। संगृहीत सामग्री भी काफी प्रेरणाजनक है, खासकर, "हिंदी के बढ़ते चरण"। यदि राजभाषा नीति का कार्यांवयन समग्र ढंग से हिंदी क्षेत्र में हो, तो हिंदी के (आज के लड़खड़ाते) चरण स्वयमेव मजबूत हो जाएंगे। ऐसी पत्रिका इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकती है। अगर यह पत्रिका मासिक बना दी जाए; तो इतोधिक सामग्री देने में काफी सुविधा होगी। आप एक ऐसा स्तंभ भी सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें मूर्धन्य विद्वानों के हिंदी की बढ़ोतरी में द्रुत गति लाने के लिए आवश्यक सुझाव और विचार प्राप्त हों।

—डा० जी० बालसुब्रह्मण्यम्
कार्यभारी, राजभाषा कक्ष, इंडियन बैंक, मद्रास

"राजभाषा भारती" का अंक 8 प्राप्त हुआ। जिस लगन एवं श्रम से पत्रिका का संपादन हो रहा है, वह अत्यंत सराहनीय है। मैं इसकी सतत सफलता की कामना करता हूँ।

—डा० श्रीनिवास द्विवेदी, हिंदी अधिकारी,
भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बंबई

"राजभाषा भारती" दिनों दिन राजभाषा हिंदी को एक निश्चित दिशा की ओर ले जा रही है और इसका हर अंक माधुर्य से भरा हुआ प्रकाशित हो रहा है। हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा का ढंग अत्यंत सराहनीय है। बैरा-स्यूल परियोजना राजभाषा भारती के लिए अपनी शुभकामनाएं देती है तथा संपादक मंडल को उनके अच्छे संपादन के लिए बधाई देती है।

—रूप सिंह ठाकुर, प्रशासनिक अधिकारी,
बैरा-स्यूल परियोजना, सुरंगानी, ज़िला चम्बा (हि० प्र०)

(पृष्ठ 34 का शेष)

8 रेलों के हिंदी पुस्तकालयों के लिए आवंटित राशि कम है इसे बढ़ाकर 3 रुपए प्रति कर्मचारी की दर से किया जाएगा।

इस संबंध में समिति के सदस्य श्री कन्हैयालाल नंदन ने कहा कि पुस्तकों के दाम बढ़ गए हैं इसलिए न केवल अधिक संख्या में पुस्तकों की खरीद के लिए बल्कि पहले प्रति वर्ष जितनी पुस्तकें खरीदी जा रही हैं, उतनी ही पुस्तकें खरीदने के लिए भी राशि बढ़ानी होगी। पुस्तकों और पुस्तकालयों की सख्या बढ़ाने से न केवल कर्मचारी उससे लाभान्वित होंगे बल्कि खाली समय में व्यस्त भी रहेंगे। समिति के एक अन्य सदस्य डा० मिश्र का कहना था कि इससे कर्मचारियों का मानसिक विकास होगा और ये प्रशासन के सुचारु कार्य-संचालन में निश्चय ही सहायक सिद्ध होंगे। श्री भगवान देव, संसद सदस्य का भी कहना था कि हिंदी पुस्तकालयों के लिए राशि कम है इसे बढ़ाया जाना चाहिए। वित्त आयुक्त ने आश्वासन दिया कि इस पर विचार किया जाएगा।

9 अन्य विषय

निदेशक, राजभाषा ने समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि हर तीन महीने के बाद होने वाली इस समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेकर हमारा उत्साह बढ़ाएँ और बैठक के लिए विचारार्थ प्रस्ताव बैठक की प्रस्तावित तारीख से काफी पहले हमारे पास भेज दें।

बठक के अन्त में महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे ने सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया और अध्यक्ष को धन्यवाद के बाद बैठक समाप्त हुई। □ □ □

MGIPF—414 HA/80—2-10-80—5000.

"हमारे चारों तरफ हमें संकीर्णता ही नजर आती है। देश के कई भागों में छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ने-भिड़ने तक की नौबत आ जाती है, चाहे वे भाषा की हों या प्रांतीयता की। जरा-जरा सी बातों से ही ये झगड़े भड़क जाते हैं। यह एक खतरनाक बात है....."

"अगर हमें लोकतंत्र को बनाए रखना है तो हमें ऐसे समझदार लोगों की जरूरत है, जो एक महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एकता के सूत्र में बंधे हों। विकास, चाहे वह राष्ट्र का हो या व्यक्ति का, तभी हो सकता है, जबकि हर व्यक्ति भरसक अपनी सारी शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग करे।"

(24, दिसम्बर, 1967 को विश्वभारती, शांतिनिकेतन के दीक्षांत समारोह में दिए गए प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के भाषण से उद्धृत)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।